खण्ड-250, अंक-6
सोमवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1886
(3 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४०९–४१३
प्रश्नोत्तर	४१३–४५६
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति	४५७
सिंचाई मंत्री द्वारा एक प्रश्न का गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४५७–४५८
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं..	४५८–४५९
बाजार में पाठ्य पुस्तकों के अभाव के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	४५९–४६२
गढ़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का कार्य-क्रम ..	४६२
अधिष्ठाता, श्री रामायणराय द्वारा श्री गयाप्रसाद को भाषण के लिये अधिक समय न देने पर निर्णय की मांग (जारी) ..	४६२–४६३
फीरोजाबाद में ५० हजार मजदूरों की बेकारी के सिलसिले में नियम ५३ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी	४६३
कुसुमी बाजार, जिला गोरखपुर के ग्राम सभापति द्वारा एक किसान को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य	४६३–४६४
बाराबंकी तथा देवरिया जिलों में खाद्य के अभाव तथा दूकानें लूट लिये जाने के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य	४६४–४६६
६ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन ..	४६६–४६७
३० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न १–२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन ..	४६७
प्रतिनिहित विधायन समिति के लिए विधान परिषद् के ४ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव..... (स्वीकृति)	४६८
माल स्थायी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्य-क्रम (स्वीकृत)	४६८
अधिष्ठाता, श्री रामायण राय द्वारा श्री गयाप्रसाद के भाषण के लिये अधिक समय न देने पर निर्णय की मांग	४६९
कतिपय विषय	४६९–४७०
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (प्रस्ताव–अस्वीकृत) ..	४७०–५११
नत्थियां	५१२–५३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल, अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभानराय, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नायूराम शिक्षक, श्री

नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बम्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनशुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरीफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री

शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विलेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ अगस्त, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

[स्थगित किया गया ।]

तारांकित प्रश्न

१६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न १२४ के उत्तर का शोधन

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, १६ दिसम्बर, १९६३ को श्री तेजसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १२४ का का संशोधित उत्तर पढ़ती हूं ।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
*१२४—श्री तेजसिंह— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने ३०-९-१९६३ तक कितनी जमीन का कितने किसानों से कब्जा लिया है ? उनमें से कितने ऐसे हैं जो बिलकुल भूमिहीन हो गये हैं या जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि रह जाती है और इनको रोजगार पर लगाने के लिये क्या सरकार ने कोई विस्तृत योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद तथा यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड ने ३०-९-१९६३ तक २,८०१ एकड़ भूमि का कब्जा लगभग २,००० व्यक्तियों से लिया है । उनमें से लगभग १५० व्यक्ति ऐसे होंगे जो भूमिहीन हो गये हैं या जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि रह गई है । शासन द्वारा जिलाधीश, मेरठ को आदेश दिये जा चुके हैं कि जो किसान किसी कालोनाइजेशन एरिया में बसना चाहें उन्हें इसकी सुविधा दी जाय । जिलाधीश, मेरठ भी भूमिहीन हो गये व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं । इसके लिये उन्होंने कोशिश करके सहायक इम्प्लायमेंट एक्सचेंज अधिकारी, गाजियाबाद को आदेश दिलवा दिये हैं कि वे ऐसे सभी भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता दी जाय । गाजियाबाद के (Special Land Acquisition officer) को उन्होंने आदेश दे दिये हैं कि भूमिहीन किसानों को रोजगार दिलाने के लिये इस सिफारिश के साथ प्रमाण-पत्र दें कि अमुक व्यक्ति की भमि अर्जित कर ली गई है ।

संशोधित उत्तर

गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद तथा यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड ने ३०-९-१९६३ तक २,७७५ एकड़ भूमि का कब्जा लगभग २,००० व्यक्तियों से लिया है । उनमें से लगभग १५० व्यक्ति ऐसे होंगे जो भमिहीन हो गये हैं या जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि रह गई है । शासन द्वारा जिलाधीश मेरठ को आदेश दिये जा चुके हैं कि जो किसान किसी कालोनाइजेशन एरिया में बसना चाहें उन्हें इसकी सुविधा दी जाय । जिलाधीश, मेरठ भी भूमिहीन हो गये व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं । इसके लिये उन्होंने कोशिश करके सहायक इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज अधिकारी गाजियाबाद को आदेश दिलवा दिये हैं कि ऐसे सभी भमिहीन व्यक्तियों को रोजगार

दिलाने में प्राथमिकता दी जाय गाजियाबाद के Special Land Acquisition officer को उन्होंने आदेश दे दिये हैं कि भूमिहीन किसानों को रोजगार दिलाने के लिये इस सिफारिश के साथ प्रमाण पत्र दें कि अमुक व्यक्ति की भूमि अर्जित कर ली गई है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की भूमि ली गयी थी उनको मुआवजा वहां के बाजार भाव से दिया गया या किसी दूसरे रेट्स से दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

१९६२-६३ के बाजार भाव से हिसाब से रेट्स तय कर दिया गया है और उस हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है ।

श्री ऊदल—

उत्तर में बताया गया है कि लगभग १५० व्यक्ति ऐसे होंगे जो भूमिहीन हो गये होंगे या उनके पास एक एकड़ से कम भूमि होगी । सरकार की तरफ से ऐसे आदेश गये कि जो बसना चाहते हों उन्हें जमीन दे दी जाय या नौकरी करना पसन्द करें तो उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जाय । अभी तक हमारे यहां जो फर्टीलाइजर का कारखाना है उसमें या और कहीं उनको नौकरी नहीं मिली है । तो क्या मंत्री जी सरकार की तरफ से ऐसा प्रयास करेंगे कि जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध हो, उन लोगों को जमीन दी जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला मैजिस्ट्रेट यह कोशिश करेंगे कि जो कालोनीज बनेंगी उनमें उनको प्राथमिकता दी जाय । इसके अलावा जो भी लोग खेती के लिये जमीन लेना चाहेंगे, जिला मैजिस्ट्रेट के लिये आदेश हैं कि वे उनको जमीन जहां कहीं भी उपलब्ध हो दिलवा दें ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, सरकार की तरफ से निर्देश तो जारी हो गये हैं, मगर अमल उस पर नहीं होता है । हम यह जानना चाहेंगे कि जिनके पास जमीन नहीं है उनमें से कितनों को अब तक रोजगार दिलवाया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कब्जा लेने और मुआवजा मिलने के कुछ समय ऐसा ज्यादा नहीं हुआ है और यह अगर मेरे पास नहीं है कि कितने लोगों को बसाया गया है, लेकिन कोशिश की जायगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या इन १५० व्यक्तियों के लिये कोई जमीन छांटकर आल्टरनेटिव उन्हें दिया गया है कि तुम लोग इस जमीन पर बस सकते हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

छोटी आय वालों के लिये जो आवास-गृह बनेंगे और प्लाटों में उन्हें प्रायोरिटी दी जायगी अगर वे लेना चाहेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकारी नौकरियों में उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी दिलाने के लिये आर्डर जारी करने में सरकार के सामने क्या दिक्कत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

प्रायोरिटी की ही बात होती है और इसके लिये जिला मैजिस्ट्रेट को आदेश जा चुके हैं ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

क्या उन्हें खेती के लिये मेरठ या और जिलों में जमीन दिलाई जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

नोटिस चाहिये ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

गाजियाबाद के विस्थापितों को मुआवजे की वैल्यू क्या है ? एक ही रेट है या अलग-अलग, है तो क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

१९६२ से जिस भाव से जमीनें बिक रही थीं उसके हिसाब से सबको मुआवजा दिया जा रहा है ।

[३ अगस्त, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वाराणसी में मेहतरों के क्वार्टर्स

*१--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

वाराणसी नगर महापालिका के मेहतरों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत सरकार की ओर से सहायता प्राप्त मकानों में रह रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

३९ प्रतिशत ।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष ६१ को कब तक सहायता प्राप्त आवास गृह मिलने की आशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

महापालिका बना रही है । जो अनुदान उन्हें दिया गया उसमें से कुछ बन गये हैं और कुछ बाकी हैं ।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या नगरपालिका इन ६१ लोगों को कोई तात्कालिक सहायता देने का प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

महापालिका ने २२४ मकान बनाये हैं जिनमें ८१७ हरिजन परिवार बसाये जा चुके हैं । अलग से प्रबन्ध का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या ऐसा आदेश सरकार का गया है कि कठिनाई में पड़े मेहतरों के आवेदन-पत्र आने पर तात्कालिक सहायता देने का प्रबन्ध किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नगरपालिकायें स्वयं करेंगी ।

श्री ऊदल---

इन ५, ६ वर्षों में जितने अनुदान सरकार ने दिये उनमें से नगरपालिकाओं ने लाखों रुपया खर्च नहीं किया, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इस महापालिका ने तो काफी मकान बनवाये हैं । १,५०,००० का अनुदान आखिर में मिला था । उसमें से कुछ मकान बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं । लेकिन इतने दिन अभी नहीं हुये हैं कि उनके खिलाफ किसी खास ऐक्शन की जरूरत हो ।

इलाहाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में शहर तथा जिले में कितनी सरकारी गल्ले की दूकानें किन-किन स्थानों पर अब तक खुल चुकी हैं ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

अभीष्ट† सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जितना गल्ला इन दूकानों को दिया जाता था प्रत्येक यूनिट, उसे काट कर आधा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

इस समय यह निश्चित करना सम्भव नहीं है । उपलब्धि कम होने के कारण कम करना पड़ा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

जो दूकानें शहर में खुली हैं उन पर कितने यूनिट्स के कार्ड अभी तक बने हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

एक दूकान पर हजार से अधिक यूनिट न रखने की कृपा करेंगे जिससे भीड़ कम हो और आसानी से गल्ला मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

पहले ही आदेश हैं कि ४ और ५ हजार के बीच में एक दूकान पर यूनिट होने चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

फी यूनिट गल्ला कम किया गया है उसे कब से पूरा करने की आशा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

निरन्तर कोशिश कर रहे हैं और आशा है कि हमारी स्थिति कुछ सुधर जायगी नयी फसल वह आने से ।

---

† छापी नहीं गई ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चूंकि दूकानदार खरीदारों से भीड़ की वजह से पैसा ज्यादा ले लेता है, इसलिये क्या कोई ऐसा नक्शा लगाया जायगा जिससे यह मालूम हो सके कि फी किलो गल्ले का क्या दाम देना पड़ेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

राशन लेने के दिन मुकर्रर किये जा रहे हैं, उससे भीड़ ज्यादा न होगी ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

शहरों और देहातों में दूकानों की संख्या के बारे में क्या आधार रखा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कुल दूकानें १३,८०० के करीब हैं जिनमें से ८,००० देहात में हैं ।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलों में प्रत्येक न्याय पंचायत पीछे कितनी दूकानें खोली गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

नियमानुसार एक ।

श्री सत्यनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी देहात में भी लोगों को राशन कार्ड देने पर विचार कर रहे हैं जिससे खेतिहर मजदूरों को आसानी से गल्ला मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, जो भूमिहीन हैं उनको प्राथमिकता दिये जाने के लिये पर्चियां बनाने के बारे में सोचा जा रहा है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गल्ला वितरण के सम्बन्ध में जो पुराने आदेश थे, उस सम्बन्ध में क्या कोई नये आदेश भेजे गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां, नये आदेश भेजे गये हैं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

शहरों के अनुपात में देहातों में कितना गल्ला बांटा गया, क्या मंत्री जी बतायेंगे ? और कुल कितना गल्ला बंटा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

हम चाहते हैं कि २० प्रतिशत भूमिहीन और छोटे काश्तकारों को मिल जाय। कितना बंटा है इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

देहातों में राशन की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

पूर्वी जिलों में १६ रुपये का गेहूं और आटा और ४ रुपये का चावल, कुल बीस रुपये का राशन ले सकते हैं । यही नियम और जगह भी कुछ परिवर्तनों के साथ लागू है ।

श्री ऊबल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में गल्ले की मात्रा कम कर दी गयी है लेकिन आज १५–२० दिन पहले गल्ले का भाव जो २ सेर १० छटांक था, वह प्रति क्विंटल ३ रुपये गेहूं में और ६ रुपये चावल के भाव म वृद्धि हो गयी ह ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, वृद्धि हुई है ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद, आगरा या दूसरे बड़े नगर व कस्बों के नागरिक जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी ह और रुपय की ज्यादा आमदनी ह उनको सस्ते गल्ले की दूकानों से राशन न देकर गरीबों को ही राशन दिया जाय क्योंकि वे बाहर से भी गल्ला खरीद सकते हैं ? यदि हां, तो ऐसी कोई व्यवस्था की गयी है कि ३०० रु० माहवार से ज्यादा आमदनी वाले लोग वहां से गल्ला न ले सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी तक तो यह व्यवस्था नहीं की गयी है, मगर आवश्यकता पड़ेगी तो करना पड़ेगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि इलाहाबाद में तथा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बहुत सी ऐसी पंचायत अदालतें हैं जहां आज तक दूकानें नहीं खुली हैं और इस तरह का सरकार की तरफ से निर्देश भी हो चुका है कि आगे कोई और दूकान न खोली जाय, तो देहातों में सरकार गल्ला वितरण की क्या व्यवस्था कर रही है जहां कि अभी तक दूकानें नहीं खुल सकी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने जिले की खाद्य सलाहकार समितियों के पास भेज रखा है कि जहां पर आवश्यक हो और सचमुच गल्ले की कमी हो वहां वे दूकानें खोलने की व्यवस्था स्वयं कर सकती हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि २० प्रतिशत गल्ला खेतिहर मजदूरों को दिया जायगा । तो आज प्रदेश में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो वह है जहां पाले से फसल मारी गयी है और दूसरा हिस्सा वह है जहां बाढ़, पाले व गर्की से फसल मारी गयी है । तो जहां गर्की, बाढ़ व पाले से भी फसल मारी गयी है, वहां के इलाके में गल्ला पहुंचाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो अच्छे जिले हैं उनका परसेंटेज कम है और जिनकी आवश्यकता अधिक है उनके गल्ले के कोटे बढ़ा दिये जायं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

श्रीमन्, इलाहाबाद में ७ लाख राशन कार्ड बनाये गये और हम लोग जो वहां के विधायक हैं, जिलाधीश व टी० आर० ओ० से बराबर कहते रहे कि बहुत ज्यादा जाली राशन कार्ड्स बन रहे हैं, जिनकी रोकथाम की जाय लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय जो जांच हो रही है उसमें कितने जाली राशन कार्ड्स पकड़े गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी सूचना अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी जांच हो रही है ।

सरकार बनाम रामगोपाल आदि केस में सजायाफ्ता कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई के लिये प्रार्थना

*३—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के एस० टी० नं० ४६, सन् १९५४/५५ व इजलासी श्री ओ० बी० लाल, अतिरिक्त टेम्पोरेरी सेशन्स जज, फतेहपुर मुनफसला, दिनांक ३० जून, १९५५ ई० हस्ब दफा ३०२, १४९ व १४७ व १४९ व ३२३/३२४ ता० हिन्द थाना खखरेस, जिला फतेहपुर सरकार बनाम रामगोपाल, कैलाश आदि के आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कौन-कौन कैदी किस-किस जेल में हैं और कौन-कौन कैदी किस जेल से प्रोबेशन पर कब रिहा किये जा चुके हैं, जिन कैदियों को अभी तक प्रोबेशन पर नहीं रिहा किया गया उनकी प्रोबेशन पर रिहा की दरख्वास्तें कब-कब दी गयीं और उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस केस में रामगोपाल आदि को आजीवन कारावास की सजा हुई वह एस० टी० नं० ४६ नहीं बल्कि ४९ है। इस केस में रामगोपाल, कैलाश, दयाराम, महादेव, रामपाल, रामखलावन और छेदी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इनमें से छेदी अपील म छूट गया। बन्दी रामखेलावन को १४-१०-५९ को प्रोबेशन पर छोड़ने के लिये शासन के आदेश जारी किये गए और वह छूट गया। इस समय कलाश कन्द्रीय कारागार, फतहगढ़ में, दयाराम और महादेव केन्द्रीय कारागार, नैनी (इलाहाबाद) में तथा रामपाल केन्द्रीय कारागार, आगरा में हैं। बन्दी रामगोपाल का केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में २०-६-६३ को देहान्त हो गया। केवल रामपाल को छोड़ कर जिसने प्रोबेशन पर रिहा होने के लिये अपनी दरख्वास्त सन् १९६१ में दी बाकी सब बन्दियों ने अपनी दरख्वास्तें सन् १९६० में दी थीं। शासन ने दयाराम, कैलाश और रामगोपाल के मामलों में सन् १९६३ में यह निर्णय किया कि इन बंदियों के छोड़ने के प्रश्न पर एक साल बाद विचार किया जाय। महादेव की दरख्वास्त अभी सरकार के विचाराधीन है। रामपाल के छोड़ने के प्रश्न पर सन् १९६२ में ही यह निश्चय किया गया कि इस पर विचार ३ वर्ष के बाद किया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मंत्री जी अपने उत्तर को गौर से पढ़ने के बाद मेरी बातों पर गौर करेंगे कि उस जजमेंट में साफ दिया है कि यह हत्या रामखलावन क फरसे से हुई, लाठी आदि से नहीं और दफा १४९ लगा कर औरों को आजीवन कारावास की सजा हुई। पर रामखेलावन को १४-१०-५९ को छोड़ा गया और इसको ३ जून सन् ५५ से आज तक नहीं छोड़ा गया, इसका क्या कारण है, क्यों रोका गया इसके पूरे कारण क्या मंत्री जी बताएंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह जजमेंट मेरे सामने नहीं है, जो माननीय सदस्य ने बताया है मैं उसको देख लूंगा। प्रोबेशन पर छोड़ने के लिये कई बातें होती हैं। एक तो यह देखा जाता है कि जेल में कैदी का चालचलन कैसा रहा, उसके बाद पुलिस और जिलाधीश की रिपोर्ट भी देखी जाती है, उनके अनुसार यहां विचार किया जाता है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं अगर कोई अनियमितता होगी तो वह मैं देख लूंगा और बाकी केसेस में विचार कर लिया जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह—

वह पहली दरख्वास्तें क्यों और कहां गुम हो गईं और जिस दफ्तर में वह पड़ी रह गईं उसके लोगों को क्या वह दंडित करेंगे क्योंकि यह भ्रष्टाचार ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह पुलिस में गुम हुई, मालूम हुआ चिट्ठियां आईं, अब वह फिर स दोबारा मांगी हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

अभी जो मंत्री जी ने कहा कि हम कैदी का व्यवहार और चालचलन देखते हैं उसको काउन्ट करते हैं लेकिन क्या आप उसका वह व्यवहार अधिक काउन्ट नहीं करते बल्कि जिलाधीश और पुलिस की रिपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड करते हैं? क्या मंत्री जी उन नियमों में सुधार करेंगे ताकि कैदी के व्यवहार को ही प्राथमिकता दी जाय और ५-६ साल के काल में जो उसका व्यवहार है उसको सहानुभूतिपूर्वक देख कर उनको प्रोबेशन पर छोड़ा जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

सारी चीजों का, जो मजमुई असर होता है, जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट और जेल का व्यवहार सब चीजों को देख कर छोड़ा जाता है, बोर्ड के सामने यह सब केसेज और रिपोर्ट जाती हैं तब निर्णय होता है।

इलाहाबाद में मुनाफाखोरी में सजायें

*४---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में जिस समय से चीनी तथा गल्ले पर महंगाई आयी है कितने व्यापारी गल्ले व चीनी की मुनाफाखोरी हेतु जमा करने में पकड़े गये और उनको कौन-सा दण्ड दिया गया है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

मुनाफाखोरी के ३२ मामले पकड़े गये जिसमें में २४५ व्यक्तियों का चालान किया गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गल्ला और ऐसी चीजों में मुनाफाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ, चाहे वे इलाहाबाद के रहने वाले हों या और कहीं के रहने वाले हों, कार्यवाही करने की कोई योजना बनायी है?

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं। आप पूछ लीजिए कि इनमें कितने सरकारी गल्ले के दूकानदार हैं और कितने बाहर के लोग हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसका विवरण तो नहीं है। ये बाहर के मालूम होते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिर्फ चालान ही हुआ या किसी के मुकदमे का फैसला भी हुआ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

केवल एक का फैसला हुआ और बाकी सब अन्डर इन्वैस्टिगेशन हैं या विचाराधीन हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी पकड़े गये उनसे कितना सामान मिला?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

१८ बोरे चीनी, २५९ बोरे, ५६ क्विन्टल, २ कट्टे आटा ३०७ बोरे गेहूं या चावल ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी जानकारी करायेंगे कि इलाहाबाद या प्रान्त में इस तरह से करप्शन में पकड़े सरकारी दुकानदारों को उनका इल्जाम साबित होने पर भी केवल उनके लाइसेंस कैन्सिल किए गये हैं ? क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी कि जिन लोगों के जुर्म साबित हुए हैं उनके खिलाफ डी० आई० आर० में भी मुकदमें चलाये जायें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ये आदेश तो पहले से ही हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये व्यक्ति किन धाराओं के अन्दर पकड़े गये ? ये बेलेबिल हैं या नौनबेलेबिल ? जो लोग पकड़े गये इन धाराओं के अन्दर क्या वे थाने से ही छोड़ दिए गये या जेल तक पहुंचे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसकी डिटेल्स तो नहीं है कि कहां-कहां से छोड़ दिए गये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट औफिसर्स या दूसरे अधिकारियों ने गल्ले की अनियमितताओं के कारण उनको गिरफ्तार किया, उनके लाइसेंस कैन्सिल किए तो लोगों की सिफारिशों पर खासतौर से मेम्बर या कुछ सम्मानित व्यक्तियों की सिफारिशों पर उनके रिश्तेदारों या उनके चाचाओं को लाइसेंस दे दिया गया और वे ही लोग फिर अपनी दूकानों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब कोई चीज हमारे सामने आयी है इस हाउस में मैंने बताया है कि वे काट दी गयी है।

सहारनपुर नगरपालिका अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर) तथा श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार तुरन्त इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगरपालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा इनके अलावा सब-कमेटियों के प्रधान जिनका कार्यकाल ३१ जनवरी, १९६४ को समाप्त हो भी चुका है अपने-अपने नाम से नगर की भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं को अनुचित ढंग से अकार्य विज्ञापन दे देकर नगरपालिका का हजारों रुपये बरबाद कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिये समर्थन खरीद रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिलाधीश, सहारनपुर की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि नगरपालिका सहारनपुर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सब कमेटियों के प्रधानों ने अपने-अपने नाम से ऐसे कोई भी विज्ञापन अनुचित ढंग से नगर के समाचारपत्रों को छापने के लिये नहीं दिये जिनमें बोर्ड का व्यय हुआ है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरे पास १३ दिसम्बर का अखबार "जंगो अमन" उसमें कुछ प्रकाशन हुए हैं, अधिकारियों द्वारा और इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है यह सूचना मेरे पास आई है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

बोर्ड का कोई भी धन व्यय नहीं किया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

सहारनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष और दूसरे अधिकारियों के विरुद्ध स्वयं बहन जी जांच करने गयीं और अपनी रिपोर्ट भी दी उसके बावजूद यहां पर आकर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी तो क्या कोई भी रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा सही आई है ?

श्री अध्यक्ष---

सही मान कर ही वह जवाब देती हैं।

श्री लखपतराम शर्मा---

प्रेस ऐक्ट के मुताबिक हर अखबार से जो निकलता है दो प्रति सूचना विभाग को भेजी जाती हैं तो जो भी साप्ताहिक अथवा दैनिक अखबार वहां के हैं उन सब को सरकार मंगा कर स्वयं देखेगी कि कितने हजार के विज्ञापन दिये गये और यह भी जानकारी करेगी कि जिन अखबारों को विज्ञापन दिये जाते रहे हैं वे समय पर प्रकाशित नहीं होते, कभी-कभी होते हैं उनको भी विज्ञापन क्यों दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जो जांच कराई गई उससे विदित हुआ कि केवल ६५ रुपये का व्यय बोर्ड ने किया समाचार-पत्रों में विज्ञापन हेतु और उन विज्ञापनों में अनिवार्य शिक्षा अथवा वाटर वर्क्स आदि की सूचना दी गयी थी। अन्य किसी सदस्य अथवा अधिकारियों ने विज्ञापन दिये होंगे तो अपने व्यय से दिये होंगे, बोर्ड के व्यय से नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

१६ दिसम्बर को जो विज्ञापन अखबार में निकला है "जंगो अमन" में उसमें १२५ रुपये के ४ विज्ञापन एक्जिक्यूटिव आफिसर के नाम से हैं और वे सब म्युनिसिपल बोर्ड ने दिये हैं तो क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करा कर उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

माननीय सदस्य हमको सूचना देंगे तो जरूर जांच कराने का प्रयास किया जायगा।

बिजनौर जिले में पशुओं का वध

*६---श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को या कुछ जिलों को लाइव-स्टाक आफिसर, लखनऊ ने १५ वर्ष के और लंगड़े पशुओं को बध करने के सिलसिले में कोई आदेश, १९६३ के किसी मास में भेजे हैं ?

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

राज्य के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों और सहायक पशु चिकित्सकों को १५ साल के ऊपर के या प्रजनन और कृषि कार्य के लिये बेकार हो गये सांडों और बैलों का बध करने की अनुमति देने का अधिकार सरकार द्वारा अगस्त १९६२ में दिया जा चुका है। उपरोक्त राजाज्ञा के आधार पर निदेशक, पशु पालन ने विभागीय कर्मचारियों को सितम्बर, १९६२ में समुचित आदेश भेजे थे इस संबंध में लाइव स्टाक आफिसर, लखनऊ ने कोई आदेश जारी नहीं किये।

*७---श्री श्रीराम---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डी० एल० ओ०, बिजनौर ने १९६२-६३ में मंडावर और अकबराबाद, जिला बिजनौर में पशुबध करने की स्वीकृत दी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाक आफिसर, बिजनौर ने ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी ।

*८—श्री श्रीराम—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि डी० एल० ओ०, बिजनौर को यह सूचना थी कि अकबराबाद में पहले से कसाईखाना है और साथ ही यह भी कि मंडावर में भी पहले से बध करने का स्थान था या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाक आफिसर, बिजनौर को अकबराबाद में पहले से ही वहां पर कोई प्रमाणित 'रजिस्टर्ड' कसाईखाना होने की सूचना नहीं थी, न वहां पर ऐसा कोई प्रमाणित स्थान अब है ।

मंडावर में प्रमाणित (रजिस्टर्ड) कसाईखाना होने की सूचना डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टाफ आफिसर को पहले से ही थी ।

श्री श्रीराम—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६२ में १५ साल के पशुओं को मारने का आदेश किन कारणों से देना पड़ा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो कानून के अन्तर्गत दिया गया है ।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इसका दुरुपयोग हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार को मालूम है कि रजिस्टर्ड कसाईखानों के अलावा ऐसे भी कसाईखाने हैं जहां पशुओं का वध किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको रिकग्नाइज करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि ऐसे भी कसाईखाने हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय पालीवाल जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी सूचना नहीं है तो क्या सरकार जिलाधीशों को ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि यदि ऐसे बूचड़खाने हों तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो आदेश पहले से ही हैं ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

क्या सरकार बतायेगी कि नाकारा जानवरों को मारने का क्या इन्तजाम किया है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

यह इस सवाल से उठता नहीं है। यह तो प्रिवेन्शन आफ काऊ स्लौटर के मातहत है।

श्री श्रीराम---

क्या मंत्री जी जांच करेंगे कि बिजनौर, अकबराबाद, मनावर, ध्यालू नेहकौर, सिहारा और नगीना आदि स्थानों पर २००-२०० रुपये लेकर डी० एल० ओ० जानवर मारने की आज्ञा जब कि यह काम मुकामी डाक्टरों का था.....

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में यदि आप कोई डिटेल दे सकते हों कि किन से रुपया लिया गया तो दे दें, मैं उसको भेज दूंगा।

श्री श्रीराम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डी० एल० ओ० ने मेरे प्रश्न करने के बाद इन आज्ञाओं को वापस लिया है और इसके बाद यह उत्तर भेजा है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, इनके प्रश्न का मतलब यह है कि डी० एल० ओ० ने कोई आज्ञा दी और इनके प्रश्न करने के बाद उसको वापस लिया। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

डी० एल० ओ० ने कोई आज्ञा वापस नहीं ली।

श्री नाथूराम शिक्षक--

श्रीमन्, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे बूचड़खाने कहां हैं जो गांव की बस्ती में चल रहे हैं ? क्या उनको मंत्री जी बस्ती से दूर हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

आजमगढ़ व इलाहाबाद जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सीमेन्ट, लोहा व कोयला

*९--श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ एवं इलाहाबाद जिले के बाढ़ एवं कटाव पीड़ित क्षेत्रों के नागरिकों को अलग-अलग कितना-कितना सीमेन्ट, लोहा, कोयला आदि चालू वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

वांछित सूचना निम्नलिखित है :

	सीमेन्ट	लोहा	कोयला
इलाहाबाद ..	..	जी० सी० शीट्स ५ मेट्रिक टन।	२०० वैगन (कोयला चूर)
आजमगढ़ ..	४६ मैट्रिक टन या २ वैगन	जी० सी० शीटस ६ मेट्रिक टन।	२०० वैगन (कोयला चूर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

लोहा, कोयला और सीमेन्ट जो बाढ़-पीड़ित और कटाव-पीड़ित क्षेत्रों को दिया गया है उसके देने का आधार क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जितना कोटा केन्द्र से इस कार्य के लिये मिलता है तथा हर जिले में बाढ़ से जो क्षति होती है उन दोनों का आधार होता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

आजमगढ़ में जो सीमेन्ट दिया गया है वह बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में न देकर अन्य स्थानों में दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसकी जानकारी नहीं है। इतना बता दूं कि टीन आया ही नहीं तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

जब जानकारी ही नहीं है तो बात समाप्त हो गयी।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

इलाहाबाद के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को १ बोरी भी सीमेन्ट नहीं दिया गया है तो क्या वहां मंत्री जी सीमेन्ट भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चाहता तो बहुत हूं पर सामान मिलने पर सारी बात होती है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

प्रदेश के बाढ़-पीड़ित इलाके के लोगों को सीमेन्ट, टीन, लोहे की चादरें तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें देने के लिये क्या सरकार ने कोई सिद्धान्त बनाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये हर जिले का ऐडहाक कोटा तथा उसमें कितनी क्षति हुई उसके मुताबिक सामान दिया जाता है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

क्या बाढ़-पीड़ित इलाकों के लिये जो सीमेन्ट दिया जाता है वह १५ परसेन्ट डेवलपमेन्ट के लिये जो निर्धारित है, उसको काटकर तो नहीं दिया जाता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह तो रेगुलर कोटे में से कटता है, बाढ़ के कोटे में नहीं।

रुद्रपुर में निर्मित कूप में लगी सीमेन्ट

*१०--श्री लखपतराम शर्मा--

कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम रुद्रपुर (नैनीताल) में किसी कुएं का निर्माण मार्च, १९६३ में आफिसर इन्चार्ज, रीजनल रिसर्च स्टेशन, नबाबगंज, बरेली तथा इन्चार्ज रीजनल रिसर्च स्टेशन (रुद्रपुर) नैनीताल, की देख रेख में हुआ व कुएं की दीवाल को साढ़े तेरह इन्च मोटी बताकर उसका पेमेन्ट कराया गया और कागजात में दिखाया

गया जब कि १८ फुट तक कुएं की दीवार सिर्फ ९ इंच ही चौड़ी है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व उपरोक्त कुयें के निर्माण में सीमेन्ट कितनी बोरी कितने रुपये का लगा व उसकी खरीद किस व्यक्ति या दूकान से की गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह सत्य है कि रुद्रपुर में एक कुएं का निर्माण उल्लिखित अधिकारियों की देख रेख में हुआ। कुएं की दीवाल का जो हिस्सा पानी में डूबा है उसकी मोटाई ठीक तौर से बताना संभव नहीं है। जो पमन्ट किया गया है वह कुएं की दीवाल की मोटाई १८ फुट तक ९ इंच तथा बाकी की मोटाई १३।। इंच मान कर जो देना चाहिये उससे भी कम आता है। चूंकि इसमें कोई अनियमितता नहीं है इसलिये किसी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। कुएं के निर्माण में ५० बोरी सीमेन्ट लगा जो कि रु० ४०७-५० पैसे में रामपुर से हबीब मिस्त्री से कन्ट्रोल रेट पर इस शर्त पर ली गई कि जब विभाग को परमिट मिलेगा तो उसकी सीमेन्ट उनको दे दी जायेगी।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि हबीब मिस्त्री के नाम सरकारी सीमेन्ट का कोई लाइसेंस नहीं है ? क्या यह भी सही है कि वह अपना काम करता है जिससे सीमेन्ट ली गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वह मजदूरी के अलावा ठेका भी करता है और उसके पास सीमेन्ट का स्टाक रहता है।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या यह सही है कि इस हबीब मिस्त्री के नाम सरकार की तरफ से कोई परमिट नहीं है कि वह इस तरह से सीमेन्ट बेच सके। तो मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता था कि हबीब मिस्त्री से उधार सीमेन्ट लेने की क्या आवश्यकता थी, सरकार अन्य विभागों से भी तो सीमेन्ट ले सकती थी ?

श्री चरणसिंह—

हबीब मिस्त्री के पास सीमेन्ट कहां से आयी यह कृषि विभाग को मालूम नहीं। कृषि विभाग ने तो उससे कर्ज में लिया क्योंकि मार्च में रुपया अफसरान को मिला था और ३१ मार्च, तक काम उनको पूरा करना था। इस महीने के अन्दर उन्होंने प्लानिंग आफिसर, कलेक्टर और न मालूम कितने-कितने अधिकारियों से कोशिश की कि उनको सीमेन्ट मिल जाय लेकिन जब उनको सीमेन्ट मुहैया नहीं हुई तो उन्होंने जो मिस्त्री उनका काम करता था कंट्रैक्टर का उससे थोड़ा-सा सीमेन्ट ले लिया। उसके पास कहां से आया, यह उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की।

बाराबंकी जिले में सोने के व्यापारियों की बेकारी

*११—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में सोने के नियंत्रण कानून से सोने का काम करने वाले कितने व्यापारी बेकार हुए ? उन बेकारों को सरकार की ओर से कितने धन की किस-किस रूप में सहायता दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बाराबंकी जिले में स्वर्ण नियंत्रण कानून से ३९४ सोने का काम करने वाले व्यापारी बेकार हुए।

अभी उनको धन की सहायता नहीं दी गई है।

सहकारी भण्डारों द्वारा बीज का क्रय

*१२—श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में अलग-अलग कृषि विभाग की बीज योजना में प्रदेश में कितना बीज रबी तथा खरीफ में रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स से खरीद किये जाने का लक्ष्य था और कितना-कितना खरीदा गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कृषि विभाग द्वारा सन् १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ में रजिस्टर्ड ग्रोवर्स से बीज खरीदने का कोई लक्ष्य नहीं था और न कोई बीज कृषि विभाग द्वारा खरीदा गया। योजना यह थी कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में कृषकों को बीज सहकारी बीज भंडारों द्वारा बांटा जाय। सहकारी बीज भंडारों को ये आदेश दिये गये थे कि वे अपने स्टाक का २० प्रतिशत बीज प्रतिवर्ष तब्दील कराते रहें और रजिस्टर्ड ग्रोवर्स से बीज खरीदने की उनको सुविधा दी गई थी। रजिस्टर्ड ग्रोवर्स को कृषि विभाग द्वारा कृषि फार्मों से बीज दिये जाने की योजना थी। पूरे उत्तर प्रदेश के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ था। सहकारी बीज भंडारों ने रजिस्टर्ड ग्रोवर्स से बीज खरीदने के जो मांग-पत्र दिये और रजिस्टर्ड ग्रोवर्स से जो बीज खरीदा उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	सहकारी भंडारों द्वारा मांगे गये बीज के आंकड़े	सहकारी भंडारों द्वारा खरीदे गये बीज के आंकड़े
	क्विन्टल	क्विन्टल
१९६१-६२	१,७९,३२१	६४,६००
१९६२-६३	८५,२२८	४,५३३
१९६३–६४	७१,६०८	११,११९

श्री शिवराजसिंह—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में कोआपरेटिव सीड स्टोर्स द्वारा मंगाये गये तथा खरीदे गये उन्नत बीज की मात्राओं में इतना भारी अन्तर क्यों है ?

श्री चरणसिंह—

यह तो जैसा माननीय शिवराज सिंह को मालूम है कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी इसमें बहुत कुछ है। वह ऐसा क्यों नहीं कर सके यह तो सवाल उनसे पूछा जाय सीधे तो बेहतर रहेगा। इसमें ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट और कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट दोनों के कोआर्डिनेशन से यह काम चल रहा है। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की भी इसमें कुछ गलती हो सकती है, मैं उससे इंकार नहीं करता और अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं यह कहूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी इस विभाग के उप मंत्री हमारे साथ रहे हैं, उनको यह सारी कठिनाइयां मालूम हैं, इन सब बातों को यहां खोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवराजसिंह —

क्या इस बात को देखते हुए कि कोआपरेटिव सीड स्टोर्स ने तीसरी पंच वर्षीय योजना के तीन वर्षों में अपने स्टाक को उन्नत बीजों से नहीं बदला, क्या सरकार प्योर सीड ऐक्ट लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां, अभी बोर्ड आफ ऐग्रीकल्चर की मीटिंग हुई थी बस्ती जिले में और उससे पहले भी कुछ विचार इस पर हुआ था। अब फिर हम उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समस्या फिर आने वाली है। तो क्या बीज का पूरा-पूरा इन्तजाम हर बीज गोदाम में आप करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, बीज का इन्तजाम कुल सहकारी भण्डारों के पास है। उन से हम ने मालूम कर लिया है। १९, २० लाख मन गेहूं का बीज उन के पास है यानी ७ लाख २० हजार क्विन्टल। बाकी आधा टन बीज हासिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पंजाब से या और कहीं से लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। कुछ जमींदार या बड़े किसान भी ऐसे होते हैं जिन के पास बीज रहता है तो उन से भी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। वह कोशिश कहां तक कामयाब होगी अभी कहना मुश्किल है। हम को १ करोड़ मन बीज की आवश्यकता है। १ करोड़ एकड़ में गेहूं की खेती होती है। औसत १ करोड़ एकड़ भूमि की है तो एक करोड़ मन हम को बीज चाहिए लेकिन किसान अधिकतर बीज अपने पास रखते हैं। तो हम को १ करोड़ मन बीज के इतन्जाम करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ३३ लाख एकड़ यानी एक तिहाई रकबे के लिए जो पर्याप्त हो उतना हम को चाहिए।

श्री बृजबिहारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ये सहकारी बीज भण्डार और कृषि के जो भंडार हैं इनमें कोई आपस में कोआर्डिनेशन है ?

श्री चरणसिंह--

कोआर्डिनेशन है लेकिन दुनिया भर में कोआर्डिनेशन अमल में बड़ी भारी मुश्किल चीज साबित होती है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

मन्त्री जी ने शिवराज सिंह के उत्तर में कहा कि वह सब जानते हैं कि जिसको यहां पर बतलाना कोई फायदे की बात नहीं है तो क्या वह ऐसी कोई गोपनीय बात है जिस से सदन को अवगत कराना मुनासिब नहीं है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विजयसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि बीज वितरण का काम बीज कृषि भंडारों की ओर से होना चाहिए सहकारी बीज भंडारों की ओर से नहीं होना चाहिए क्योंकि कृषि विभाग ही बीज तैयार करता है और यह उसका ही काम है ?

श्री चरणसिंह--

१९४८-४९ के पहले बीज सपलाई करने की जिम्मेदारी केवल कृषि भंडारों की थी लेकिन उस साल यह तय हुआ कि बीज वितरण की जिम्मेदारी कोआपरेटिव भंडारों को दी जाय। लिहाजा जो कृषि विभाग के पास बीज भंडार थे ६६७ या ५६७--यह ठीक फीगर तो याद नहीं है--वह सब भंडार कोआपरेटिव को मय बीज के दे दिये गये थे। तभी से वह पालिसी चल रही है। अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए या किसी दूसरे विभाग की होनी चाहिए यह अपनी-अपनी राय का सवाल है। जब कृषि विभाग के पास बीज भंडार थे तब

[श्री चरण सिंह]

कृषि विभाग के कर्मचारियों की भी इस सिलसिले में बहुत शिकायत थी। इस लिए यह सोचा गया कि अगर इनको कोआपरेटिव विभाग को दे दिया जाय तो जनता की अपनी जिम्मेदारी हो जायगी और शिकायत कम होंगी। इसी आशा से कोआपरेटिव की मूवमेंट चल रही है ताकि आफिशियल्स का खर्चा और जो उन के खिलाफ शिकायत रहती है वह कम होती चली जाय। लोग कोआपरेटिव को अपने ऊपर जिम्मेदारी लें और इस काम को करें। इस नेशनल पालिसी के मातहत यह कृषि के बीज सप्लाई करने की जिम्मेदारी सहकारी भंडारों को दी गयी थी।

आजमगढ़ जिले में वन रोपण

*१३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में अब तक जंगल लगाने की योजना के अन्तर्गत कहां-कहां और कितने-कितने एकड़ में जंगल लगाया गया है और अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां।

पूर्व विवरण संलग्न† तालिका में उल्लिखित है।

*१४—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि अनेक स्थानों पर केवल गड्ढे खोद कर छोड़ दिये गये और तत्सम्बन्धी धन का दुरुपयोग हुआ है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं।

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में जो वन आरोपण के सम्बन्ध में १ लाख रुपया खर्च हुआ है वह गलत तरीके से व्यय हुआ है, गांव सभा में गड्ढे खोदकर छोड़ दिये हैं और विभिन्न अधिकारियों ने रुपया खा लिया है, इसकी जांच करायेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस में आम जांच की आवश्यकता नहीं है। जो खर्चा हुआ वह बहुत कम है। सब्सिडी के रूप में ९,३४७ रुपये १४ नये पैसे खर्च हुए और बाकी लोगों ने अपना काम अपने आप किया। कुल ३,११७ एकड़ में यह काम हुआ है।

खाण्डेदव ग्राम से शकर न मिलने की शिकायत

*१५—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ, ग्राम खाण्डेदव, पो० बन्थरा के १४७ व्यक्तियों द्वारा ता० १६ नवम्बर, १९६३ को जो प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री की सेवा में पेश किया गया था उस में श्री रामाशंकर तिवारी तथा रामप्रसाद तिवारी, जो चीनी की दूकान करते हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें की गयी हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई?

---

†छापी नहीं गयी।

नोट—सारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां। दूकानदार के विरुद्ध मुख्य शिकायत यह थी कि ग्राम खण्डेदव के निवासियों को उस की दूकान से शक्कर नहीं मिलती क्यों कि वह ग्राम प्रधान का रिश्तेदार है। जांच के उपरान्त पता चला कि दूकानदार के विरुद्ध आरोप सही नहीं हैं।

हमीरपुर जिले में सीमेण्ट वितरण तथा चरखारी में सस्ते गल्ले की दूकान

*१६---श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर को कितनी बोरी सीमेंट गत तीन माह के अन्दर दी गयी तथा महोबा और चरखारी तहसील को कितनी बोरी सीमेंट दी गयी तथा कबरई व चरखारी विकास संघों को कितनी बोरी सीमेंट दी गयी तथा विकास क्षेत्रों द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी बोरी किस कार्य हेतु सीमेंट वितरित की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वांछित †सूचना संलग्न है।

*१७---श्री मदनपालसिंह---

खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सत्य है कि चरखारी कस्बा, जिला हमीरपुर में सस्ते गल्ले की दूकान बाजार लूटे जाने के तीन दिन बाद खोली गयी जब कि दूकान खोलने के प्रार्थना-पत्र पहले से जनता द्वारा दिये गये थे और उसी के फलस्वरूप यह घटना घटी थी तो क्या सरकार ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो इस घटना के जिम्मेदार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह सही है कि सस्ते गल्ले की दूकान उस घटना के बाद खुली जो कुछ फड़ियों द्वारा कम तौल देने के कारण घटी थी। दूकान खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र उक्त घटना के पहले प्राप्त हुये थे और दूकान खोले जाने के आदेश भी हो चुके थे। दूकान न खुलने का और लूट की घटना से कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि वह, जैसे पहले कहा जा चुका है, कतिपय ग्राहकों और एक फड़िये के बीच हुए विवाद से आरम्भ हुई। इसलिए शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिले में सीमेण्ट वितरण

*१८---श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत १ अगस्त, १९६३ से २५ फरवरी, १९६४ तक जिले के प्रत्येक विकास खण्ड को कितनी-कितनी सीमेंट प्राप्त हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

१ अगस्त, १९६३ से २५ फरवरी, १९६४ तक कानपुर जिले के समस्त २० विकास खण्डों द्वारा ४९,०६२ बोरी सीमेंट प्राप्त हुई थी जिसका विवरण सूची संख्या १ में संलग्न है :—

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१२ पर)

†छापी नहीं गयी।

*१९—श्री शिवनार्थासिह—

क्या मन्त्री जी विकास खण्ड, घाटमपुर, पतारा, भीतर गांव, मलासा, अमरौधा में प्राप्त सीमेंट की वितरण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे, सीमेंट प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के नाम पते व प्राप्त सीमेंट क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना †सूची संख्या २ में संलग्न है।

कटेहर क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें

*२०—श्री रघुनार्थासिह—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के कटेहर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दूकान खुल चुकी हैं और किन-किन न्याय पंचायतों के लिए लाइसेंस देने की बात विचाराधीन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१३ पर)

कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा

*२१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि निम्नलिखित श्रेणी के राजकीय कृषि फार्मों पर १९६०-६१ तथा १९६०-६२ में (१) गेहूं, (२) धान, (३) गन्ना प्रति मन पैदा करने पर औसत का लागत (व्यय) लगा,

(क) राजकीय कृषि फार्म,

(ख) राजकीय यान्त्रिक कृषि फार्म ।

श्री चरणसिंह—

राजकीय कृषि फार्मों तथा राजकीय यान्त्रिक कृषि फार्मों पर १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में गेहूं, धान और गन्ना पैदा करने पर प्रति मन लागत (व्यय) निम्नलिखित है :—

		१९६०-६१	१९६१-६२
		रु०	रु०
(क) राजकीय कृषि फार्म ..	(१) गेहूं ..	२०.००	१७.७९
	(२) धान ..	१४.१२	१५.७१
	(३) गन्ना ..	१.५५	१.५१
(ख) राजकीय यान्त्रिक कृषि फार्म ..	(१) गेहूं ..	१८.१७	१८.१९
	(२) धान ..	१६.१८	२५.१४
	(३) गन्ना ..	१.३४	१.९६

†छापी नहीं गयी।

*२२--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार यह ब्योरा देने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक (क) राजकीय कृषि फार्म तथा (ख) राजकीय यान्त्रिक कृषि फार्म पर कितना-कितना (१) आय, (२) व्यय, (३) हानि या लाभ हुआ ?

श्री चरणसिंह--

वांछित सूचना संलग्न †तालिका में दी गयी है।

*२३--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने बीज प्रचार कृषि फार्म हैं और पिछले पांच वर्षों में इन फार्मों पर (१) कितना आय, (२) व्यय, (३) हानि या लाभ हुआ ?

श्री चरणसिंह--

प्रदेश में कोई भी बीज प्रचार कृषि फार्म नहीं है।

लखनऊ में कुर्मी पाठशाला के निकट सार्वजनिक शौचालय न बन सकना

*२४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

प्रथम सत्र १९६४ के ५वें सोमवार के तारांकित प्रश्न सं० ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या पशुपालन विभाग को, जो भूमि मिल गयी है, अभी उस के कम्पेन्सेशन का केस चल रहा है ? यदि हां, तो क्या भूमि पशुपालन विभाग को विधिवत् हस्तगत हो गयी है ?

श्री चरणसिंह--

पशुपालन विभाग को भूमि विधिवत् रूप से लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, लखनऊ, के हस्ताक्षर सहित, पजेशन सार्टिफिकेट द्वारा दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ को मिल गयी थी, जिसका भुगतान ३०,३०० रु० लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, लखनऊ, को वितरण हेतु दिया जा चुका है।

चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन, लखनऊ से श्री अब्दुल कयूम को शिकार का परमिट

*२५--श्री अखण्डप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा प्रकाशित पुस्तिका Hunting and Fishing in Uttar Pradesh Rules and Regulations (Oct. 1963) के पृष्ठ पांच पर दिये गये नियम १४ में कोई शासकीय संशोधन किया गया है अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं। लेकिन जब यह देखा गया कि डी० एफ० ओ० अपने लिए ब्लाक्स नहीं मांगते थे तो चीफ वाइल्ड लाइफ वारडन ने आकस्मिक मांगों को पूरा करने के लिए सभी डी० एफ० ओ० के नाम ब्लाक्स सुरक्षित करना शुरू कर दिया। इस के फलस्वरूप जो संशोधन इस निर्देश पुस्तिका में होना चाहिए था वह १९६३ के संस्करण में नहीं हो पाया।

---

†छापी नहीं गयी।

*२६--श्री अखण्डप्रतापसिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या यह सच है कि करांची के किसी शिकारी श्री अब्दुल कयूम को सन् १९६३ में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन द्वारा उस के करांची के पते पर यह लिखा गया था कि उस को स्वतन्त्र शिकार खेलने की आज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती और वह जब लखनऊ आकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन से स्वयं मिले तो उन को शिकार खेलने का परमिट तत्काल दे दिया गया ?

श्री चरणसिंह--

जी हां, सरकार के इस आदेश को कि विदेशियों को शिकार खिलाने के लिए केवल मान्यता प्राप्त शिकार कम्पनियों को ही स्वीकृति दी जाय, मुख्य: वन्य-जन्तु प्रतिपालक ने गलत समझा और श्री कयूम को कराची के पते पर यह लिख दिया कि वे केवल मायन्ता प्राप्त शिकार कम्पनी के द्वारा ही शिकार खेल सकते हैं। तदुपरान्त जब श्री कयूम मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक से यहां आकर मिले तो यह स्पष्ट हुआ कि वे एक विदेशीय पर्यटक की हैसियत से नहीं आये हैं और उन को एक खाली शिकार खण्ड में शिकार खेलने की आज्ञा दे दी गयी।

बदायूं जिले को कृषि यंत्र के लिये तकावी

*२७--श्री शिवराजसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६३-६४ में बदायूं जिले के कृषि यंत्र खरीदने हेतु कितनी रकम तकावी लोन बांटने को दी गयी ?

श्री चरणसिंह--

कुल रु० १२,०००।

*२८--श्री शिवराजसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६३-६४ में कृषि यंत्र खरीदने हेतु कितनी रकम के प्रार्थना-पत्र तकावी लोन प्राप्त करने हेतु बदायूं जिले में प्राप्त हुये ? उनमें से कितनी रकम के लोन मंजूर किये जा चुके हैं, कितनी रकम के लोन नकद और यंत्रों के रूप में ३१ जनवरी, १९६४ तक वितरित किये जा चुके हैं ?

श्री चरणसिंह--

कुल ३५,२४८.७७ रु० के लोन के लिये प्रार्थना-पत्र आये। जिनमें से १७,६९४.७७ रु० की तकावी ऋण की स्वीकृति दी गई।

लोन नकदी रूप में नहीं दिया जाता है। ३१ जनवरी, १९६४ तक २१५ रु० का लोन यंत्रों के रूप में वितरित किया गया था।

बहोरवा खुर्द में सस्ते गल्ले की दूकान

*२९--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीयर विकास खंड, जिला बलिया के ग्राम बहोरवां खुर्द सरकार सस्ते गल्ले की दूकान को विल्थरा रोड, जिला बलिया के किसी दुकानदार को कब से दी गई है। और उसने २ फरवरी, १९६४ के पहले और अब तक कितनी बार गल्ले की निकासी कराई है और दूकान को खोला है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सीयर विकास खंड जिला बलिया के ग्राम बहोरवा खुर्द में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान वेल्थरा रोड निवासी श्री शिवानन्द को २२ अक्तूबर, १९५९ को स्वीकृत हुई थी। उन्होंने दिनांक २ फरवरी १९६४ के पूर्व ११८ बार गल्ले की निकासी करायी और १,२४३

दिन दूकान खोली। तथा २ फरवरी, १९६४ से लेकर २६ अप्रैल, १९६४ तक जब तक उक्त दूकानदार ने दूकान चलाई, केवल चार बार निकासी कराई एवं २७ दिन दूकान खोली।

*३०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दूकान की जांच न खुलने की शिकायत पर सुपरवाइजर कानूनगो सीयर, जिला बलिया द्वारा हुयी थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट पर कौन-सी कार्यवाही की गयी और परिणाम क्या हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। उनकी रिपोर्ट के फलस्वरूप उक्त दूकान रद्द कर दी गई तथा उसके स्थान पर नई नियुक्ति कर दी गई है।

कृषि फार्म, बाराबंकी

*३१--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशुधन कृषि फार्म (निवलेट फार्म) बाराबंकी में कर्मचारियों, टैक्निकल स्टाफ, व अन्य श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाती है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां।

*३२--श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सच है कि उपरोक्त स्टेट फार्म के चिट्ठे (हाजिरी रजिस्टरों) में साप्ताहिक अवकाश दिखाया जाता है, परन्तु वास्तव में साप्ताहिक अवकाश की सुविधा श्रमिकों को नहीं दी जाती ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं, ऐसा नहीं होता।

*३३--श्री रियासत हुसैन--

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार उपरोक्त स्टेट फार्म में कर्मचारियों व श्रमिकों को जिस क्रम से साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है उसकी तालिका (सूची) नोटिस बोर्ड पर नहीं लगायी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

जी हां, अवकाश की सूचना क्षेत्र अधीक्षक ने अब तक नोटिस बोर्ड पर निर्धारित फार्म उपलब्ध न होने के कारण नहीं लगाई, किन्तु जिस क्रम से साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है उसकी सूचना क्षेत्र अधीक्षक स्वयं एक दिन पहले ही हाजिरी के समय श्रमिकों को दे दिया करते हैं।

हाउसिंग बोर्ड

*३४--श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)--

क्या यह सत्य है कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ने मकान बनाने के लिये ऋण देने की योजना बन्द कर दी है तथा सरकार उसकी जगह पर एक हाउसिंग कारपोरेशन बनाने जा रही है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये नए ऋण देना बन्द कर दिया है। ऋण वितरण के लिये बैंक के स्थान पर दूसरी एजेन्सी नियुक्त किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड बनाने के प्रश्न पर इस से पहले से ही विचार अलग से सरकार के विचाराधीन है।

*३५—श्री तमेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जब तक यह हाउसिंग कारपोरेशन नहीं बन जाता तब तक इस अन्तरिम अवधि में सरकार इस योजना को किस तरह कार्यान्वित करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बुलन्दशहर जेल का वेजिटेबिल्स फार्म तथा सयाना क्षेत्र में कलमी आम के बाग

*३६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को मालूम है कि बुलन्दशहर जेल के वेजिटेबिल्स फार्म पर गर्मियों में सब्जियों को पानी की अधिक आवश्यकता होने के कारण रहट से भली प्रकार से सिंचाई नहीं हो पाती है और सब्जियों की फसल को अधिक हानि पहुंचती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक छोटा-सा नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बुलन्दशहर जिला जेल पर केवल ३.५ एकड़ भूमि है जिस पर तरकारी पैदा की जाती है। इस भूमि की सिंचाई के लिये एक कुंआ है जिसकी बोरिंग मार्च १९६३ में हुई है। कुयें में रहट लगी है। गर्मियों में सिंचाई की कुछ कमी महसूस की जाती है। इसलिये एक कुंआ बनवाने का और तखमीना मांगा गया है। जमीन के क्षेत्र को देखते हुये नलकूप लगाना उचित नहीं समझा गया।

*३७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र सयाना (जिला बुलन्दशहर) में सन् १९६२ में कितने एकड़ तथा सन् १९६३ में कितने एकड़ कलमी आम के बागात लगाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सन् १९६२ में ७४ एकड़ तथा सन् १९६३ में १२७ एकड़ भूमि में कलमी आम के बाग लगाये गये।

*३८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि एक या दो वर्ष की आयु के नये बागात में शीत लहर व पाले से विधान सभा क्षेत्र सयाना में अधिकतर पौधे मारे गये जिस से कि कृषकों को अधिक हानि पहुंची ? क्या सरकार इस का संरक्षण करके ऐसे कृषकों को मुफ्त कलमी आम के पौधे देगी जिस से कि वह अपने बागात में पाले से मारे हुये पौधों की पूर्ति कर सकें ?

श्री चरणसिंह—

प्रायः १८ से २० प्रतिशत तक कलमी आम के पौधों को हानि पहुंचने का अनुमान है। कृषि विभाग में मुफ्त पौधों के वितरण का कोई ऐसा प्राविधान नहीं है।

करनैलगंज नगरपालिका में सी० पी० टैक्स

*३९—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या यह सच है कि जिलाधीश गोंडा ने करनैलगंज नगरपालिका को १९६२-६३ व १९६३-६४ सी० पी० टैक्स लगाने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका करनैलगंज ने सी० पी० टैक्स वहां के नागरिकों से वसूल किया है ? यदि हां, तो कितना और क्या सरकार नगरपालिका करनैलगंज को यह आदेश देने की कृपा करेगी कि वसूलशुदा सी० पी० टैक्स नागरिकों को वापस कर दें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य का आशय सम्भवत: करनैलगंज नगरपालिका द्वारा लगाये गये सी० पी० टैक्स बाबत सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ की सूची से है। इस सम्बन्ध में नगरपालिका ने सूचित किया है कि सी० पी० टैक्स लगाने की सूची पर जिलाधीश की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। बोर्ड स्वयं सी० पी० टैक्स वसूली के लिये असेसमेंट लिस्ट तैयार कर सकता है और उज्रदारी सुनने के बाद टैक्स वसूल कर सकता है। इसी आधार पर बोर्ड ने नागरिकों से टैक्स वसूल किया है।

१९६२-६३ तथा १९६३-६४ के टैक्स के मद में अब तक वसूल किया गया धन कुल ७,२७८.५० रु० है। उपर्युक्त परिस्थिति में टैक्स की वापसी का प्रश्न नहीं उठता।

चमोली जिले में खाद्य स्थिति

*४०—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चमोली जिले में गेहूं व चावलों का भाव ४० रुपया मन तक बाजारों में विक्रयार्थ पहुंच गया है ? यदि हां, तो सरकार ने भावों के नियंत्रणार्थ क्या व्यवस्था की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार के पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है कि गेहूं व चावल का भाव ४० रुपये प्रतिमन हो गया है। ७, जुलाई १९६४ को गेहूं का भाव ७७ रुपये व चावल का भाव ९९ रुपये प्रति क्विंटल था। वहां पर ९० सस्ते गल्ले की दुकानें चालू हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति परिवार ३० रुपये का तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को ८ कीलोग्राम गल्ला प्रति माह दिया जाता है। पहाड़ी खाद्यान्न भंडारों से गेहूं ४२.३६ रु० प्रति क्विंटल देने का प्रबन्ध किया गया है। जिलाधीश इस भाव पर दूकान तक ले जाने का खर्चा तथा दूकानदार का ५ प्रतिशत नफा लगाकर फुटकर भाव नियत कर देते हैं, जो लगभग २ सेर प्रति रुपया होता है।

*४१—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चमोली, गढ़वाल, उत्तरकाशी आदि पर्वतीय जिलों में जनता को आवश्यकतानुसार गेहूं-चावल आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहें इसके लिये सरकार की ओर से क्या-क्या प्रबन्ध व व्यवस्थायें की गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सम्बद्ध जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह उचित संख्या में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की व्यवस्था करें जिस से जनता को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा तथा मूल्य पर गेहूं, चावल आदि प्राप्त हो सके।

गल्ले का व्यापार

*४२--श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार ऐसी योजना बनाने की कृपा करेगी जिससे कि गल्ले के पक्के और कच्चे आढ़तियों के बजाय कृषि द्वारा उत्पादित वस्तु का व्यापार केवल सहकारिता समितियों द्वारा ही हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह अखिल भारतीय स्तर की एक नीति का विषय है जो अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

जिला पूर्ति कार्यालयों के कर्मचारी

*४३--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालयों के लिए कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, उनका वेतन-क्रम क्या है तथा उनकी पदोन्नति का क्रम क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उत्तर प्रदेश जिला पूर्ति कार्यालयों के लिए स्वीकृत पद तथा उनका वेतन-क्रम निम्नलिखित है :--

पद	वेतन-क्रम
	रु०
चीफ इन्स्पेक्टर	१६०--५--२००
सीनियर इन्स्पेक्टर	११०--५--१६०
इन्स्पेक्टर, [सप्लाई सर्किल, आयरन, ए० एफ० जी० आई०, जूनियर इन्स्पेक्टर (रेन्ट)]	८०--५--१२०
जूनियर इन्स्पेक्टर (फूड)	६५--३--८०--८० रो०--५--९०
एकाउन्टेन्ट	१००--१०--१६०
हेड क्लर्क (कवाल टाउन)	१००--८--१४०--१०--१६०
हेड क्लर्क (अन्य टाउन)	८०--५--१००
स्टेनोग्राफर	७५--४--९५--८० रो०--५--१३०
सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क	७५--५--१००
क्लर्क	६०--३--९०

उपरोक्त पदों पर पदोन्नति अधिकतर नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों में से उनकी ज्येष्ठता तथा कार्य के आधार पर की जाती है।

*४४--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति कार्यालयों के कर्मचारियों की उन्नति वेतन-स्तर के अनुसार होती है अथवा किसी अन्य प्रकार से ? यदि अन्य प्रकार से, तो वह क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। अधिकतर पदोन्नति वेतन स्तर के अनुसार होती है।

देवरिया जिले में सीमेण्ट

*४५---श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में जनवरी, सन् १९६३ से ३० अप्रैल, १९६४ तक कुल कितना सीमेंट एलाट हुआ, कितना आयात हुआ, कितना खण्ड विकास अधिकारियों तथा कैन अधिकारियों को दिया गया और कितना-कितना किस-किस कार्य के लिए किस-किस खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वितरित किया गया ? देवरिया जनपद को इस प्रकार के इश्यू हुए परमिटों का प्रतिशत आयात के अनुसार कितना रहा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५१४ पर)

*४६---श्री कृष्णा---

क्या सरकार देवरिया जनपद की जनता की मांग एवं आवश्यकताओं को देखते हुए निजी कार्यों के लिए जनपद के एलाटमेंट का ५० प्रतिशत कोटा देगी ? सीमेंट के वितरण का केन्द्रीयकरण केवल जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

निजी कार्यों के लिए जनपद के एलाटमेंट का ५० प्रतिशत कोटा देना अभी सम्भव नहीं है। सीमेंट के वितरण का केन्द्रीयकरण भी केवल जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से कराना सम्भव नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था से गांवों के रहने वालों को असुविधा होती है।

*४७---श्री रामसुन्दर पांडेय---

[हटा दिया गया।]

धान व गेहूं बोने के संबंध में सुझाव

*४८---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एन० पी० ८३० जाति का गेहूं तराई के इलाके में विलम्बकालीन धान के कटने पर दिसम्बर मास के बोने पर भी ऊंची उपज देता है ? यदि हां, तो इस गेहूं को गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया के तराई के इलाके में क्या सरकार व्यापक पैमाने पर बुआने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---

जी हां। किन्तु तराई इलाका देहरादून से देवरिया जिला तक फैला हुआ है। अतः जलवायु में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए देर से बोई जाने वाली तथा शीघ्र पकने वाली गेहूं की किस्मों पर अनुसंधान कार्य क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्रों पर किया जा रहा है। उपयुक्त किस्मों के निश्चय के पश्चात् पूर्ण रूप से अपनाने के लिए राय दी जा सकेगी।

*४९---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौ की नयी किस्म के ०७ को भी उक्त तराई के जिलों में बुआने की क्या वह व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो किस पैमाने पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

जौ की कोई भी नवीन किस्म ०७ के नाम से नहीं है। अतः बोआने की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ झेल यानी खरीफ को मौसम के लिए धान की एक विकसित किस्म यानी चकिया ५९ का पता लगाया गया है जो कि १२ फुट गहरे पानी में सुरक्षित रूप से पैदा की जा सकती है तथा १५ दिन तक की बुड़ारी को भी सह सकती है? यदि हां, तो क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार कराया गया है? यदि हां, तो वह क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--

जी हां। इसके प्रचार के लिए प्रयास किया जा रहा है। पयागपुर (बहराइच) के कई सौ एकड़ भूमि में यह किस्म बोई जा रही है। इस किस्म का बीज १९६१-६२ से प्रदेश के विभिन्न उन्नतिशील कृषकों, राजकीय कृषि क्षेत्रों तथा कृषि बीज भंडारों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, केरल तथा देहली राज्यों को भी इस किस्म का थोड़ा-थोड़ा बीज भेजा जा चुका है।

पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों को पारितोषिक देने का सुझाव

*५१--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार जिला पूर्ति कार्यालयों के ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिन्होंने चोर बाजारी (ब्लैक मार्केटिंग) आदि रोकने के लिए अपराधियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए, कोई पारितोषिक देने के लिए विचार करेगी ताकि होने वाली चोर बाजारी, आवश्यक वस्तुओं का अधिक भाव बढ़ना रुक सके? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां।

इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को पारितोषिक देने के लिए प्राविधान किए जाने पर सरकार को विचार करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

*५२--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति कार्यालय के उन कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के लिए कोई अस्त्र जैसे रिवाल्वर व पिस्तौल अथवा इसका लाइसेन्स देने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता ली जाती है। अतः कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के लिए रिवाल्वर व पिस्तौल अथवा इसका लाइसेन्स देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*५३-५४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[३० जुलाई, १९६४ के प्रश्न ५३-५४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

प्रतिष्ठानों में सस्ते गल्ले की दूकानें

*५५--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में इस प्रकार की कोई घोषणा की गई थी कि उन मिलों में एक सस्ते गल्ले की दूकान की व्यवस्था की जायेगी, जहां तीन सौ से अधिक श्रमिक काम करते हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां।

*५६--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस दृष्टि से कितनी मिलों में दूकानों की व्यवस्था की जा चुकी है तथा कितनी में करना शेष है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस दृष्टि से १०७ प्रतिष्ठानों में सस्ते गल्ले की दूकानों, उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना हो चुकी है तथा ७८ प्रतिष्ठानों में स्थापना होनी शेष है।

शकर वितरण व्यवस्था

*५७--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने नगरों में शकर वितरण की व्यवस्था एसोसिएशनों द्वारा की जा रही है तथा कितने स्थानों पर सरकार व्यापारियों को सीधे शकर वितरण के लिए देती है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लाइसेन्स प्राप्त चीनी व्यापारियों तथा जिला सहकारी विकास संघों, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडारों आदि जैसी सहकारी संस्थाओं द्वारा चीनी मिलों से उठवा कर वितरण कराया जाता है।

खाद्य सलाहकार समिति

*५८--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने राज्य स्तर पर कोई खाद्य सलाहकार समिति बनाने का निश्चय किया है? यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा क्या कार्य किया जायगा तथा इसकी पूरी रूप-रेखा क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में १८ सदस्यों की एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य निम्नलिखित होगा :

(१) राज्य की खाद्य स्थिति पर दृष्टि रखना और सरकार को खाद्य नीति पर परामर्श देना।

(२) प्रदेश में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति, बाजार भाव तथा उसके यातायात पर विचार करना।

(३) खाद्यान्नों के वितरण पर सरकार को सुझाव देना।

(४) प्रदेश में समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कदम उठाने में राज्य सरकार को सुझाव देना।

सयाना को नगरपालिका बनाने की मांग

*५९---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सयाना, जिला बुलन्दशहर जोकि इस समय एक टाउन एरिया है को अब तक म्युनिसिपल बोर्ड का स्तर क्यों नहीं प्रदान किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

टाउन एरिया कमेटी सयाना को म्युनिसिपल बोर्ड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव या सुझाव शासन के पास अभी तक किसी भी सूत्र से प्राप्त नहीं हुआ है।

*६०---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनगणना के अनुसार कितने म्युनिसिपल बोर्ड राज्य में ऐसे हैं जो कि सयाना टाउन एरिया से छोटे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जनगणना के अनुसार राज्य में केवल २४ नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनकी जन-संख्या सयाना टाउन एरिया से कम है।

मेरठ जिले में शकर वितरण

*६१---श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में शकर का होलसेलरों को वितरण अप्रैल, १९६३ मास से अब तक किस प्रकार किया गया तथा किस फर्म को कितना मासिक कोटा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अप्रैल, सन् १९६३ से जुलाई, सन् १९६३ तक शकर का होलसेलरों के बीच वितरण गत १९५९-६१ के शकर नियन्त्रण के आधार पर किया गया, उसके बाद से उनके पिछले तीन वर्षों के शकर के कारोबार के औसत के अनुपात में उन्हें कोटा एलाट किया जा रहा है। जो कोटा एलाट किया गया उसकी †सूचना संलग्न है।

*६२---श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या सरकार अप्रैल तथा मई, १९६४ मास में शकर वितरण के सम्बन्ध में प्रसारित आज्ञाओं की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

शकर वितरण सम्बन्धी जारी किये गये आदेशों की एक †प्रतिलिपि संलग्न है।

मेरठ में शकर वितरण

*६३---श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)---

मेरठ नगर में मार्च, अप्रैल तथा मई, १९६४ में जितनी शकर कुल वितरित की गई, उसके बारे में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह अनुसार कितनी शकर हलवाई, मिठाई वालों आदि को दी गई तथा कुल कितनी शकर उपभोक्ता कार्ड होल्डर्स को दी गई ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित †सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१५ पर)

*६४-६५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिये गये।]

*६६-६७—श्री जमीलुर्रहमान किदवई (जिला बाराबंकी) तथा श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

[१० अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न ३७-३८ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

शकर का बढ़ा मूल्य

*६८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रति क्विन्टल चीनी का भाव कितना बढ़ाया है और यह कब से प्रभावकारी है तथा क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के पास कोई परिपत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चीनी का एक्स फैक्ट्री मूल्य केन्द्रीय सरकार ही निर्धारित करती है। २२ मई, १९६४ से भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की चीनी मिलों के भावों में संशोधन किये हैं, इसका विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

भारत सरकार से प्राप्त आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५१६ पर)

मेरठ जिले में फैब्रीकेटर्स

*६९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में सरकार द्वारा नियुक्त कितने और किस-किस श्रेणी के कौन-कौन फेब्रीकेटर्स हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

सूची संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे प्रष्ठ ५१७ पर)

*७०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में डी० एस० ओ० द्वारा लोहा तथा इस्पात का वितरण किस आधार से किया जाता है ? क्या एप्रूव्ड फेब्रीकेटर्स के अतिरिक्त भी उनके निर्धारित कोटे को अन्य को वितरण कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

एप्रूव्ड फेब्रीकेटर्स के कोटे का वितरण प्रादेशिक लोहा एवं इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्धारित श्रेणीबद्ध अनुपात से किया जाता है तथा फेब्रीकेशन का कोटा केवल फेब्रीकेटर्स को ही वितरित किया जाता है किसी अन्य को नहीं।

गोंडा जिले में सीमेण्ट, लोहा व कोयला का वितरण

*७१–श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के वर्तमान पूर्ति अधिकारी के समय कितना सीमेंट, टिन, लोहा एवं कोयला बाहर से आया और अब तक ब्लाक वाइज कितना-कितना दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी ––

सूचना निम्नलिखित है :––

सीमेन्ट				७०,९७५ बोरी
कोयला––				
कोयला चूर	..	..	..	२१० बैगन
साफ्ट कोक	..	..	..	३७ ,,
स्टीम कोल	..	..	..	१ ,,
लोहा ––				
काली सादी चादरें	..	..		४ टन ९ क्वीन्टल ८८ किलोग्राम
सफेद सादी चादरें				२२ मे० टन ३ क्वीन्टल ४६ किलोग्राम

ब्लाक वाइज सीमेन्ट के वितरण का विवरण संलग्न है ।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, वह ब्लाक वाइज नहीं वरन् भट्ठे वालों को एवं कोयले के दूकानदारों में अनुपाततः बांट दिया गया ।

लोहे का वितरण भी ब्लाक वाइज नहीं किया गया । काली सादी चादरें भट्ठे वालों को चिमनी आदि बनाने के हेतु दी गईं । सफेद सादी चादरें कृषि कार्य के लिये प्राप्त हुई थीं जिनका वितरण भी ब्लाक वाइज नहीं किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५१८ पर)

खागा तहसील में शकर वितरण

*७२––श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)––

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के १ मई, १९६३ से ३० अप्रैल, १९६४ तक तहसील खागा के शकर के रिटेलर्स को अलग-अलग कहां से कब-कब कोटा उठाने का एलाटमेंट हुआ ? जबकि खागा में और किशनपुर में होलसेलर्स हैं तो उनको वहां से कोटा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––

वांछित सूचना संलग्न †अनुसूची 'क' व 'ख' में दी है ।

मई, १९६४ के पूर्व खागा तहसील में केवल दो होलसेलर थे जिनके यहां खागा तहसील के समस्त रिटेलरों को शकर देने के लिये कोटा पूरा नहीं होता था, इसलिये खागा के कुछ रिटेलर्स को फतेहपुर तहसील के होलसेलरों के यहां से कोटा दिया गया था ।

---

†छापी नहीं गई ।

*७३--श्री रक्षपालसिंह--

क्या सरकार यह आदेश देने की कृपा करेगी कि खागा तहसील के रिटेलर्स को उनके पास के होलसेलर्स के यहां से कोटा दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

खागा में एक होलसेलर और नियुक्त कर दिया गया है और अब खागा के रिटेलरों को खागा के होलसेलरों के यहां से ही कोटा एलाट किया जा रहा है ।

*७४--श्री रक्षपालसिंह--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि खागा टाउन एरिया में २० अप्रैल, १९६४ के पूर्व शकर का स्टाक आ गया था ? यदि हां, तो रामनवमी के अवसर पर कार्ड होल्डर्स को शकर क्यों नहीं वितरित की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

खागा टाउन एरिया के जिस होलसेलर के यहां से उस क्षेत्र के रिटेलरों को कार्ड पर वितरण हेतु शकर मिलती है उसके यहां शकर २० अप्रैल, १९६४ से पूर्व नहीं आई थी अतः उस क्षेत्र में रामनवमी पर शकर अलग से देने का प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर तहसील में सीमेंट वितरण

*७५--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के द्वारा लोगों को सीमेंट का परमिट किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

तहसीलदार, अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा सीमेन्ट का परमिट प्रार्थियों को क्रमानुसार दिया जाता है ।

*७६--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार उन बीस आदमियों का नाम बताने की कृपा करेगी जिनको दिनांक १२ मई, १९६४ से १२ जून, १९६४ तक सबसे अधिक सीमेंट का परमिट दिया गया ?

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५१९ पर)

*७७--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या यह सच है कि १५ मई, १९६४ को परमिट नं० २७, २८, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४ तथा ३५ एक ही आदमी के नाम से दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं । ये परमिट भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम से दिये गये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर वन प्रखण्ड का ठेकेदारों पर बकाया

१--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर वन प्रखन्ड के किन-किन ठेकेदारों के ऊपर कितना-कितना रुपया किस-किस वर्ष का सरकार का बाकी है और क्यों ?

श्री चरणसिंह--

३० मई, १९६४ तक बकाया की वांछित सूचना संलग्न† सूची में दी हुई है। कुल बकाया रुपया १०,२१,११५.४९ पैसे हैं। १९४७-४८ से १९६२-६३ तक की बकाया †सूची में दी गई है।

कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई

२--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) तथा श्री गनेलीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को १९६३ में मिठाई लाल कैदी नं० १५३ (जिला जेल, गोंडा) पुत्र राम अचल तथा बृजलाल कैदी नं० ६६९८ (जिला जेल, गोरखपुर), पुत्र राम अचल का, जिन्हें दफा ३०७, आई० पी० सी० में कोतवाली थाना बस्ती, से २६ जुलाई, १९६१ को चार-चार वर्ष की सजा हुई थी समय से पूर्व रिहा किये जाने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, १९६३ में इन दोनों बन्दियों से उनको प्रोबेशन पर छोड़े जाने के लिये आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुये थे। बन्दी मिठाई लाल के आवेदन-पत्र पर शासन ने यह आदेश दिया कि उसके मामले को उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया जाय जब तक उचित जमानती (guardian) न मिल जाय, किन्तु वह अभी तक कोई उचित जमानती नहीं प्रस्तुत कर पाया है। बन्दी बृज लाल के आवेदन-पत्र पर शासन ने उसके मामले को १७ अक्तूबर, १९६३ को एक वर्ष के लिये स्थगित किये जाने का आदेश दिया।

३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६३ में कितने कैदी अपनी सजा की अवधि पूरी करने से पूर्व ही प्रदेश की जेलों से रिहा किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

कुल २५९ बन्दी रिहा किये गये।

४--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त रिहा किये जाने वाले कैदियों में से कितने हिस्ट्री-शीटर रह चुके थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

कृषि फार्म, बाराबंकी के अस्थायी कर्मचारी

५--श्री रियासत हुसैन--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशुधन कृषि फार्म (निबलेट फार्म) बाराबंकी में विगत १० वर्षों से नियुक्त कर्मचारियों को अभी तक नौकरी में मुस्तकिल (कनफर्म) नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--

राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म निबलेट (बाराबंकी) में विगत १० वर्षों से नियुक्त केवल एक कर्मचारी के अतिरिक्त जिसका कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है, सभी कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं।

---

†छापी नहीं गयी।

पर्वतीय जिलों में मिलने वाले आटे क सम्बन्ध शिकायत

६---श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी---

क्या खाद्य मंत्री को यह ज्ञात है कि चमोली जिले में कई महीनों से सड़ा गला व कीड़ों का खाया हुआ व उनके द्वारा अधिकांश आटा बना हुआ गेंहूं सरकारी गल्ले की दूकानों में बिक्री हो रहा है ? यदि हां, तो मंत्री जी जिला अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भेजने की कृपा करेंगे जिससे भविष्य में जिला अधिकारी इस प्रकार अनाज की बिक्री को रोकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

७---श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि चमोली आदि कुछ पर्वतीय जिलों के लिये सरकार की तरफ से आटे का भंडार मुरादाबाद में स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यातायात तथा अन्य असुविधाओं व कठिनाइयों को देखते हुये जिला चमोली, गढ़वाल को कोटद्वार में और टेहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी के लिये ऋषिकेश में सरकारी आटे के भंडारों को स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

८---श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी---

क्या सरकार आटे पर सबसिडी देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं ।

बुलन्दशहर जिले को गेहूं व आटे की सप्लाई

९---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर को राज्य सरकार ने जनवरी, सन् १९६४ के लिये कितना व फरवरी सन् १९६४ के लिये कितना गेहूं और आटे का कोटा देना निश्चित किया था और उन महीनों में कितना-कितना सरकार द्वारा दिया गया ? यदि कोटे से कम दिया गया, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बुलन्दशहर जिले को जनवरी, १९६४ के लिये १२९२ टन गेहूं तथा ५०० टन आटा और फरवरी के लिये ५२१२ टन गेहूं तथा ६०० टन आटा का कोटा देना निश्चित किया गया था। जनवरी में १२०७.७५ टन गेहूं ४५० टन आटा फरवरी में २०३८.९५ टन गेहूं ६०० टन आटा दिया गया। निश्चित कोटे से कम देने का कारण यह था कि भारत सरकार ने जो ऐलाटमेण्ट किये थे, वह एक्स कैलकटा और दीघा थे, जिनके आने में देर हुई ।

१०---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जनवरी व फरवरी, सन् १९६४ में गेहूं और आटे का कोटा उन महीनों के लिये कौन-कौन सी तिथियों को प्राप्त हुआ और क्या वह आवश्यकतानुसार था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्रों में जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उनको कितने-कितने समय तक गल्ला सरकार की ओर से जनवरी तथा फरवरी, सन् १९६४ में प्राप्त नहीं हुआ और जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह क्या आवश्यकतानुसार था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्रों की सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ला सभी तिथियों में क्रम से दिया गया। फरवरी के पहिले पखवाड़े में गल्ले के आने में देर होने के कारण आवश्यकतानुसार गेहूं नहीं दिया जा सका किन्तु दूसरे पखवाड़े में सभी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को आवश्यकतानुसार दिया गया।

देवारिया जिले में खाद्यान्न वितरण

१२—श्री कृष्णा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति, देवरिया, की बैठक दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही विवरण के पैरा नं० ३, ७, ९, ११ तथा बैठक दिनांक ७ अप्रैल, १९६४ की कार्यवाही के पैरा नं० ७ तथा ९ द्वारा समिति में जो राज्य सरकार से अनुरोध किया था उस पर क्या कार्यवाही की गई ? इस संबंध में क्या-क्या आदेश जारी किये गये ? क्या उनमें से कोई अनुरोध अस्वीकृत भी किया गया ? यदि हां, तो कौन-सा और क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति, देवरिया की बैठक दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही विवरण के पैरा नं० ३,७ तथा बैठक दिनांक ७ अप्रैल, १९६४ की कार्यवाही के पैरा ७ तथा ९ पर विचार किया गया, किन्तु वह उपयुक्त नहीं समझे गये। अतः वह स्वीकार नहीं किये गये तथा जिलाधीश, देवरिया को तदनुसार सूचित कर दिया गया। समिति की बैठक दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही विवरण के पैरा ९ तथा ११ में उल्लिखित सुझाव स्वीकृत कर लिये गये हैं तथा जिलाधीश द्वारा कार्यान्वित हो गये हैं।

१३—श्री कृष्णा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुए प्रान्त में ग्राम प्रधानों की पर्ची पर सरकारी गल्ले की दूकान से राशन देने के आदेश को समाप्त कर, कुटुम्ब रजिस्टर के आधार पर गल्ला वितरण का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों की पर्ची पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन प्राप्त करने में जनता को कठिनाइयां होती हैं, ऐसी कोई खास शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

१४—श्री कृष्णा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर प्रति दिन की बिक्री सीमा को जनता की अधिक मांग को देखते हुए चार क्विंटल प्रति दिन से बढ़ाकर १० क्विंटल प्रति दिन करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं। कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ४ क्वीन्टल प्रतिदिन प्रति दुकान का प्रतिबन्ध उपलब्ध खाद्यान्नों को समुचित वितरण करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

गल्ला गोदाम कर्णप्रयाग

१५--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि कर्णप्रयाग में स्थित चमोली जिले में अनाज के मुख्य सरकारी गोदाम घर का किराये वाला मकान वर्षों से चूता, टपकता आ रहा है जिससे वहां पर बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हुआ ? यदि हां, तो कुल कितना अनाज नष्ट-भ्रष्ट हुआ और क्या अब उपर्युक्त मकान की छवाई तथा मरम्मत कर दी गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

१६-१७--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

[३० जुलाई, १९६४ को प्रश्न २५-२६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया है।]

चमोली जिले में एल० एस० जी० डी० कार्यालय

१८--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले में एल० एस० जी० डी० में कुल कितने इक्जीक्यूटिव इंजीनियर व सहायक इंजीनियर तथा ओवरसियर हैं और इनके कार्यालय कहां-कहां हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

चमोली जिले में एल० एस० जी० डी० के निम्नलिखित कार्यालय हैं। प्रत्येक कार्यालय में अभियन्ताओं तथा ओवरसियरों की संख्या उनके समक्ष लिखी है:--

	अधिशासी अभियंता	१
(१) पन्द्रहवीं शाखा, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, चमोली	सहायक अभियन्ता	२
	ओवरसियर	७
(२) जोशीमठ सब डिवीजन, जोशीमठ, जो कि पन्द्रहवीं शाखा, चमोली के अधीन हैं।	सहायक अभियन्ता	१
	ओवरसियर	२
(३) सर्वे एन्ड इन्वेस्टीगेशन सब-डिवीजन, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग जोशीमठ।	सहायक अभियन्ता	१
	ओवरसियर	२
(४) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग सब-डिवीजनल	सहायक अभियन्ता	१
आफिस, कर्णप्रयाग, जो कि पियौरागढ़ शाखा, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, पियौरागढ़ के अधीन हैं।	ओवरसियर	२

१९--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिला एल० एस० जी० डी० के अन्तर्गत कुल कितन भागों में बटा हुआ ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

चमोली जिले में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा कार्य किये जाने के लिये चमोली जिले को तहसील के हिसाब से चार भागों में निम्न प्रकार से बांटा गया ह--

१--चमोली तहसील,

२--जोशीमठ तहसील,

३--ऊखीमठ तहसील,

४--कर्णप्रयाग तहसील,

२०--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह ज्ञात है कि चमोली जिले के कुछ परगने एल० एस० जी० डी० के अन्तर्गत पिथौरागढ़ में सम्मिलित कर लिये गये हैं ? दूरी व आवागमन की कठिनाइयों को देखते हुए क्या इस भाग के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्यालय चमोली जिले के कर्णप्रयाग गैरसैंण या थराली में स्थापित करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां । चमोली जिले में कर्णप्रयाग सब-डिवीजनल आफिस को पिथौरागढ़ शाखा, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, पिथौरागढ़ में सम्मिलित कर दिया गया है । इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पन्द्रहवीं शाखा, चमोली या इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पिथौरागढ़ शाखा, पिथौरागढ़ के कार्यालय को कर्णप्रयाग, गैरसैंण या थराली में स्थापित करना उचित न होगा क्योंकि इन दो डिवीजनों द्वारा जो कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं उसके दृष्टिकोण से चमोली व पिथौरागढ़ इनके क्रमशः केन्द्रीय स्थान हैं । इसके अतिरिक्त कर्णप्रयाग में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग का एक सब-डिवीजनल आफिस है, जहां जनता तथा ठेकेदारों का अधिकतर कार्य हो जाता है और उनको पिथौरागढ़ डिवीजनल आफिस में अधिकतर आना जाना नहीं पड़ता ।

बिल सपुर जंगल का ठेका

२१--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर वन डिवीजन में बाछी रेंज में बिलासपुर वन भाग जंगल विभाग में आने के बाद आज तक किस-किस व्यक्ति को ठेके पर दिया गया ?

श्री चरणसिंह--

बिलासपुर जंगल वन विभाग में आने के बाद निम्न व्यक्तियों को ठेके पर नीलाम द्वारा व निजी सन्धि (प्राइवेट ट्रीटी) से दिया गया है--

(१) श्री रामपरसन पान्डेय,

(२) श्री अल्ताफ हुसैन,

(३) श्री बेलीराम,

(४) श्री मोहर अली,

(५) श्री इरशाद अली,

(६) श्री रामानन्द तिवारी,

(७) श्री त्रिवेनीनाथ तिवारी ।

२२--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या वन मंत्री को इस बात की सूचना है कि उपरोक्त जंगल में आज तक किसी दूसरे व्यक्ति की बोली नहीं ली गई ह ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

शासन को यह सूचना है कि बिलासपुर वन में सन् १९५३ के शासनादेश दिनांक २२ जनवरी के बाद नीलाम का ठेका नहीं छोड़ा गया बल्कि श्री त्रिवेनीनाथ तिवारी को कंजरवेटर द्वारा निर्धारित मूल्य पर ठेका दिया जाता रहा। शासन ने यह निश्चय कर दिया है कि भविष्य में नीलाम द्वारा ही बिलासपुर वन के जंगल की बिक्री की जायगी। कंजरवेटर ने श्री तिवारी को ठेका सन् १९५३ के आदेशों के आधार पर दिया था।

२३—श्री ब्रह्मदत्त माथर—

[२९ जुलाई, १९६४ को प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

जंगली हाथी मारने के लिये इनाम

२४—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह तथा श्री मैनजरसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने जंगली हाथियों को जिला देहरादून, जिला बिजनौर जिला नैनीताल और जिला टेहरी-गढ़वाल में मारने पर कोई इनाम प्रति हाथी रखा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। दो सौ रुपया प्रति हाथी इनाम देने का आदेश जिलाधीश, बिजनौर, देहरादून नैनीताल, व गढ़वाल को जारी किया गया है। एक टस्कर (tusker) और दो बिना टस्क के (tuskless) हाथी मारने वाले शिकारी को उक्त इनाम के अलावा हाथी के दांत भी दे दिये जायंगे।

२५–२६—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

[१७ अगस्त, १९६४ के लिये प्र० सं० ५–६ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

गोरखपुर मास्टर प्लान तथा नगरपालिकाओं का चुनाव

२७—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर में मास्टर प्लान कब से लागू है तथा इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गोरखपुर शहर में मास्टर प्लान अभी लागू नहीं हुआ है।

२८—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बतायेंगे कि अब प्रदेश में नगरपालिकाओं का चुनाव कब तक होने की आशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

३१ दिसम्बर, १९६४ तक।

२९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

देवरिया में तहबाजारी की वसूली

३०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के देवरिया नगर के सब्जी बिक्रेताओं ने १५ अप्रैल, १९६४ से लेकर आज तक के बीच उनके पास कोई दरख्वास्त देकर नियमित तहबाजारी ठेकेदार द्वारा न वसूलने की शिकायत की है? यदि हां, तो नियमित तहबाजरी वसूल हो, इसके लिए कौन-सा कदम उठाया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

ठेकेदार द्वारा नियमित तहबाजारी वसूल करने हेतु बाजार में मुख्य-मुख्य स्थानों पर टीन के प्लेट पर तहबाजारी का रेट लिखवाकर टंगवा दिया गया है ताकि सभी व्यक्तियों को रेट की सही जानकारी हो सके। तथा ठेकेदार को भी रेट की एक प्रति दे दी गयी है कि वह इसी रेट से तहबाजारी वसूल करे।

जिला पूर्ति विभाग, देवरिया में पुराने इन्स्पेक्टर

३१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि देवरिया के सप्लाई विभाग में कोई ऐसे भी इन्स्पेक्टर हैं जो १६ वर्ष से हैं? क्या उनका इस बीच ४ बार तबादला हुआ और रुक गया? यदि हां, तो तबादला रोकने के पीछे तर्क क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां।

ऐसी बात नहीं है कि इनका ४ बार तबादला किया हो और फिर रोक दिया गया हो। केवल एक इन्स्पेक्टर का तबादला हुआ था जो बाद में रद्द कर दिया गया, चूंकि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी।

३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के सप्लाई विभाग में जितने इन्स्पेक्टर हैं, कितने-कितने दिनों से देवरिया में हैं और जो तीन वर्ष से ज्यादा समय से हैं, उनके तबादला न करने का कारण क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला पूर्ति विभाग देवरिया में कुल ७ इन्स्पेक्टर हैं। इनमें से दो लगभग १८ साल से देवरिया में हैं, एक लगभग ८ साल से, एक पिछले वर्ष से तथा बाकी इसी वर्ष से हैं। जो इन्स्पेक्टर देवरिया में तीन वर्ष से अधिक समय से हैं उन के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत न होने के कारण उनका तबादला नहीं किया गया।

गोरखपुर क्षेत्र में खराब चावल सप्लाई करने वालों को दण्ड

३३—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने खाद्य तथा रसद विभाग के उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जो इटावे से गोरखपुर रीजन को सरकार की ओर से दस वैगन अधिक नमी का चावल खरीद कर भेजने के जिम्मेदार हैं और जो चावल गोरखपुर रीजन तक पहुंचते-पहुंचते सड़ गया था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इटावा, को निलम्बित कर दिया गया है और मामले की जांच अतिरिक्त जिलाधीश इटावा द्वारा करा ली गयी है। जांच की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

३४--श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने चावल के उन डीलर्स के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जिन्होंने इटावे में सरकार के कर्मचारियों से मिल कर अधिक नमी का १० वैगन चावल सरकार को खरीदने जनवरी, सन् १९६४ में दिया था और जो कि गोरखपुर रीजन तक पहुंचते-पहुंचते सड़ कर मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रह गया था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

व्यापारियों ने सब चावल स्वेच्छा से बदल दिया है उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही कानूनन सम्भव नहीं है।

३५--श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इस स्कैन्डल का जिम्मेदार डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर इटावा भी हैं? यदि ऐसा है तो उस के विरुद्ध सी० आई० डी० द्वारा जांच क्यों नहीं करायी गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। इसलिए अभी जिम्मेदारी नहीं निर्धारित की जा सकती है।

जालौन जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

३६--श्री विजय सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में सस्ते गल्ले की दूकान कहां-कहां हैं और किस आधार पर खोली गयी हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिला जालौन में जिन स्थानों पर सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं उनका ब्यौरा माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है। यह दूकानें स्थानीय जनता की मांग एवं समय की उपयुक्तता के आधार पर खोली गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५२० पर)।

३७--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जालौन जिले को १९६३-६४ में कितना गल्ला, आटा, चावल तथा शकर का कोटा दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिला जालौन में १९६३-६४ में जनता के वितरण हेतु ५०७ टन चावल, ९६० टन गेहूं, ७०० टन आटा एवं १,९३० टन शकर का कोटा दिया गया।

शक्कर तथा खाद्यान्न के भावों में तेजी

३८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से चीनी के भाव ५ रुपये से ८ रुपये प्रति क्विन्टल बढ़ाने हेतु कोई आदेश भेजा है ? यदि हां, तो इसका पालन कब से सरकार करने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केन्द्रीय सरकार ने २२ मई, १९६४ से चीनी के भावों में लखनऊ रीजन को छोड़ कर प्रदेश के अन्य सभी भागों में वृद्धि कर दी है। चीनी का एक्स फैक्टरी भाव ११५.२५ रु० से ११६.५० रु० प्रति क्विन्टल से अब ११३.२५ रु० से १३१.०० रु० के बीच कर दिया गया है। ये भाव उसी तिथि से लागू हो गये।

३९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री पिछले ६ माह का औसत बाजार भाव गेहूं, चावल, चना, मटर, अरहर की दाल, उर्द की दाल के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पिछले छः माह में गेहूं, चावल, चना, मटर, अरहर की दाल, उर्द की दाल के प्रमुख मंडियों के औसत थोक भाव (प्रति क्विंटल) की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५२१ पर)।

४०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इस सप्ताह में वे कोई आदेश गल्ला व्यापारियों को देने पर विचार कर रहे हैं कि वे चीजों के दाम निश्चित कर देवें और सरकार को अपने स्टाक को बतावें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। दाम निश्चित करने के कोई आदेश पर इस समय विचार नहीं हो रहा है। वर्तमान में लागू कानून के अनुसार गल्ला व्यापारियों को स्टाक तो अपने बताने ही पड़ते हैं।

४१–४२—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह, श्री मैनेजरसिंह, तथा श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[हटा दिये गये।]

मथुरा जिले में निर्वाचक नामावलियों से नाम काटने की शिकायत

४३—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की "लोकल बाडी पब्लिकेशन" फरवरी, मार्च, अप्रैल, १९६४ में क्रमशः मथुरा जिले की स्थानीय निकायों से कितने नाम वोटर लिस्टों से काटे गये तथा कितने नाम बढ़ाये गये तथा कितने नाम १ रुपये देकर किस निकाय में बढ़े ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मथुरा जिले के स्थानीय निकायों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण एवं प्रकाशन के सिलसिले में फरवरी, मार्च और अप्रैल, १९६४ में किसी भी स्थानीय निकाय की निर्वाचक

नामावलियों में से कोई नाम नहीं काटा गया। २०१ नाम बिना शुल्क तथा २६३ नाम १ रुपया लेकर बढ़ाये गये हैं। जिस-जिस स्थानीय निकाय में १ रुपया लेकर नाम बढ़ाय गय हैं उस की सूची मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५२२ पर)

स्वर्ण नियंत्रण के अन्तर्गत पुनर्वास व्यवस्था के लिये कर्मचारी

४४—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालयों से स्वर्ण नियन्त्रण के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य के लिए किन पदों की स्वीकृति की मांग आयी, किस-किस जिले में कौन-कौन से पद स्वीकृत हुए या स्वीकृत होने को बाकी हैं? क्या किसी जिले की मांग में कटौती भी की गयी? यदि हां, तो किस जनपद के किस पद की कटौती की गयी तथा क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला पूर्ति कार्यालयों से स्वर्ण नियन्त्रण के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य के लिए पूर्ति निरीक्षक लिपिक तथा चपरासी के पदों की मांग आयी है। यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन हैं कि किस जिले में कौन-कौन से पद स्वीकृत किये जायं।

४५—श्री उग्रसेन—

[१७ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

४६-४७—श्री उग्रसेन—

[हटा दिये गये।]

जेलर्स

४८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कितने सहायक जेलर तथा उप-जेलर ऐसे हैं जो ३ वर्ष पूरे हो जाने पर भी स्थायी नहीं किये गये हैं और कितने स्थायी पद हैं जो इस समय रिक्त पड़े हुए हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तीन वर्ष पूरे कर लेने वाले अस्थायी उप-जेलरों की संख्या २९ तथा सहायक जेलरों की संख्या ८९ है।

स्थायी रिक्त पदों की संख्या निम्नांकित है :—

उप-जेलर	..	..	..	१४
सहायक जेलर	..	..	..	४१

देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें

४९—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहाती क्षेत्रों में कम से कम कितनी जन-संख्या पर एक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान खोलने का आदेश है? क्या यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक न्याय पंचायत के प्रत्येक तीन हजार की जन-संख्या पर एक दूकान खोल दी जाय? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देहाती क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का शासकीय आदेश है। सरकार के पास खाद्यान्न का जो स्टाक उपलब्ध है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक न्याय पंचायत के प्रत्येक तीन हजार की जन-संख्या पर एक दूकान खोलना इस समय सम्भव नहीं है।

कौंच में खाद्यान्न विक्रेता

५०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी, उरई (जालौन) से गत दो वर्षों में महादेव प्रसाद चौधरी, कौंच (जालौन) ने कितनी-कितनी मात्रा के सीमेंट तथा शकर के कितने परमिट उक्त सज्जन ने दूसरे के लिए हस्ताक्षर से उठाये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

एक भी नहीं।

५१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महादेवप्रसाद चौधरी कौंच, (जालौन) को पूर्ति विभाग की किन-किन वस्तुओं का विक्रेता नियुक्त किया गया है तथा नियुक्ति के क्या-क्या आधार हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्री महादेवप्रसाद चौधरी को, उनके प्रार्थना-पत्रों की तहसीलदार कौंच, द्वारा जांच कराये जाने के पश्चात्, शकर फुटकर विक्रेता तथा सस्ते गल्ले का विक्रेता नियुक्त किया गया है।

एकमा फारेस्ट डिपो में आग लग जाना

५२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के लक्ष्मीपुर रेंज में ३० मई, सन् १९६४ को कोई आग लग गई थी जिसके परिणामस्वरूप ५ लाख रुपये कीमत की लकड़ी तथा ३० हजार रुपये का कत्था जलकर स्वाहा हो गया? यदि हां, तो यह आग कैसे लगी?

श्री चरणसिंह—

गोरखपुर जिले के लक्ष्मीपुर स्टेशन के निकट स्थित एकमा फारेस्ट डिपो में ३० मई, १९६४ को आग लग गई थी जिसके परिणामस्वरूप लगभग १,१०,००० रुपये कीमत की लकड़ी तथा लगभग ५,००० रुपये का कत्था जल कर स्वाहा हो गया।

इस आग के लगने का कारण आकस्मिक है जो कि एक ठेकेदार की झोपड़ी के भीतर आग लगने से फैल गई। झोपड़ी में आग कुछ बच्चों की लापरवाही के कारण लगी थी जो कि झोपड़ी में खेलते हुये पाये गये।

५३–५४—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह—

[१७ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

५५—श्री रामचरण शाह—

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरे आज बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन उनका उत्तर विभाग की ओर से मेरे पास अभी तक नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर लिख कर दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

सिंचाई मंत्री द्वारा एक प्रश्न का गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने दी है कि माननीय गिरधारीलाल सिंचाई मंत्री ने, द्वितीय सत्र १९६४ के पहले मंगलवार को तारांकित प्रश्न १ के ऊपर जानबूझ कर गलत बयानी की। "देवरिया जिले की तहसील देवरिया के टप्पा नगवा गांव में पटाई का काम चल रहा है" उत्तर में कहा है। और यह भी कहा है कि नये गांव भी लिये जा रहे हैं जबकि तथ्य यह है, नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६३ से ही उक्त इलाकें में गांव पटाई का काम गांव पटाई में लिये गये गांव को भी शायद इंजीनियर ने इरादतन बन्द कर रखा है। नये, पुराने किसी गांव में काम जारी नहीं है। माननीय शान्तिप्रपन्न जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया गया है वह आपको जो सूचना प्राप्त हुई थी, उसके अनुरूप था या उसके खिलाफ ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उत्तर तो उसके ही अनुरूप है। मैंने जो उत्तर दिया था वह जो सूचना प्राप्त हुयी थी उसके अनुरूप है और मैं उससे सैटिस्फाइड नहीं था, इसलिये मैंने क्लैरिफिकेशन भी मंगाया और वह मेरे पास है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य को थोड़ी गलतफहमी इसमें हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

इसको छोड़िये। अभी दो-तीन दिन हुये तब माननीय मैनेजरसिंह जी ने एक प्रश्न रखा था कि यदि किसी मंत्री को अपने अधिकारी से गलत सूचना प्राप्त हो और उस सूचना के अनुरूप मंत्री जी सदन में उत्तर दे दें तो क्या कार्यवाही हो सकती है। उस समय मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष निवेदन किया था कि हम माननीय मंत्री के विरुद्ध या उस अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार के अन्तर्गत कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। अधिकारी के विरुद्ध इस कारण से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता कि इस आदरणीय सदन का और अधिकारी का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है और जहां प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो वहां विशेषाधिकार का प्रश्न उठता नहीं। जहां तक मंत्री महोदय का प्रश्न है, उन्होंने जो उत्तर दिया है वह सूचना के अनुरूप दिया है, इसलिये उनके विरुद्ध तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जानबूझ कर गलत उत्तर दिया। अब जैसा माननीय चन्द्रबलीसिंह कहते हैं कि यह तथ्य के प्रतिकूल है तो मैंने उस दिन यह निवेदन किया था कि इसके लिये सही तरीका यह है कि माननीय सदस्य या तो उन तथ्यों को मेरे पास भेज दें ताकि मैं मंत्री महोदय के पास भेज दूं और उसमें पूरा अन्वेषण कराकर हम सही परिणाम पर पहुंचने का यत्न करें कि वहां के अधिकारी ने सही सूचना दी है अथवा गलत और अगर उसने गलत सूचना दी है तो सरकार का और मंत्री महोदय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें। तो इसका तरीका जैसा मैंने पिछली बार निवेदन किया था और फिर कहता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं मंत्री जी से मिल लें और उनके सामने तथ्यों को रखें। या मेरे पास भेज द, मैं उसको देख लूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

इसीका पहले भी यही उत्तर दिया गया था और यहां उस वक्त कहा गया था कि यह गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ और वही उत्तर आज भी दिया गया। इसलिये मुझे यह कहना पड़ा कि जानबूझ कर गलत उत्तर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

आप मुझसे मिल लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, अगर इस तरह से गलत उत्तर रोजाना दिये जायेंगे तो उसकी जिम्मेदारी तो कहीं फिक्स होनी चाहिये। उसके लिये मंत्री जी को जिम्मेदार ठहराये जाने की प्रक्रिया अपनायी जाना उचित होगा, ताकि भविष्य में सही उत्तर मिल सके।

श्री अध्यक्ष---

यह बहस की बात नहीं है। हम आप बैठ कर इस पर विचार कर लेंगे और प्रक्रिया में कोई नियम इसके लिये हो सकता है, तो देख लेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

इस सदन में श्रीमन्, ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। मंत्री जी जानबूझ कर झूठ बोले हैं। उनके पास दो पर्चे रहते हैं, एक वह जिसमें विभाग की सूचना रहती है, दूसरी वह जिसे वे देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं यह कहां कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता? मगर उस पर हम आप बैठ कर विचार कर लेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, हमारे हाथों में तो मंत्री जी ही आ सकते हैं। इसलिये आप उनको हमारे ही कब्जे में रहने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

हमारे सदन में हमेशा यह परम्परा रही है कि जब एक तरफ से एक माननीय सदस्य खड़े होकर यह कहते हैं कि उनकी अमुक सूचना है और उसके अनुरूप ही वह उत्तर देते हैं, तो हमारा गौरव इसी में है कि हम उसे मान लें। अब रहा अधिकारी के विरुद्ध क्या हो? तो आप कृपा कर पहले तथ्य मेरे पास भेज दें, मैं उसका अन्वेषण करके मंत्री जी से परामर्श करूंगा और उचित कार्यवाही करवाऊंगा।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास बाढ़ के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं जिन्हें मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है। यह सूचनायें सर्वश्री नरसिंहनारायण पांडेय, जगन्नाथ राव, रियासत हुसैन, रामसुन्दर पांडेय, रक्षपालसिंह, ऊदल, चन्द्रबलीसिंह, बांकेलाल, उग्रसेन, राधेश्याम, कृष्णाराय आदि की हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी कब सूचना देंगे?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

अगले सोमवार को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यह अगले सोमवार के लिये रखा गया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, बयान वे एक हफ्ते बाद दें, वह तो हर साल ही हम सुनते रहते हैं । इस समय वहां की स्थिति बहुत खराब है । एक तरफ लोग अकाल और मंहगाई से पीड़ित हैं, दूसरी ओर यह बाढ़ से परेशान हैं । ऐसी स्थिति में वहां नाव आदि का तुरन्त प्रबन्ध किया जाय और जो जबरदस्ती वसूली हो रही है लोगों से उसको तुरन्त बन्द करवा दिया जाय । जिस मोटर नाव को भेजा गया था वह खराब पड़ी है । इसलिये यह काम फौरन किये जायं । वहां तो २०० मील तक समुद्र ही नजर आ रहा है । बयान चाहे १५ दिनों के बाद दे दीजिये मगर अगर इन्तजाम नहीं हुआ तो एक जुलूस तो लौट गया लेकिन दूसरा जुलूस लौटने वाला नहीं है ।

श्री हुकमसिंह विसेन—

जो आवश्यक कार्यवाही है वह हम कर रहे हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा एक नियम ५२ के सम्बन्ध में प्रस्ताव था । जो राशन घटा कर २ किलो कर दिया गया है, उसके बारे में । उसका शायद कोई महत्व ही नहीं समझा गया ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है । नियम ५२ में एक स्वीकार हो चुका है, इसलिये अब और नहीं लिये जायंगे ।

बाजार में पाठ्य पुस्तकों के अभाव के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आधारिक शिक्षा कक्षा ८ तक लागू है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय आधार देना चाहिये और पुस्तकों की रचना समाज में एकरूपता लाने, धर्मनिरपेक्ष राज्य के उच्च दर्श को प्रस्तुत करने, कक्षानुसार शिक्षा में समान स्तर लाने अथवा उचित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकें उत्पादित करने के उद्देश्य से करनी चाहिये । इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिकोण में रख कर सन् १९४८ से पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना को वर्तमान स्वरूप दिया गया ।

अब तक जूनियर बेसिक कक्षाओं की समस्त पाठ्य पुस्तकें तथा सीनियर बेसिक कक्षाओं की दो पुस्तक मालायें राष्ट्रीयकृत हो चुकी हैं । इनके अतिरिक्त सीनियर बेसिक विद्यालयों की भी कुछ पुस्तकें विभाग द्वारा नियंत्रित हैं अथवा स्वीकृत हैं । राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का मुद्रण आदेश देते समय मुद्रण की अन्तिम तिथि निर्णय कर दी जाती है और यह तिथि इस वर्ष २५ मई, सन् १९६४ थी । इस तिथि के पश्चात् विभागीय अधिकारी मुद्रित पुस्तक की जांच करते हैं कि वे आदेशानुसार निर्धारित संख्या और वांछित स्तर की हैं या नहीं जिससे कि प्रकाशक पुस्तक कम संख्या में न छाप सकें अथवा उनके स्तर को न गिरा सकें ।

माननीय सदस्य के नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने तक शासन के पास केवल दो स्थानों से पुस्तक उपलब्ध न होने की शिकायत प्राप्त हुई थी । इन दोनों स्थानों पर तुरन्त जांच करवाई गयी । माननीय सदस्य की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् मंडलीय शिक्षा उपनिदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों से सम्पर्क स्थापित किया गया और सूचना मंगवाई गयी । प्राप्त सूचना के अनुसार एक जिले को छोड़ कर बेसिक रीडरों की तो कहीं भी कमी नहीं पायी गयी । कुछ जिलों में कहीं-कहीं

[श्री कैलाशप्रकाश]

राष्ट्रीयकृत एवं नियंत्रित पुस्तकों की कमी अथवा उनके मिलने में कठिनाई की सूचना प्राप्त हुई है। किन्तु यह कमी व्यापक रूप से नहीं रही। न तो कहीं छात्रों में और न अभिभावकों तथा अध्यापकों में उत्तेजना के समाचार मिले हैं और न ही कहीं पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण अध्ययन एवं अध्यापन में क्षति हुई है। जो कहीं किसी पुस्तक के मिलने में कमी थी वे भी जुलाई के दूसरे सप्ताह में उपलब्ध थीं। और इनका भी अभाव नहीं रहा। इतना निवेदन करना भी उचित होगा कि शासन ने पुस्तकें उपलब्ध कराने में काफी सतर्कता बरती है और इसका परिणाम भी अच्छा रहा है।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रकाशकों को दुबारा पुस्तकें छापने का आदेश दिया गया था? यदि दिया गया था, तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पुस्तकों की कमी पड़ गयी थी?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसका ब्यौरा इस समय तो मेरे पास नहीं है कि किसी को दुबारा पुस्तकें छापने का कोई आदेश दिया गया था या नहीं, लेकिन जितनी पुस्तकें बाजार में चाहियें थीं वे उपलब्ध थीं, सिर्फ दो जगहों से कुछ शिकायत आयी थी। एक तो अखबारों से कुछ सूचना मिली और सब जगह से सम्पर्क स्थापित किया गया और जाकर बाजार में देखा गया तो वहां ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। कभी-कभी पुस्तकों के वितरण में यह बात होती है कि कुछ दूकानदारों के पास पुस्तकें कम रहती हैं, और हो सकता है कि कहीं-कहीं किसी दूकानदार के पास पुस्तकें न मिली हों, लेकिन व्यापक रूप से पुस्तकों की कमी नहीं रही।

श्री बसन्तसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जूनियर बेसिक प्राइमरी कक्षा की कितनी संख्या में पुस्तकें छापने का आदेश दिया गया था और इस वर्ष कितनी?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि पाठ्य पुस्तकों की कहां-कहां कमी थी?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैंने उत्तर में निवेदन किया कि मुझे उपनिदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक से मालूम हुआ कि कहीं-कहीं कुछ पुस्तकों की कमी मालूम हुई। जहां-जहां इस तरह की कमी मालूम हुई, बाजार के दूकानदार जो किताबें बेचते हैं, अपने पड़ोसी दूकानदारों से या पड़ोसी जिलों से पुस्तकें लाने का प्रयत्न करते रहे हैं और उन्होंने किताबें दी हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में पुस्तकों का अभाव रहा?

श्री कैलाशप्रकाश—

इलाहाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, लखनऊ और गोंडा से तो हमें सूचना मिली, लेकिन उत्तराखंड या नैनीताल आदि से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जो नियंत्रित पुस्तकें हैं उनके सम्बन्ध में ११ जिलों से कहीं एक और कहीं-कहीं तीन पुस्तकों के न मिलने की शिकायत प्राप्त हुई है।

और जो पुस्तकें स्वीकृत हुईं उनकी ७ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कहीं २–४ दूकानों के पास किताबें न हों तब भी वहां से अनुपलब्धि की सूचना आ सकती है, इस सूचना में एक दो जगह के ऐसे केस भी शामिल हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)––

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उर्दू की पुस्तकों की बहुत कमी है और वे बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती हैं, तो क्या वह ऐसा कोई यत्न करेंगे जिससे कि उर्दू की पुस्तकों का अभाव दूर हो ?

श्री अध्यक्ष––

कौन-सी पुस्तकें उर्दू की ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां––

बेसिक रीडर्स।

श्री कैलाशप्रकाश––

मैंने जो निवेदन किया है वह सभी पुस्तकों के विषय में किया है। माननीय सदस्य को यदि कहीं और किसी जगह या जिले की दूकानों की कोई सूचना हो तो वह विशेष रूप से बतायें तो मैं विशेष रूप से उसका पता लगा सकता हूं और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सारे प्रदेश के तमाम दूकानदार सब उनको बेचते हैं तो कहीं कमी हो भी सकती है। मेरे पास विशेष रूप से अगर सूचना न होगी तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)––

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस फतेहपुर जिले का उन्होंने हवाला दिया उसमें किन-किन पुस्तकों की कितनी कमी रही और वह कब पूरी की गईं ?

श्री कैलाशप्रकाश––

फतेहपुर से जो सूचना प्राप्त हुई है वह 'कृषि और सरल विज्ञान, भाग ३' के विषय में है। अब कितनी कमी रही और कहां-कहां रही तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक जिले में ही रही या सभी विक्रेताओं के पास रही या एक के ही पास रही। जब प्रश्न किया गया और खबर भेजी तो इतने समय में तमाम पुस्तक विक्रेताओं के पास जाकर तारीखवार सूचना लेना सम्भव नहीं था।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)––

यह जो मंत्री जी ने बताया कि ५ जिलों में कमी नजर आई तो कुल कितने जिलों की सूचना आई थी जिनमें से ५ जिलों में कमी नजर आई ?

श्री कैलाशप्रकाश––

मैंने बताया कि नैनीताल और उत्तराखंड के क्षेत्रों की तो सूचना नहीं आई, ५ जिलों की यह सूचना आई और अन्य जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई कि वहां कमी नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)––

क्या आस्ट्रेलिया से निःशुल्क कागज की प्राप्ति के बाद सरकार ने २० प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें देने की नीति के अनुसार प्रकाशकों को आदेश दिये हैं कि वे कम छापें ?

श्री कैलाशप्रकाश––

अन्त का भाग मैं नहीं समझ पाया, लेकिन यह सही है कि कागज बाहर से आया और उसके अनुसार यह योजना बनी कि वर्ग १–५ तक के २० प्रतिशत विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें दी जाय और आदेश दिये कि जिला परिषदों को निर्धारित संख्या भेजने के आदेश दे दें।

श्री बसन्तसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पुस्तकें छपवाने का कार्य ऐसे छापने वालों को दे दिया जाता है कि जो इस काम को लटकाये रहते हैं। इसलिए पुस्तकों के छपने में देरी हो जाती है। तो क्या शिक्षा मंत्री इसको जांच कराने को कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि यह तो प्रणाली ऐसी है कि जब प्रकाशकों को पुस्तकें देते हैं, उनको समय और संख्या निर्धारित कर दी जाती है। इस बार २५ मई निर्धारित थी। उस समय उनका इन्सपेक्शन हो जाता है कि निर्धारित संख्या में छपी हैं या नहीं।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह सूचना देनी है कि "रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट" की सदस्यता से विधान सभा के सदस्य, श्री जे० पी० मिश्र के त्याग-पत्र देने के कारण उक्त सिनेट में रिक्त स्थान पर रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणीय के मद ११ के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया गया है :

(१)	नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय ..	६ अगस्त, १९६४ के सायंकाल ५ बजे तक।
(२)	नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा तथा समय ..	७ अगस्त, १९६४ के १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।
(३)	नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ..	१३ अगस्त, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक।
(४)	निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो विधान वाचनालय में	दिनांक १९ अगस्त, १९६४, को १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (Single transferable Vote) द्वारा किया जायगा।

अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, द्वारा श्री गयाप्रसाद को भाषण के लिये अधिक समय न देने पर निर्णय की मांग

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, बाढ़ के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया या अतिवृष्टि के सम्बन्ध में भी ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें सब बातें आ जाती हैं। उसमें अतिवृष्टि का भी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दूसरी बात, श्रीमन् यह है कि अभी ३१ तारीख को, आपको याद होगा कि मैंने प्रार्थना की थी कि जिस समय माननीय गयाप्रसाद जी बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने व्यवधान किया। उस समय रामायण राय जी इस कुर्सी पर विराजमान थे तो हमारे साथी ने यह निवेदन किया कि जो समय व्यवधान में बीता है, वह समय उनको (गयाप्रसाद जी को) मिलना चाहिए। आज

तक की यह परिपाटी रही है कि जो समय व्यवधान में नष्ट होता है वह समय वक्ता को जरूर मिल जाता है, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय ने इसको अस्वीकार कर दिया। उसके माने यह हुए कि इस हाउस में अक्सर व्यवधान हुआ करता था पर समय दे दिया जाता था। जब माननीय गयाप्रसाद जी किसी माननीय मंत्री पर आक्षेप कर रहे थे तो उस समय कुर्सी पर माननीय रामायण राय जी विराजमान थे, जिसकी वजह से माननीय सदस्य को कहने का पूरा मौका नहीं दिया गया। माननीय मैनेजरसिंह जी को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने ३ दिन के लिए सदन त्याग दिया। तो अगर आपकी गैर-हाजिरी में ऐसा होता है, तो आपकी कुर्सी की बेइज्जती होती है। अधिष्ठाता महोदय से परिमार्जित कराया जाय कि हमारी प्रार्थना को उन्होंने क्यों ठुकरा दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका परिमार्जन शीघ्रातिशीघ्र करवाने की कृपा करें।

दूसरा निवेदन यह है कि माननीय रामायण राय जी जब इधर बैठते थे तब तो उनका अधिष्ठाता बने रहना ठीक था, परन्तु अब उधर बैठते हैं तो उन्हें इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेपपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए।

इधर या उधर के सभी दल के सदस्य अधिष्ठाता मंडल अथवा कमेटियों में रहते हैं। वे बहैसियत एम० एल० ए० उनके सदस्य होते हैं। यदि वह इधर से उधर चले जायं या उधर से इधर चले आयें फ्लोर क्रास करने के कारण से, उनकी कमेटी की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

व्यवधान का समय वक्ता को मिलना चाहिये, उस पर व्यवस्था नहीं दी। जो व्यवस्था हुई है, वह हाउस की परिपाटी के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष—

जो नियमित कार्यवाही होनी है वह प्रारम्भ नहीं हुई है। अभी नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य होने हैं। इसको बाद को लूंगा।

फीरोजाबाद में ५० हजार मजदूरों की बेकारी के सिलसिले में नियम ५३ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में जानकारी

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

३१ जुलाई को मैंने नियम ५३ के अन्तर्गत एक सूचना भेजी थी, फीरोजाबाद में ५० हजार मजदूर बेकार हैं और भूखे मर रहे हैं। लेबर मशीनरी ने अब तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उस सम्बन्ध में आपने क्या किया है?

श्री अध्यक्ष—

मैं देखूंगा।

कुसुमी बाजार, जिला गोरखपुर के ग्राम सभापति द्वारा एक किसान को गिरफ्तार करने के संबंध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

अध्यक्ष महोदय, २८ जुलाई, १९६४ को अपराह्न ३.३० बजे जिला गोरखपुर के कुसुमी बाजार में सात, आठ लड़कों के साथ महातम पांडेय नामक व्यक्ति के भतीजे ने श्री किशोरीलाल

[श्री हरीदत्त काण्डपाल]

की गल्ले की निजी दूकान लूटना शुरू किया। गांव का प्रधान वहां मौजूद था और उसने उन लड़कों के अगुआ को पकड़ कर पंचायत घर में बन्द कर दिया। इस पर कुछ दो ढाई सौ आदमी इकट्ठा हो गये और उन्होंने इस लड़के को छोड़ देने के लिये कहा अन्यथा दरवाजा तोड़ देने की धमकी दी। डर से लड़के को छोड़ दिया गया। इसके बाद भीड़ के नेता ने भीड़ को दूकानें लूटने के लिये उसकाया। जिससे बागी भीड़ ने बाजार की गल्ले और बिसातखाने की दूकानों तथा एक कपड़े की दूकान को लूटा। लगभग २,७०० रुपये के सामान की हानि हुई, बतायी जाती है। इस घटना के तुरन्त बाद ही सदर के एस० डी० एम० और पुलिस के उप-प्रधीक्षक, जो चौरा से लौट रहे थे, वहां पहुंचे। अन्य अधिकारी भी पहुंच गये और उन्होंने स्थिति पर काबू पा लिया। तहकीकात जारी है। ४ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

भीड़ का नेता कौन था यह नहीं बतलाया?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

श्री सुखमंगल सिंह, रेजीडेंट आफ पी० एस० चौरा।

बाराबंकी तथा देवरिया जिलों में खाद्य के अभाव तथा दुकानें लूट लिये जाने के संबंध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

अन्न की कमी और खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भावों के कारण प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य स्थिति गम्भीर हो गई है। सरकार अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी गेहूं व आटा सरकारी सस्ते गले की दूकानों द्वारा वितरण कराने का प्रयास करा रही है। पिछले माह में बन्दरगाहों से गेहूं कम आने के कारण कुछ जगहों पर स्टाक की कमी अवश्य हो गयी थी। पर अब स्थिति सुधर रही है। जुलाई माह में बाराबंकी जिले में, ग्रामीण क्षेत्रों की दूकानों पर ९५० क्विन्टल गेहूं और १,२०० क्विन्टल आटा वितरित किया गया।

पिछले जाड़ों में पाला व शीत लहर द्वारा रबी की फसल को हानि सर्व विदित है। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहां गेहूं और चना की फसल को रुपये में ४० पैसे और जहां सिंचाई साधन का अभाव है वहां रुपये में ५० पैसे की क्षति ी। इस क्षति के कारण सरकार द्वारा २,५३,५१२ रुपये की छूट लगान में दी गई है। बाराबंकी जिले के केवल हैदरगढ़ तहसील में ही वह क्षति नहीं हुई। रामसनेही घाट और फतेहपुर तहसीलें इससे भी अधिक क्षतिग्रस्त थीं जहां बाढ़ के कारण खरीफ फसल को भी क्षति हुई थी।

यह सही नहीं है कि जुहूपुर के निवासी श्री रामसेवक ने अपने बच्चों को भूख से व्यथित न देख सकने के कारण आत्म हत्या की। इसके परिवार वालों तथा अन्य व्यक्तियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि भुखमरी के कारण उसने आत्महत्या नहीं की। उसके परिवार के पास ४४ बीघे जमीन, २ गाय, २ बछड़े, और २ बैल हैं। इस स्तर का व्यक्ति भुखमरी से परेशान होगा ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि उक्त श्री रामसेवक करीब १५ दिन से पेट की भयंकर पीड़ा से व्यथित था और वैद्य का इलाज कर रहा था। इलाज से कुछ लाभ नहीं हुआ था और उस पीड़ा को सहन न कर सकने के कारण उसने आत्महत्या की शरण ली। इस घटना की सूचना थाना मोहम्मदपुर को २६ जुलाई को ४ बजे सुबह मृत व्यक्ति के भाई द्वारा दी गई और सब इन्सपेक्टर ने मामले की जांच की। किसी अन्य बात का सन्देह न होने के कारण शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया।

३० जुलाई, १९६४ को दिन में १२–३० बजे यूनियन इंटर कालेज, रामनगर के कुछ २०० विद्यार्थियों ने कुछ गुंडों के साथ रामनगर में लगने वाली बाजार पर छापा मारा। चूंकि दूकानदारों की संख्या उपद्रवियों की संख्या से कम थी अतः उन्हें रोकना सम्भव न हो सका। उपद्रवी लोगों ने १५ कपड़े की, २ गुड़ की और ४ गल्ले की दूकानों को लूटा। लगभग ७,००० रुपये के गल्ले की हानि हुई। सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन रामनगर के थानेदार घटनास्थल पर तुरन्त पहुंचे। पर तब तक उपद्रव शान्त हो चुका था और भीड़ छट गई थी। जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर गये। जांच के दौरान में यह पता चला कि जिला बहराइच की बाजारों की अपेक्षा रामनगर की बाजार में गल्ला सस्ता बिकता था। अतः उस जिले के कुछ लोग यहां थोक में गल्ला खरीदने आते थे। इससे बाराबंकी जिले के रामनगर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती थी। बाजार में लाकर बेंचने वाले व्यापारी भी बाहर के लोगों को ही गल्ला बेंचना पसन्द करते थे, क्योंकि वे थोक में खरीद लेते थे। वहां के लोगों को यह बात पसन्द नहीं थी और वे उसको बुरा मानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त घटना के दिन कुछ गुंडों ने समीप ही के कालेज के विद्यार्थियों की सहायता से यह लूटमार इसीलिये की। जांच अब भी जारी है। १० आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ लूट का सामान भी मिला है। पुलिस तैनात कर दी गई है और पुनः बाजार का सब कार्य यथानुसार चलने लगा है। जिले में कोई अशान्ति अथवा आतंक व्याप्त नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

श्रीमन्, रामनगर बाजार से ४ फरलांग की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और लूट होने पर दरोगा जी दो घंटे के बाद पहुंचे। यही हालत देवरिया बाजार की भी थी। यह सूचना अपूर्ण है, नई मंगा कर दें।

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)––

श्रीमन्, एक कागज आया था। अगर आप कहें तो पढ़ कर सुना दें।

श्री उग्रसेन––

श्रीमन्, उन्होंने कोई सूचना मंगाई नहीं है। ४ दिन पहले एक कागज था उत्तर प्रदेश को भूखा मारने के लिये, वही रखा है।

श्री अध्यक्ष––

देखिये, देवरिया के बारे में भी आपके पास सूचना गई थी। उसको भी पढ़ दीजिये।

श्री हरीदत्त कांडपाल––

दैवी आपदाओं से फसल नष्ट हो जाने के कारण देवरिया जिले में किसानों के पास अन्न की कमी अवश्य हो गई है। परन्तु यह सही नहीं है कि वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। यह भी सही नहीं है कि वहां खुले बाजारों से गेहूं, चावल और मोटे अनाज गायब हो गये हैं। खुले बाजार में ये खाद्यान्न स्वतंत्रतापूर्वक मिल रहे हैं, भाव अवश्य कुछ ऊंचे हैं।

पिछले महीने में बन्दरगाहों से विदेशी गेहूं न आ सकने के कारण कुछ जगहों की सस्ते गल्ले की दूकानों पर यथेष्ट मात्रा में स्टाक नहीं पहुंच पाया, परन्तु आज स्थिति सुधर रही है। देवरिया जिले में देहाती क्षेत्रों में १७० और शहरी क्षेत्रों में ५० सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं जिन पर अब बराबर स्टाक पहुंच रहा है।

जहां तक देवरिया में कुछ बाजारों में गल्ले लूट लिये जाने की अफवाहें हैं, सर्वथा गलत हैं। कहीं भी गल्ले की लूट मार नहीं हुई। पथरदेवा, हाटा और कसिया ग्रामों में विद्यार्थियों की उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता तथा राजनीतिक नेताओं के व्याख्यानों और प्रदर्शनों के प्रभाव के कारण कुछ तरकारियों और फलों की दुकानें लूटी गई हैं। रुद्रपुर, बखरा और

[श्री हरीदत्त कांडपाल]

सुकरौली गांवों में ऐसी भी कोई घटना नहीं हुई। उक्त लूट की घटनाओं की जांच हो रही है। पत्थरदेवा में हुई घटना के सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाजारों में यथानुसार कार्य चल रहा है। स्थिति पूर्णतया काबू में है।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--

मंत्री जो कहते हैं कि देवरिया में कोई बाजार नहीं लूटी गयी। लेकिन वहां के जिलाधीश और कप्तान पुलिस का बयान अखबारों में निकल चुका है कि १२ छटांक का गल्ला बेचने के कारण रामनगर, रुद्रपुर तथा पत्थरदेवा में ४ दिन तक बाजारें लूटी गयीं। तो या तो मंत्री जी को या इन अधिकारियों को सजा दिलाइये ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री उग्रसेन--

मैं मंत्री जी की गलत-बयानी के लिये उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की नोटिस देता हूं।

६ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

अध्यक्ष महोदय, ६ मार्च, १९६४ को श्री हरीश कुमार गंगवार के तारांकित प्रश्न सं० ३ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के दौरान में श्री गंगवार के कुछ और प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया था। उनमें एक प्रश्न और उसका उत्तर इस प्रकार था :--

प्रश्न--मई, १९६३ को गुजरे ९, १० माह हो गये हैं, तो अभी तक उन अधिकारियों को, उस आदेश के बाद भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्यो नही भेजा ?

उस समय सदन में दिया गया उत्तर--

एडवर्टिजमेंट हो गया है, वे जाना चाहेंगे, जावेंगे।

२--इस उत्तर के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति निम्नवत् है:--

"लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया विज्ञापन केवल नये रिक्त पदों की पूर्ति के लिये चुनाव करने हेतु था। मई, १९६३ के पूर्व की नियुक्तियों की जांच के लिये अलग से एक अस्थायी समिति (ad-hoc board) नियुक्त की जायगी जिसमें लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का भी एक सदस्य होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५२३ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर बिलकुल विपरीत हो गया है। मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से इन मंत्री महोदय को फांसना चाहते हैं। यह विषय गम्भीर है और हम देखते हैं कि नित्यप्रति इसी तरह से गलत जवाब सदन में दिये जाते हैं और हमारे पास कोई अन्य मशीनरी है नहीं कि हम सही उत्तर जान लें। क्या आप कोई प्रयत्न करेंगे जिससे हमारा क्षोभ दूर हो सके। इसके अतिरिक्त जब उत्तर बदल गया और प्रश्न करने का अधिकार हमारा है तो फिर हमारे प्रश्न करने से फायदा क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

जो नियम और परम्परायें हमारी हैं, भूतपूर्व अध्यक्षों के जो निर्णय हैं, उनको ध्यान में रखते हुये तो यही है कि अनुपूरक प्रश्नोत्तरों के शोधन पर कोई प्रश्न नहीं हो सकते। तो जो विशेष प्रणाली है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। विशेषाधिकार में क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, तथा किन परिस्थितियों में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाये जा सकते हैं। यह सब बातें तो मौलिक हैं और उन मौलिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित हो चुका है कि इस प्रकार का प्रश्न मंत्री के विरुद्ध नहीं उठाया जा सकता। अगर आप समझते हैं कि कोई तरीका इसका हो सकता है तो उस पर विचार हो जायगा, अपने सुझाव आप रखिए, उस पर हम और आप मिल कर विचार कर लेंगे। क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में हम और आप बैठ कर और कोई तरीका निकाल सकें तो निकालेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तो अब तक किस प्रक्रिया के अधीन विशेषाधिकार का प्रश्न उठता रहा? कई बार हमारे ही कई प्रश्नों पर माफी मांगनी पड़ी है मंत्रियों को। चौधरी चरणसिंह को माफी मांगनी पड़ी है, आचार्य जुगलकिशोर को मांगनी पड़ी है...

श्री अध्यक्ष—

आप कार्यवाही निकलवा लीजिए, मैं देख लूंगा।

३० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न १–२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ३० मार्च, १९६४ को रघुनाथ सिंह ने अपने तारांकित प्रश्न संख्या १–२ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न द्वारा जानना चाहा था कि सर्वेक्षण का कार्य कब पूरा होगा? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि गांव वालों को योजना कार्यान्वित करने के लिये किन-किन शर्तों को पूरा करना होगा?

इसके उत्तर में सदन में कहा गया था कि "जैसे जैसे योजना बनती है वैसे वैसे सर्वेक्षण शुरू हो रहा है।" शर्तों के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया था कि "इसमें ७५ फीसदी सरकार देगी और २५ फीसदी गांव वालों को देना होगा। पहले आधा गांव वालों को देना था लेकिन वे इतना नहीं कर सके इसलिये इसे घटा कर इस तरह से किया गया। अगर गांव सभा से प्रस्ताव हो जाय, तो दस फीसदी तक उनको देना होगा २५ फीसदी जो पहली योजना में है वह नकद दिया जा सकता है या श्रम के रूप में भी दिया जा सकता है।"

इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। स्थिति यह है कि जिस स्थान पर पेय जल योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया जाता है, उसका पहले सर्वेक्षण होता है तथा उसके परिणाम के आधार पर योजना बनती है।

शर्तों के सम्बन्ध में जो कहा गया था उसमें दो विभिन्न योजनाओं की शर्तें सम्मिलित हैं। पेयजल को कार्यान्वित करने के दो प्रोग्राम हैं अर्थात् नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन प्रोग्राम (रूरल) तथा लोकल डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम। उन दोनों प्रोग्रामों के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं को कार्यान्वित करने की शर्तें अलग-अलग हैं। नेशनल वाटर सप्लाई एन्ड सैनिटेशन प्रोग्राम (रूरल) के अन्तर्गत ७५ प्रतिशत व्यय का भार सरकार को वहन करना पड़ता है तथा शेष २५ प्रतिशत योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को अंशदान के रूप में देना होता है। अंशदान नकद, श्रमदान अथवा दोनों रूपों में दिया जा सकता है। दूसरे प्रोग्राम के अन्तर्गत अंशदान की राशि ५० प्रतिशत है, शेष ५० प्रतिशत भारत सरकार से मिलती है। जिला परिषद् के प्रस्ताव पर अंशदान १० प्रतिशत की जा सकती है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५२४ पर)

प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये विधान परिषद् के ४ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभापति, विधान परिषद् से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद् सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६४-६५) में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ४ सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सभापति, विधान परिषद् से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद् सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६४-६५) में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ४ सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माल स्थायी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्यक्रम

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थानीय समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य विधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार माल स्थायी समिति (१९६४-६५) में श्री छोटेलाल पालीवाल की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता अवैध घोषित किये जाने के कारण उक्त समिति में उनके रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिये विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य विधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उप-नियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार माल स्थायी समिति (१९६४-६५) में श्री छोटेलाल पालीवाल की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता अवैध घोषित किए जाने के कारण उक्त समिति में उनके रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिए विधान सभा के सदस्य का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं जो तिथि निश्चित करता हूं, वह इस प्रकार है--

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय ६ अगस्त, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा तथा समय ७ अगस्त, १९६४ को १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १३ अगस्त, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक १९ अगस्त, १९६४ को विधान वाचनालय में १२ से ५ बज के बीच होगा।

अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, द्वारा श्री गयाप्रसाद को भाषण के लिये अधिक समय न देने पर निर्णय की मांग--(क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैंने आपसे निवेदन किया था कि गयाप्रसाद जी को जो व्यवधान का समय नहीं दिया गया, उसके सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष---

इस आदरणीय सदन की कार्यवाही किसी के द्वारा संचालित हो, जो भी इस अध्यक्ष के पीठ पर आसीन हो, उसके लिए सदा से परम्परा यह चली आई है कि उसके आदेश उस समय के लिए जब निर्णय दिए गए हों, अन्तिम समझे जाते हैं। किसी व्यक्ति को चाहे उपाध्यक्ष हो, या अध्यक्ष हो, कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह उनके आदेशों का परिमार्जन करे या उन आदेशों पर अपील सुनकर उसके विरुद्ध अपना फैसला दे। उसका कारण यह है कि हमारे नियम और सभी जगह की परम्परा यह है कि जो भी व्यक्ति उस पीठ पर बैठता है, जब तक वह उस आसन पर बैठता है उसको वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो अध्यक्ष को होते हैं। तो अध्यक्ष, अध्यक्ष के दिए हुए निर्णय को बदल नहीं सकता या उसकी अपील सुनकर वह किसी आदेश में परिवर्तन नहीं कर सकता। उस समय चाहे उपाध्यक्ष रहें या कोई अधिष्ठाता रहे, उनके जो आदेश हो जाते हैं, वह अन्तिम हो जाते हैं। उसके ऊपर पुनः विचार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि माननीय रामायण राय जो उस समय पीठासीन थे, उनका निर्णय यह हुआ कि पर्याप्त समय जितना कि माननीय सदस्य को मिलना चाहिए था, मिल चुका है। उसके उपरान्त उपाध्यक्ष आये तो उनके सामने यह प्रश्न रखा गया और उन्होंने भी अपना निर्णय दिया। अब उसके बाद यह चीज मेरे अधिकार के बाहर की है कि अब मैं उनके ऊपर पुनः विचार करूं या उनके आदेशों में किसी प्रकार से परिमार्जन करूं। मैं आशा करता हूं कि इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य इस बात का आदर करते हुए इसके ऊपर अब बल नहीं देंगे।

कतिपय विषय

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसका परिणाम आगे क्या निकलेगा यह तो भविष्य की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र कुछ दिनों से अनशन कर रहे हैं। अनशन होने का कारण एक ही है और वह यह है कि वहां पर उपकुलपति के व्यवहार से वे लोग परेशान हैं। इसलिए छात्र नेता हड़ताल कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी गोरखपुर से आये हैं। पहले भी जब इस प्रकार की विश्वविद्यालयों में हड़ताल रही है तो लड़के उनकी सहानुभूति में विश्वविद्यालय में नहीं गए। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बता देना चाहिए कि वह क्या करने जा रहे हैं? दूसरे श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी हमारे कल्याणचन्द जी मोहिले ने एक सवाल उठाया। इलाहाबाद में एक छात्र नेता हैं जिन्होंने पंडित नेहरू और डाक्टर लोहिया में जब चुनाव हुआ था तो डाक्टर लोहिया की तरफ से काफी काम किया था। इस समय जब वहां फिर चुनाव होने जा रहा है और श्रीमती गांधी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी पार्टियां भी चुनाव लड़ेंगी, ऐसे समय में उनका गिरफ्तार किया जाना यह सरकार के लिए बड़ा आक्षेप होगा। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप सरकार से कहें, ठाकुर हुकुमसिंह जी यहां हैं, कि ऐसा करना सरकार के लिए उचित नहीं है और वहां इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होने से रोकी जाय। इससे प्रदेश में हलचल मच जायगी और चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, और मैं बड़े खेद से कह रहा हूं कि माननीय रामसुन्दर जी एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं और इसलिए मेरा कर्तव्य होता है कि मैं उनको आदर से सुनूं। लेकिन नेताओं पर भी एक भार है कि वे ऐसी परम्परायें यहां स्थापित करें जिससे हमारा काम नियमों के अन्तर्गत चल सके। जिन प्रश्नों को पांडेय जी ने उठाया है वे नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाओं के प्रश्न थे। मैंने एक सूचना उनमें से स्वीकार कर ली अतः दूसरों के सम्बन्ध में मैंने कहा कि आप उनके विषयों के सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं जिनके द्वारा यह बात साफ हो जायगी। अगर पांडेय जी ने जो तरीका अख्तियार किया वही तरीका सब ही अख्तियार कर लें, तो नियम ५२ के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें आयें उनको देने वाले सदस्य खड़े हो कर इस तरह की बात कह सकेंगे, फिर कोई नियम नहीं रहेगा। इसके लिए तरीका यह हो सकता है कि जैसा मैंने मोहिले जी को बतलाया और जहां तक मुझे स्मरण है मैंने पांडेय जी से भी निवेदन किया था कि अगर कोई नियम आप मुझे बतला दें कि जिसके अन्तर्गत मैं आपको बोलने की इजाजत दे सकूं, तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। दूसरा तरीका यही हो सकता है कि आप इस सम्बन्ध में अल्पसूचित प्रश्न कर दें और मैं कोशिश करूंगा कि यह मसला सदन के सामने आ जाय। तो मैं निवेदन करूंगा कि बहुत नम्रतापूर्वक कि यह तरीका जो अपनाया, गलत है।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

मैं एक निवेदन और कर दूं कि आज इसका आखिरी दिन है, इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखें। मैं सदस्यों को ५, ७ मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं तो १५ मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप जब बोलेंगे तो मैं देखूंगा। माननीय जेड० ए० अहमद।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। इस समय नहीं। जो कहना हो बाद में कहिएगा।

(व्यवधान)

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

कुछ दिन पहले, अध्यक्ष महोदय, मन्त्रिमण्डल के इस्तीफा देने का सवाल हमने इसी सदन में उठाया था और बहुत सोच विचार कर उठाया था, और इस वक्त भी हमने कोई हल्के फुल्के ढंग से इसको नहीं रखा है, बहुत सोच विचार कर रखा है। हम यह जानते हैं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए हम मन्त्रिमण्डल को नहीं हटा सकते हैं, इतना कानून हम सब इधर के बैठने वाले जानते हैं, लेकिन आज जो विशेष परिस्थिति सूबे में पैदा हो गयी है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यह अर्ज किया है कि मन्त्रिमण्डल स्वयं इस्तीफा दे दे क्योंकि उसकी पालिसी रांग है, सोचने का तरीका गलत है, काम करने का ढंग गलत है।

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन के ढांचे को अपनाया है, और किसी देश के कांस्टीट्यूशन को हमने नहीं अपनाया है; तो हमें ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन की जो स्प्रिट है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। वहां पर अगर एक भी आदमी भूख से मर जाय या यह हालत हो जाय कि सूखी रोटी तक नसीब न हो, तो वहां सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो और वहां मिड टर्म एलेक्शन होता है। तो बातें तो हम बड़ी लम्बी चौड़ी करते हैं और हकीकत और कुछ दूसरी ही नजर आती है। आज पूर्वी इलाकों में बच्चे एक-एक अन्न के लिए तड़प रहे हैं। मैंने और चन्द्रजीत जी दोनों ने कुछ फेयर प्राइस शाप्स को जाकर देखा है, वहां पर रोते हुए बच्चों और औरतों को देखा है। वहां पर मैंने देखा हरिजन औरतों को काफी दिनों से अनाज नहीं मिला था। एक औरत कई हफ्तों से ८ आना लेकर रोज दूकान पर जाती थी, अपना बड़ा सा पल्ला लेकर, और एक दिन उसे ८ आना का चावल मिला, वह समझती थी उसी से उसका पल्ला भर जायेगा, मगर थोड़ा-सा जो चावल उसे मिला वह रोती हुई चली गयी। आज हजारों मां–बहिनों की यही हालत है। आपका दिल तो पत्थर हो गया है। बयान पर बयान रोज निकलते हैं, कहा जाता है परिस्थिति बुरी नहीं है, होर्डिग नहीं है, कीमतें सुधर रही हैं, मगर वास्तविकता यह है कि लोग भूखों मर रहे हैं। किसी भी वेलफेयर स्टेट में ऐसे बयान नहीं निकलते।

मैं नेगी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, पुराने कार्यकर्ता हैं, मगर पता नहीं वे कैसे कहते हैं कि लोगों को खाना खिलाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर आप यहां क्यों बैठे हैं? ला ऐंड आर्डर मेन्टेन हो, इसकी जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र विरोधी तत्व उत्पन्न न हो––इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, खाना देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जो तत्व आर्टिफिशियल स्केयरसिटी पैदा करते हैं, उनको रोकने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आज रुपए का सेर भर गेहूं और १४ छटांक की दाल बिक रही है। आप कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो फिर आप यहां बैठे क्यों हैं? मैं समझता हूं अगर ऐसा बयान ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ होता तो प्राइम मिनिस्टर उसका खुद ही रेजिगनेशन मांग लेता, लेकिन यहां माननीया मुख्य मन्त्री चुप हैं। ठाकुर साहब ने यह कहा कि कुचल देंगे। माफ कीजिए, आप बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन आज इन टर्म में कि कुचल डालेंगे, बोलने के क्या माने होते हैं? अच्छा कुचलिए। ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि एक-एक आपोजीशन का कहे कि हम जेल भर देंगे, जेल के दरवाजों में घुस न पायें, यह परिस्थिति पैदा कर देंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से कुचल सकते हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

हमने भी भाड़ नहीं झोंका है, भाड़ झोंक कर यहां नहीं आये हैं। हमने भी अपनी जिन्दगी दी है, हमने भी बरसों जेल में काटे हैं, पुलिस के डंडे कंधे और सिरों पर लिये हैं। आज यू० पी० के करोड़ों इन्सान विरोधी पक्ष के पीछे खड़े हैं और आप के पीछे ४० प्रतिशत और हमारे पीछे ६० प्रतिशत हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम बंटे हुए हैं। अगर एक हो जायं तो फिर आप इस तरह से न कह सकें।

अब मैं कोआपरेशन के सवाल पर आता हूं। कुछ भाइयों ने कहा कि हम लोग फूड कमेटी से चले गए, इसलिए हमने छुरा भोंक दिया। सही नीति हो तब तो कोआपरेशन दें। सारा पानी सिर पर से निकल गया और कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। नीति आपकी गलत, नौकरशाही निकम्मी, घूसखोर, फिर हम किस बात में आपका कोआपरेशन करें। आप हमें कमेटी में बिठा कर बांध लें, जो हम कहें उसे माना न जाय, अधिकारी जो कहें उसे ही माना जाय। कोआपरेशन दिया जायगा, लेकिन गलत नीतियों के चलाने में, गलत कार्यवाही को करने में, घूसखोर आफिसरों की रक्षा करन में कोआपरेशन नहीं दिया जायगा।

[श्री जेड० ए० अहमद]

अब मैं जजबात में न जाकर ठोस मसले पर आता हूं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि यू० पी० म जो संकट है उसका ताल्लुक सारे हिन्दुस्तान से है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नीति फूड ग्रेन्स के मामले में निकम्मी रही है। हकीकत को नजरअन्दाज किया, होर्डिग को नहीं रोका, जो और बातें करनी चाहिए थीं नहीं कीं। १९५८ में अन्न का संकट पड़ा। मुख्यतः बंगाल और यू० पी० में उसका असर रहा, लेकिन उस वक्त नागपुर में जो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तीन प्रस्ताव पास किए गए (१) स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स हो, (२) कोआपरेटिव फार्मिंग बड़े पैमाने पर हो और (३) सीलिंग लगाई जाय, बड़े-बड़े फार्मों को तोड़ कर गरीबों को जमीन दे दी जाय। बहुत से कांग्रेस के भाइयों को तो यह याद भी नहीं रहा कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ये आदेश थे कि ये चीजें मजबूती के साथ अमल में लाई जायं। क्या उसके बाद स्टेट ट्रेडिंग हुई ?

श्री अशोक मेहता के नेतृत्व में एक फूड इन्क्वायरी कमेटी बनी। उस समय मैं राज्य सभा का सदस्य था। उस फूड इन्क्वायरी कमेटी ने यह सिफारिश की कि स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स होना चाहिए। उसके बाद १९५९ में प्राइम मिनिस्टर ऐडवाइजरी कमेटी आन फूड बनी। इत्तफाक से मैं भी उसका मेम्बर था। पंडित जी के नेतृत्व में उसकी रिकमेंडेशन यह हुई कि हमें एक हद तक आगे बढ़ कर स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स शुरू कर देना चाहिए वरना सारा स्टाक गायब हो जायगा और उसे बड़े-बड़े पूंजीपति लोग रख लेंगे। उसके बाद पाटिल साहब आये और उन्होंने सब को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से गल्ला मंगायेंगे और बराबर खिलाते रहेंगे। इस तरह से ए० आई० सी० सी० के रेज्योलूशन को बलायेताक रख दिया गया और हमने अमेरिका से भीख मांगना शुरू कर दिया और तमाम सूबों से कह दिया कि तुम हमसे भीख मांगो। यह सोचने की बात है कि अगर उनकी भीख में कुछ गड़बड़ी हो जाय, जहां से भीख या दान मिलने की आशा है, वहां से मिलने में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाय, किसी तरह से आपस में तू-तू-मैं मैं या खटपट हो जाय, तो इसका नतीजा यह हो सकता है कि यहां की जनता को भूखों मरना पड़ेगा। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पिछले १० वर्षों में बिग फाइनेन्स फूड ग्रेन्स ट्रेड के अन्दर चला गया है। उसके आंकड़े मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। १९६३ में प्राइवेट शेडयूल्ड बैंक ने लगभग ६३ करोड़ रुपया गल्ले की सट्टेबाजी के लिए ऐडवान्स दिया है और यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि करीब चार पांच सौ करोड़ रुपया इनकम टैक्स से बचा कर ब्लेक मार्केट में इधर-उधर घूमता रहता है।

नेगी जी बराबर धमकी देते रहते हैं कि हम डी० आई० आर० के अन्दर बन्द कर देंगे, चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे और मैं तो उनकी धमकियों को सुन-सुन कर कांपने लगता था कि न मालूम सूबे में क्या होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अन्त में उन्होंने व्यापारियों को बुला कर कहा कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन होना चाहिये क्योंकि जनता तुम्हारे साथ-साथ हमारे भी खिलाफ हो गयी है, इसलिए तुम जनता के रक्षक बनो। गांधी जी ने भी इसी तरह की बात सिखलायी थी। लेकिन इस तरह की बातों से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि बड़े पैमाने पर बिग बिजनेस पर आप रोक नहीं लगाते। स्टेट ट्रेडिंग तो आप जरूर कीजिए, लेकिन शहरों में जो लोग गल्ला छिपा कर रखे हैं उनको निकलवाने की कोशिश कीजिए बजाय इसके कि आप दूसरों से भीख मांगते फिरें, सुब्रह्मण्यम साहब से भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। न मालूम उनके टी० ए०, डी० ए० में जनता का कितना पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन उससे जनता को कोई लाभ नहीं होना है। आज ९५ फीसदी गल्ला अमेरिका से आता है या यह कहें कि ४० लाख टन गल्ला सालाना आता है, इस ९५ प्रतिशत को हम छोड़ देते हैं कि वह प्राइवेट ट्रेडिंग में चला जाय और ५ फीसदी के साथ हम खेलें, एक खिलवाड़ ५ फीसदी के साथ होती रहे, इस तरह से आप कीमतों को नीचे नहीं ला सकते। इस तरह से टोटल रिक्वायरमेंट का ५ फीसदी आप ले लें इससे क्या हो सकता है ? नतीजा यह निकलता है कि मुल्क में गल्ला है, उस का

डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं होता, वह बांधा नहीं जाता, वह छिपने दिया जाता है मुनाफे के लिए, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो मशीनरी है वह निकम्मी है, करप्ट है। आप में अपनी पार्टी की नीतियों को ही अमल में लाने की हिम्मत नहीं है। आप दबे हैं वेस्टेड इन्टरेस्ट से और उस का नतीजा यह है। इस पर आज यू० पी० की सरकार कहती है कि हम क्या करें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला कि नागपुर के प्रस्ताव पर अमल किया जाय और मजबूर किया जाय ? क्या स्टेट ट्रेडिंग के लिए कोई कोशिश की गई, कोई दबाव डाला गया, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं, अच्छा होता कि वह यहां होतीं, हमारी बकवास जरा सुन लेतीं। यहां के लोग कुछ बकवास करते हैं उनकी बातें भी वह सुन लिया करें वैसे वह इस वक्त अपने सेक्रेटरीज की बातें तो सुनती ही होंगी। माननीय हुकुम सिंह जी यहां जरूर बैठे हैं, लेकिन वह इतने बुड्ढे हैं कि बहुत सी बातें अब उनकी समझ में नहीं आयेंगी।

मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने और नेगी साहब ने सेन्टर पर क्या दबाव डाला। मैंने दिल्ली में सुना कि यू० पी० के मिनिस्टर नेगी साहब और चीफ मिनिस्टर आई हैं और वह कम्पेल कर रहे हैं कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि अजीब बात है, मालूम नहीं कि किसने उनको ऐसी हिदायत दे दी ? क्या उनकी पार्टी ने अपने ही प्रस्ताव के खिलाफ ऐसी हिदायत दे दी, यह कैसे हुआ ? इसके अलावा यू० पी० की सरकार सीलिंग लगाए और उसके लिए हिदायतें करें। यहां सीलिंग क्या हुई है एक तमाशा हुआ है। कुल २० हजार एकड़ पूरी हदबन्दी के बाद यहां जमीन निकल सकी है।

माल मन्त्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--

१ लाख एकड़ निकली है और १ लाख एकड़ और निकलने वाली है।

श्री जेड० ए० अहमद--

अगर २ लाख भी निकली तो क्या निकली ? बंगाल में ५ लाख निकल चुकी है और काश्मीर तक में साढ़े ४ लाख एकड़ निकल चुकी है। कोआपरेटिव फार्मिंग का भी आपने मजाक ही किया है। मैं उसके बोर्ड का मेम्बर हूं और जानता हूं कि क्या वहां हो रहा है। आज तक कुछ नहीं हुआ है। यू० पी० की सरकार ३ बातें कहती है। अव्वल तो यह कि हमें सेन्टर से अनाज नहीं मिला। मैं कहता हूं कि वह क्यों नहीं मिला। मेरा चार्ज है आप पर कि यह आप की काम्पलेसेन्सी है, आप एक सन्तोषजनक वातावरण बनाये बैठे हैं, कोई जिद्दत कोई काम को निकालने का एतकाद के साथ ढंग आपने नहीं अपनाया। माननीय सुचेता जी ने नैनीताल की प्रेस कांग्रेस में कहा कि :--

"Government would be able to meet any crisis inspite of natural calamities like flood, draught and frost since enough stocks of grains are available."

यह बयान उनका २४-६-६४ को दिया गया था। दूसरे वह कहते हैं कि पंजाब से गेहूं नहीं आया। लेकिन आप के यहां वहां से गल्ला पहले ही कौन-सा आता था ? बल्कि और आपके घूसखोर अफसरों की कृपा से पश्चिमी जिलों से गल्ला दिल्ली को निकल जाता है। फिर कहा जाता है कि पाले से फसल खराब हो गई। पाले का यह हिसाब है कि जब किसान का और उसके नुकसान का सवाल आता है तो कहा जाता है कि बहुत कम नुकसान हुआ है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो १२ आने और अधिक नुकसान हो गया। किसान का हमेशा ८ आने से कम होता है, नुकसान। अब कहा जाता है कि पाले से भयंकर नुकसान हो गया। कोई तरीका निकालें तो, हम भी कोआपरेशन देंगे। मेरा कहना है कि यू० पी० के अन्दर गल्ले की कमी नहीं है। पैदावार बढ़ी है। उनके ही मिनिस्टर कहते हैं कि पाले से जरूर नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं हुआ है कि हमारी ओवर आल रिक्वायरमेंट से कम हुआ हो। यू० पी० के अन्दर गल्ले की पैदावार बढ़ी है। यू० पी० सरकार के डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर का कहना है कि १६ आउन्स फी आदमी बालिग मुकर्रर है। तो यू० पी० में १९५१-५२ में ५.९२ लाख टन्स और १९६१-६२ में सरप्लस १२.९५ लाख टन था। १८ मुख्य खेती

[श्री जेड० ए० अहमद]

की फसलों का एरिया ४० लाख एकड़ इन १० सालों के अन्दर बढ़ा है। टोटल फूडग्रेन १९५१-५२ में १०७.७१ लाख टन था और १९६०-६१ में १४२.७५ लाख टन था, कौन कहता है कि कमी है? कौन कहता है कि एक सेर का गल्ला बिकेगा? यू० पी० में अनाज बढ़ रहा है बावजूद सिंचाई की निकम्मी योजनाओं के जिनमें ७ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। कीमतें बढ़ रही हैं और अनाज भी बढ़ता चला जा रहा है। इस एक महीने के अन्दर अर्थात् २७ जून से २७ जुलाई तक गेहूं के दाम २७.९ प्रतिशत बढ़े हैं जबकि आल इंडिया में इस पीरियड में गेहूं १२.६ प्रतिशत, चावल ९.९ प्रतिशत बढ़ा और आल इंडिया में ५.५ बढ़ा है। कोर्स ग्रेन ३६.६ और आल इंडिया में १०.०० प्रतिशत बढ़ा है। चना १५.१ और आल इंडिया में १०.३ का एवरेज बढ़ा है। जब सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या सरकार को पता नहीं हो सका कि गल्ले के भाव बढ़ रहे हैं। कभी कहा जाता है कि गल्ला आ रहा है, जहाजों से उतर रहा है और आ रहा है। तो इस तरह से क्यों हमारी जिन्दगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? इसके लिए मैं आपके सामने १२ सुझाव रखता हूं:

(१) स्टेट ट्रेडिंग को चालू करना चाहिए जैसा कि सभी समझदार लोगों ने कहा है, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का रेज्योलूशन है और बड़े-बड़े इकोनामिस्टों ने कहा है सिवाय बड़े-बड़े व्यापारियों के.....

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

श्रीमन्, जो बात कही गयी है, वह बिलकुल गलत है....

मैंने दिल्ली में सिर्फ इतना कहा था, जैसा कि वहां प्रोपोजल था कि सेन्टर की तरफ से एन्टायर स्टेट ट्रेडिंग होगी, कि ऐसा होगा, तो इस में यह खतरा है कि सारा ग्रेन सेन्टर के कन्ट्रोल में चला जायगा, हमारे पास नहीं रहेगा। मैं स्टेट ट्रेडिंग के हक में हूं, लेकिन उसमें स्टेट का हाथ ज्यादा हो। इतना ही अन्तर था मेरे कहने में।

श्री जेड० ए० अहमद—

मैंने गलतफहमी के कारण जो गलतबयानी की उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि कितनी तेजी से आप स्टेट ट्रेडिंग करती हैं। अब मैं अपने सुझावों पर आता हूं—

(२) मौजूदा राइस मिल्स का राष्ट्रीयकरण किया जाय और नयी राइस मिल्स खोली जायं।

(३) बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा ग्रेन्स में जो फार्वर्ड ट्रेडिंग होता है, वह बन्द हो।

(४) फार्वर्ड ट्रेडिंग पर बैन होना चाहिए अनाज के सिलसिले में।

(५) १२ क्विन्टल से ज्यादा जिनके पास स्टाक्स हैं वे डिक्लेयर किये जाने चाहिए। जैसे महाराष्ट्र ने किया है। बिहार करने वाला है और यह भी डिक्लेयर किया जाय कि स्टाक्स कहां पर रखे गये हैं।

(६) जो रूल्स को तोड़े सख्ती के साथ उसको सजा दी जानी चाहिए।

(७) २ हजार आदमियों के पीछे एक दूकान होनी चाहिए और स्टेट-ट्रेडिंग के लिये काफी गल्ला गोदामों में होना चाहिए ताकि फ्री मार्केट के साथ कम्पटीशन हो सके।

(८) गल्ले की दूकानों पर नियंत्रण जनवादी मुहल्ला कमेटियों के जरिये होना चाहिए कि घूसखोर अफसरों के जरिये।

(९) घूसखोर अफसरों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सदन के ५ आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर की जाय जो कि ५ जिलों के रिश्वतखोरी की जांच करे और सुचेता जी को रिपोर्ट दे।

(१०) अब भी बड़ी बड़ी जोतें हैं। हदबन्दी होनी चाहिए और एक कमीशन इस के लिए मुकर्रर होनी चाहिए।

आखिर में मैं अपील करूंगा कि मिलकर इस सवाल को तय किया जाय। मैं जानता हूं कि इस तरफ के भी बहुत से लोग हैं जो तड़प रहे हैं और जिन की जबानें बन्द हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिल कर इसको करें। चीजों को बदलें, अगर नहीं बदलेंगे, तो हमारी आवाज उठेगी और हम संघर्ष करेंगे। आप कहेंगे कि कुचल देंगे, तो कुचल दो। हम जनता के नुमाइन्दे हैं और आप भी हैं। इसलिए आप की तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए। मुमकिन है कि आप की और हमारी आवाज मिल कर कोई रास्ता निकाल ले। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगी, यह न समझकर कि अपोजीशन की तरफ से यह चीज आ रही है, बल्कि हम लोग लाखों करोड़ों आदमियों को रिप्रेजेन्ट करते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दें। ऐसा जवाब न दें कि जिसको कि मैं बचकाना जवाब समझता हूं कि सब मिलकर एक आदमी हो जाय।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो चार दिन से अविश्वास का प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। लेकिन यह बात जरूर है, चाहे आज कांग्रेस के कर्ताधर्ता हों या विरोधी दल के नेता हों, सब की जबान पर सबके दिमाग पर एक ही बात है कि आज हमारे प्रदेश में गल्ले की कमी है। जनता भूखी और परेशान है और यह एक ऐसी हकीकत है जिसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन मैं इस माननीय सदन में पूछूंगी कि क्या इस मर्ज का इलाज यह अविश्वास का प्रस्ताव है और क्या जलूस, जल्से और मीटिंग्स तथा स्ट्राइक इस मर्ज का इलाज हो सकते हैं। अगर हमारे भाइयों की यह धमकी हकीकत के रूप में भी आ जाय तब भी यह मर्ज का इलाज हरगिज हरगिज नहीं हो सकता।

और इस सदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मिसाल दी गयी कि ब्रिटिश राज्य में कभी भी इस प्रदेश में ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी कि आज हो रही है। लेकिन मेरे विरोधी भाई यह भूल जाते हैं कि ब्रिटिश राज्य में यानी इंग्लैन्ड में आज भी यह कायदा है कि अगर देश पर कभी किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, चाहे वह दूसरे देश के आक्रमण की सूरत में हो या देश में किसी तरह की अन्दरूनी मुसीबत हो या गिजा की किल्लत हो या किसी अन्य किस्म की कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो तमाम विरोधी पार्टियां मिल कर जनता के दुख दर्द को दूर करने की, समस्या को हल करने की पूरी-पूरी कोशिश किया करती हैं। लेकिन आज हमारे विरोधी भाई इस हालत से राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक पालिटिकल स्टन्ट बनाया जा रहा है। लेकिन हमारी जनता में आज सियासी बेदारी पैदा हो गयी है और वह समझती है कि कौन किस मकसद के तहत क्या कह किया और कर रहा है। आज देश की जनता परेशान है, लेकिन मैं देखती हूं कि जब कभी भी विरोधी पार्टियों के जरिये कोई जुलूस या जल्सा किया जाता है तो जनता बहुत कम दिखायी देती है। इसका मतलब यह है कि जनता समझती है कि ये राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए है। कोई कांस्ट्रक्टिव काम नहीं है। आज वह सरकार के ऊपर आशा लगाये हुए है। अगर जनता की परेशानी की तरफ जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो यकीन मानिये कि कल को उनकी यह परेशानी मायूसी में बदल सकती है और वह सब कुछ हो जायगा जो नहीं होना चाहिए। मैं सरकार को चौंकाना चाहती हूं कि वह होश में आवे।

[बेगम किश्वर आरा]

दूसरी बात यह है कि हमारे देश और प्रदेश ने जो तरक्की की है वह किसी से छिपी नहीं है। आज हर विभाग में उन्नति हुई और तमाम दुनिया उस पर हैरान है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जनता को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अगर उन पर जल्दी काबू न पाया गया तो हमारे सब किये पर पानी फिर सकता है। इन हालात में हमारी जनता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती और ज्यादा दिनों तक इन कठिनाइयों को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा न हो कल उसमें बरदाश्त करने की शक्ति न रह जाय। मैं आप के द्वारा सरकार के अधिकारियों से निवेदन करना चाहती हूं कि जखीरेबाजों के पास जो गल्ला जमा है, उसको न केवल अपनी ड्यूटी जानकर बल्कि अपनी कौमी खिदमत समझ कर उनसे निकाल कर बाहर बाजार में लावें।

तीसरी बात जो केन्द्रीय सरकार और इस सरकार के दरमियान जो मतभेद है वह जल्द अज जल्द दूर होना चाहिए। केन्द्र यह समझता है कि जो गल्ला हम दे रहे हैं वह यू० पी० के लिए काफी है और हमारी सरकार जो बात कहती है कि यू० पी० एक बहुत बड़ा सूबा है उसकी आबादी सब से ज्यादा है और इसलिए उसको सब से ज्यादा गल्ले की जरूरत है और उसे केन्द्र को हमें जल्द और फौरन पूरी मिकदार में देना चाहिए। और हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार को मिलकर आपस में तय करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त हो गया, आप बैठिये।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उधर से यह आरोप बराबर लगाया गया है कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए कोई समिति बुलायी गयी और उसमें विरोधी पक्ष के कुछ लोगों को बुलाया गया। वे आये, बातें हुयीं और बाद में चले गये, शरीक नहीं हुए। कोई न तो बात सुनने के लिए और न करने के लिए तैयार है तो मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि बातें करने के लिए आदमी आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जब जाकर यह देख लिया है कि क्या हालत है और किस मतलब के लिए हमें बुलाया गया है और जब यह समझ लिया गया कि गलती सारी इनकी है तब उसमें शरीक होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए जान बूझकर हम नहीं गये।

हमारी तरफ से जो सरकार के इस्तीफे की बात कही गयी है वह सुचेता जी की सरकार से मतलब नहीं रखती, वह तो कांग्रेस की सरकार के इस्तीफे के बारे में है। सुचेता जी हट जायं या नेगी जी हट जायं, उनकी जगह दूसरे आ जायं, तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ और उससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे, मिडटर्म एलेक्शन हो और जो चुन कर आवें, अगर आप आवें तो आप हुकूमत करें। यह सही है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद फूड डिबेट पर हो गयी, लेकिन मैं समय कम होने के कारण सिर्फ जो बातें छूट गयी हैं उसको पहले निवेदन करूंगा। तीन चीजों के लिए कांग्रेस ने वायदे किये थे। योजनाओं के द्वारा जनता की उन्नति, समाजवाद की स्थापना और प्रजातंत्र के लिए पोषण। तीनों चीजों में कांग्रेस फेल हुई है मेरा यह चार्ज है इनके ऊपर। योजनाओं में आप स्वयं देख सकते हैं। अगर योजनायें सफल हुई होतीं तो आज यह भुखमरी न आती। आज जो भुखमरी आयी है यही इस बात को सिद्ध करती है कि योजनायें फेल हो गयीं। श्रीमन्, यह इन्हीं की पुस्तक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा और इसमें यह दिया हुआ है कि २०,३१० करोड़ रुपया तीन योजनाओं में खर्च होगा और इसका परिणाम क्या हो रहा है? तीसरी योजना भी समाप्त होने जा रही है। २०,३१० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हमारे हाथ क्या लगा---भुखमरी, चोरबाजारी और भ्रष्टाचार। यह तो श्रीमन् जी इनकी योजनाओं का कुफल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज समाजवाद, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है यह भी देख लीजिये। वैसे तो समाजवाद की बड़ी-बड़ी व्याख्यायें हैं। अलग-अलग लोग अपने-अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। समाजवाद एक ऐसा शब्द हो गया है कि जिसकी जो चाहे जिस ढंग से व्याख्या कर ले। मगर आमतौर से उसकी व्याख्या यह समझी जाती है कि उत्पादन, विनिमय और वितरण, इन तीनों पर समाज का पूरा-पूरा अधिकार हो, जिस व्यवस्था में हो उसको समाजवादी व्यवस्था कहेंगे। इन तीनों में भी इनका समाजवाद बिलकुल फेल हुआ है। अगर समाजवादी की हैसियत से हम देखें, तो, हालांकि हम तो उसको बिलकुल गलत समझते हैं, हम तो यह समझते हैं कि यह हो ही नहीं सकता, बिलकुल गलत चीज है। उत्पादन पर समाजवाद में समाज का पूरा अधिकार होना चाहिए। आप बतायें किस चीज पर पूरा अधिकार आप का हुआ? विनिमय को देखें, कर लगाकर उसके बदले में उसे कोई चीज देना, इसमें आप कहां तक कामयाब हुये हैं? अभी डाक्टर साहब ने बताया और आंकड़े भी दिये कि सिंचाई के लिए जहां हम थे वहीं हैं, जबकि कर लगाने में कोई चीज बाकी नहीं उठा रखी। जहां आप की नहर नहीं पहुंची है, वहां के लोगों से भी कर वसूला गया। और वितरण को तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। केवल एक चीज, गल्ले का वितरण आपने हाथ में लिया और उसमें भी एक शर्त लगाकर कि केवल कुछ लोगों, को इतनी आय से नीचे वालों को हम देंगे, लेकिन उसकी क्या स्थिति है यह भी देख लीजिये। शहरों में वितरण की स्थिति यह है कि डेढ़ किलो प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह गेहूं दे रहे हैं। १७ तोला एक आदमी का एक रोज का पड़ा। यह है आप का वितरण। ढाई किलो प्रति परिवार प्रति मास चावल आप दे रहे हैं शहरों में। अगर परिवार आपही के हिसाब से पांच आदमियों का मान लें तो प्रति व्यक्ति प्रति दिन १.३३ तोला चावल दे रहे हैं। यह है वितरण। गांवों में श्रीमान् जी, १२ सौ की आबादी वाले गांव में ४ क्विन्टल १५ दिन के लिए दे रहे हैं—३२ हजार तोला। फी आदमी फी दिन १ ७/९ तोला पड़ा। यह है वितरण का हाल। तो इस प्रकार से समाजवाद की व्यवस्था लाने में भी यह सरकार बिलकुल फेल हुई है। इसलिए हम इसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव ले आये हैं कि कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे। उसमें चाहे सुचेता जी की सरकार हो, चाहे कोई और साहब हों, जो चारों तरफ घूमघामकर तरकीबें लगा रहे हैं, कोई भी हों, इस से मतलब नहीं है। (व्यवधान) . . . चाहे माननीय गेंदासिंह हों, चाहे कोई हों। हम चाहते हैं कि यह कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे।

तीसरी चीज है प्रजातंत्र का पोषण। प्रजातंत्र का पोषण यह कैसा कर रहे हैं? विरोधी पक्ष के किसी सदस्य की बात जाने दीजिये, उस पक्ष के सदस्यों की बात जाने दीजिये, श्रीमान् जी, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज जो हैं वह अपने मुंह से अगर कोई बात कहते हैं और उनके विभागीय सेक्रेटरी उसको नहीं मानते हैं, तो मंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अपने मिनिस्टर से कहता है कोई सही बात अपनी जानकारी के आधार पर, जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन मिनिस्टर साहब अपने विभागीय सेक्रेटरी के सामने उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और विभागीय सेक्रेटरीज क्या समझते हैं अपने मिनिस्टर्स को, वह भी सुन लीजिये। मैं नाम नहीं लूंगा, एक रोज मैं एक सेक्रेटरी के पास किसी अपने काम से बैठा हुआ था, एक दूसरे सेक्रेटरी साहब आये तो पूछते हैं कि कहो भैया, तुम्हारे बुद्धू का क्या हाल है? माफ कीजियेगा, मन्त्री जी, आपको आपके सेक्रेटरीज मन्त्री नहीं बुद्धू कहते हैं।

मैं अपने कान से सुने हुए हूं। प्रजातंत्र का पोषण जिस तरह से यहां पर होता है वह भी सुनिये। मन्त्री जी की यहां पर यह इज्जत है कि विभाग के सेक्रेटरी उनको बुद्धू कहते हैं। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की यह इज्जत है कि मन्त्री लोग उनकी बात सुनते नहीं हैं चाहे जो कुछ भी हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि ४ हजार टन गल्ला यहां से बाहर भेज दिया गया। उसका विरोध यहां तमाम लोगों ने किया, लेकिन माननीय मन्त्री जी मजबूर थे, क्योंकि विभाग के सेक्रेटरी ने उनसे कहा था वह बचनबद्ध हो गये थे, इस वजह से ४ हजार टन गल्ला यहां से बाहर भेज दिया गया। विभाग के सचिव के बचनबद्ध होने के कारण यहां की ७ करोड़ जनता

[कुंवर श्रीपालसिंह]

को भुखमरी में लाकर खड़ा कर दिया। मन्त्री जी तैयार न थे, लेकिन विभाग के सेक्रेटरी उनके सर पर आकर चढ़ गये, इसलिए बाहर भेज दिया। न यहां के लोगों की बात सुनी और न जनता के प्रतिनिधियों की बात सुनी। केवल सेक्रेटरी की बात सुन कर उन्होंने यह कर दिया।

मैं आप को बताऊं कि अरहर, मटर, जौ और गेहूं के आंकड़े यहां पर पारसाल के मुकाबले में बहुत मामूली कम दिखाये गये हैं। पारसाल ६३–६४ के मुकाबले में इस साल अरहर ४५ प्रतिशत कम, मटर, ४४ प्रतिशत कम, गेहूं २८ प्रतिशत कम और जौ ३५ प्रतिशत कम पैदावार के दिखाये गये हैं यानी कुल पैदावार केवल २० प्रतिशत इस साल कम हुई है। आप लोग भी गांव में रहने वाले हैं। जब गुप्ता जी की आंख का आपरेशन सीतापुर में हुआ था तो बहुत लोग उन को देखने के लिए गये थे। आप को यहां से सीतापुर तक एक पेड़ भी अरहर का दिखायी नहीं दिया होगा। मगर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि वह ४५ प्रतिशत कम हुई है। और गेहूं के लिए कहा जाता है कि वह २८ प्रतितश कम पैदा हुआ। इसका केवल कारण यह है कि आंकड़े बनाता है लेखपाल और वह अपने घर में बैठकर बनाता है। वहां से मन्त्री तक सुरंग लगी हुई है बस मन्त्री जी के पास आ जाते हैं। तहसीलदार, कलक्टर और सेक्रेटरी के पास होते हुए मन्त्री के पास आ जाते हैं। बस उसी चीज को यहां सदन में मन्त्री जी कह देते हैं। इसका विरोध कोई नहीं करता है। इसीलिए यह भुखमरी पैदा हो गयी है। मेरा सरकार पर चार्ज है कि इन सेक्रेटरी की वजह से ही गलत आंकड़े मन्त्री जी के सामने रखे गये और इसका ही यह परिणाम हुआ कि २० फीसदी कमी पैदावार में कही गयी और सोचा गया कि काम चल जायगा। सुचेता जी और नेगी जी द्वारा बारबार कहा गया, लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। वे गलत आंकड़े सेक्रेटरी ने कहे, तो अब मन्त्री जी सेन्टर की तरफ देख रहे हैं कि वहां से गल्ला मिले तो काम चले।

(श्री सत्यदेव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)––

यहां पर अलग-अलग क्षेत्रों से लोग आये हुए हैं, तो सभी लोगों की आपको बात सुननी चाहिए। हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों से आये हैं तो उस की तरफ भी आप को देखना चाहिए। आप को किसी के इशारे पर नहीं चलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठ जाइये।

*श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)––

अधिष्ठाता महोदय, आज इस अविश्वास के प्रस्ताव पर मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे आप की बात को हम लोग शान्तिपूर्वक सुन रहे थे वैसे ही आप हमारी बात गलतियों को क्षमा करते हुए सुनियेगा। आपको हमारे वियोग का बड़ा क्लेश है, लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि हमको भी आपकी इन हरकतों से बड़ा दुख है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आप को सद्बुद्धि दे। आप का साथ हमने नहीं छोड़ा है, बल्कि आपका मार्गदर्शन किया है। आपकी झेप मिटायी है और उस रास्ते पर आप भी आने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हम ने भूल की है तो भी हम तीर्थ स्थान में ही पहुंचे हैं। और आप को भी इस का गर्व होना चाहिए। मैं आप की कटु से कटु बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी मधुर से मधुर बात सुनने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप मुझे सम्बोधित कर के अपनी बात कहिये।

श्री सत्यदेव—

मैं यह चाहता हूं कि आप यह समझ लीजिये कि अगर इधर सम्मिलन हुआ है तो वह सम्मिलन उधर भी हुआ है। फर्क यह है कि हम तो समुद्र में मिले हैं, उधर एक नाला दूसरे नाले में मिल गया है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

कुवें में चले गये या भाड़ में इस से यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सत्यदेव—

मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर नाले, नदी का विश्राम स्थल समुद्र है। बिना वहां पहुंचे शांति नहीं मिलती। आप छोटे-छोटे नाले मिल कर बरसात के सीजन में क्षति तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि गरमी का मौसम आने पर जब आप से आबपाशी की आशा की जायगी तो आप में एक कतरा पानी भी नहीं रहेगा। आज वैसे ही यह आपोजीशन के हमारे दोस्त इस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिये भुला रहे हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि अस्थिरता की भावना पैदा हो जाय। लेकिन रचनात्मक सुझाव देने का जब अवसर आयेगा तो आप के पास कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि ईश्वर के नाम पर आप इतना ध्यान रखें कि भले ही हम और आप रहें या न रहें, लेकिन कम से कम यह प्रान्त रहे या मुल्क रहे और इसे ध्यान में रख कर आप भाषण करें।

आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस्तीफा दे, मैं भी कहता हूं लेकिन यह काम सुपुर्द किसके करें? यह भानमती का कुनबा है उसे या किसी और को? हम को कोई वारिस नहीं दिखायी देता। आया कोई गवर्नमेंट रहे या न रहे? अगर आप हमें पथभ्रष्ट समझ रहे हैं तो आप को इत्मीनान होना चाहिए कि अशोक मेहता जी जो १९६२ में आप के नेता थे और जिन की छत्रछाया में हमने वह एलेक्शन लड़ा था और जो एक मात्र पार्टी के स्तम्भ हैं और माननीय जय प्रकाश नारायण जी नें भी इतने दिनों बाद अपनी भूल स्वीकार की है। जब बड़े-बड़े दिग्गजों की यह हालत है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? आप बिना मतलब यह समझते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट का सल्यूशन हुआ है। मैं इन पार्टियों के लोगों को भी अपने दल के सदस्यों की ही तरह समझता हूं। ये उसी पेड़ की शाख हैं, उसी कांग्रेस रूपी वृक्ष की शाख हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता—

आपका भी टर्न आयेगा। अभी आप उन को बोलने दें। इस सदन में आप कटुता लाना चाहते हों, तो बात दूसरी है, वरना मैं आप से निवेदन करता हूं कि जो विषय है, उसी विषय के ऊपर आप बोलें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर आप सदन में वितंडावाद फैलाना चाहते हैं तो दूसरी बात है, वरना जो विषय है, उसी पर माननीय सदस्य बोलें। मेरी समझ में उनका एक वाक्य भी विषय से सम्बधित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

जो वह कह रहे हैं, वह विषय से संगत है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अविश्वास के प्रस्ताव में पार्टियों की विवेचना और व्याख्या नहीं होती।

श्री अधिष्ठाता---

वह मैंने कह दिया आप बैठिये।

श्री सत्यदेव---

जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मै उन पार्टियों के बारे में निवेदन करूंगा कि वे कल तक इस दरख्त की शाख रही हैं। इसमें त्याग और तपस्या की है। इस की पोलिटिकल बैकग्राउन्ड है और इसे उन आदमियों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए जो आजादी के बाद घास-फूस की तरह उग आये हैं। अगर कांग्रेस के हरे-भरे दरख्त को सूखने का वह स्वप्न देखते हैं तो आप को मालूम होना चाहिए कि दरख्त की टहनियां पहले सूखती हैं। पहले जब आप सूख जायेंगे, तब इस दरख्त पर आंच आयेगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि भुखमरी का समय है, लोग दाने दाने को मर रहे हैं और इस विषम परिस्थिति में हम पड़े हैं तो इस में कोई दो रायें नहीं हैं। देश की हालत खराब है, लेकिन हमें इस समय अधिक तत्परता और प्रहरी की तरह देश की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो इलाज आप पेश कर रहे हैं उसेसे हमारा मत भेद है। आप चाहते हैं कि कांग्रेस इस्तीफा दे। आज तक मुल्क ने इस डाक्टर का इलाज किया। उस के जरिये ही हमने आजादी पायी। जिस के नाम से सारे देश को प्रेरणा मिली अगर उसे ठुकराना चाहते हैं तो उसकी जगह हम किस का इलाज करें इसे पहचानने की हमें तमीज नहीं है।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अन्तिम चरण में भी भाई सत्यदेव जी इस समय जो इधर से उधर चले गये, के लिये दुख मुझे भी है। खासकर इसके लिये भी कि, मेरे देवरिया जिले में डकैती पड़ी। राशन की दूकान लूटे जाने वालों के लिये मंत्री जी ने कहा कि वे मुल्जिम बना दिये गये है। इस संबंध में मैं आपसे फरियाद करना चाहता हूं कि हमारी डकैती के कई मुल्जिम थे। मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री हुकुम सिंह विसेन आदि को डकैती का मुल्जिम होना चाहिये। आज हमारे प्रदेश की हालत बड़ी खराब है। हमारे राजा रानी भूखों मर रहे हैं। मैं श्री सत्यदेव भाई को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की हालत बहुत खराब है।

इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह बापू के बारे में कहना चाहता हूं, जिनकी मूर्ति यहां पर लटकी हुई है। एक बार बापू यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे। बापू ने वहां अन्त में क्रुद्ध होकर कहा "ऐ' अंग्रेजों, बोरिया बिस्तर लेकर बाहर जाओ।" उन्होंने कहा 'मुल्क का क्या होगा"? गांधी जी ने उत्तर दिया मुल्क चाहे जहन्नुम में जाय, तुम यहां से निकलो। मैं आज इस सरकार से कहता हूं कि वह इस्तीफा दे मुल्क चाहे जहन्नुम में जाय क्योंकि आज इस सरकार के कारण अकाल और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। इस सरकार ने तो रंगदार चश्मा पहन रखा है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं कहता हूं कि आज इस अविश्वास के प्रस्ताव से अगर नहीं हटोगे तो लाखों नर नारी आयेंगे और आपको मार कर भगा देंगे। अंग्रेजों के जमाने में ३ लाख एकड़ भूमि पर खेती होती थी, जब कि आज ४.४०२ लाख एकड़ पर खेती होती है। उनके जमाने में ७ मन फी एकड़ अनाज होता था, आज कितना है? पटेल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिये। आजमगढ़ में ३.३ मन फी एकड़ की पैदावार है। कैनाडा वगैरह में, जहां से आप गेहूं मंगाते हैं, वहां ३०-४० मन फी एकड़ पैदा होता है। मगर यह गांधी जी की सरकार ३.३ मन फी एकड़ अन्न पैदा करवा पाती है। ४७ लाख टन की कमी फरवरी में मालूम हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कि भाषण क्या दूं। मेरे पास समय ही नहीं है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलने जब माया देवी गयीं तो उन्होंने उनको चूड़ियां दिखाकर कहा कि लो इनको पहन लो और वापस चले जाओ। कानपुर में आर० एफ० सी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने १ लाख टन चावल २०-२२ के भाव में बेच दिया। वासुमती चावल एक लाख टन खरीद कर बाहर बंगाल में ६०-७० रुपये मन पर बेचा। हे ईश्वर, इन गुनाहगारों पर रहम कर। हमारे यहां रामपती यादव, जद्दू, इलाहाबाद के एक गांव में ७ आदमी मर गये भूख से तड़प-तड़प कर, और कई मौतें भूख से हुई, मगर यह सरकार कहती है कि भुखमरी नहीं है। क्या यह सब हमारे भाषणों से हुई हैं? हमारे भाषणों ने इनको मार दिया। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे कुछ टाइम दिया जाय।

आज चारों तरफ भुखमरी और अकाल की स्थिति है। सोशलिस्ट पार्टी ने १०-१२ साल पहले अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। उन सुझावों में हमारा दाम नीति का सबसे मुख्य सुझाव था। हमने कहा था कि प्राइस कमीशन बिठाओ। प्राइस कमीशन के लिये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के प्रारूप में पढ़िये, क्या लिखा है, अशोक मेहता साहब ने क्या कहा है, उन्होंने भी कहा है कि प्राइस कमीशन बनाओ। किसने आपको मना किया था? लेकिन उसमें आपकी दिलचस्पी ही न थी। 'जस जस सुरसा बदन बढ़ावा।' टैक्स लगाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो। आज जिनके बाप दादे भूखों मरते थे उनकी ८-१० लाख की हैसियत मिनिस्टर होने के बाद हो गयी है। बरहज में मैं गया था ६५ रुपया प्रति क्विंटल गेहूं था और कल जब आया है तो १०५ रुपया था और दालें ६५ रुपया। कलेक्टर कहता है कि दूकानें लूट ली गयीं। सुचेता कृपालानी की बड़ी दूकान लूटे तब कुछ हो। यही तो बगावत की निशानी है। यह लेकिन सरकार तो सोचती है कि अमेरिका से जहाज चला और समस्या हल हो गयी कौन सा गेहूं -पी० एल० ४८० बिलकुल सड़ा हुआ जिसे वहां कोई भी नहीं खाता वह लाल बहादुर शास्त्री के राज्य में हिन्दोस्तान की जनता को खिलाया जा रहा है। आज दिल्ली और लखनऊ के गोदामों को खोलने की जरूरत है। अमेरिका वालों के गोदाम खुले लेकिन उस सड़े अनाज से हम मर गये। जैसा हमारे भाई डाक्टर साहब कह रहे हैं यह भी तो एक प्रकार का परिवार नियोजन है। मंत्री जरा सोचें और जनता को अनाज दें वरना याद रखें वे इस धधकती हुई भूख की ज्वाला में जल जायेंगे। मुझको तो भाई सत्यदेव की बात सुन कर वह शेर याद आ गया.---हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम भूख की ज्वाला के बारे में कहते हैं तो भी सत्यदेव जी हम पर नाराज होते हैं, लेकिन वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। भूखों मरने वालों को डी० आई० आर० से दबाया जाता है। ओम् प्रकाश, हरी सिंह, राकेश चतुर्वेदी, हर सहाय सिंह, चंदर सिंह गढ़वाली और पुतान सिंह पर तरह-तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। मैं अब मंत्री जी को १८ तारीख के लिये न्योता देता हूं। उस दिन हम सारे उत्तर प्रदेश को बन्द करेंगे, रोडवेज को भी नहीं चलने देंगे और सब विरोधी पार्टियां मिलकर करेंगी। सरकार उसको दबाये, हमको जेलों में बन्द करे।

अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि अब भी समय है, आप चेतो, उठो, मुल्क को बरबाद न करो। दुनियां में जवाहर लाल नेहरू और चालू हुकुमत का इतिहास बहुत बुरा लिखा जायगा। क्यों? इसलिये कि उसने हिन्दोस्तान की जनता को भूखों मारा है।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके साथ रावत जी का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस विषय को आपके सामने रखा और अपने पहाड़ों की ओर नजर डाली। यह सही है कि खाद्यान्न की समस्या हमारे प्रदेश में बहुत जटिल हो रही है, लेकिन इस खाद्यान्न समस्या को लेकर जो यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण, यह मसला ऐसा नहीं था जिस पर अपोजीशन इस हथियार का, जो कि उनका मुख्य शस्त्र है, ऐसी स्थिति में इस्तेमाल करता। मान्यवर, खाद्य समस्या कोई ऐसी नहीं है जिसके लिये अकेले सरकार ही जिम्मेदार हो, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो।

(इस समय २ बजकर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश व प्रदेश की खाद्य समस्या खराब हुई है । प्रदेश के अन्दर इस खाद्य समस्या को ले करके हमारा आपोजीशन जो यहां बैठा हुआ है, इसका नाजायज फायदा उठाना चाहता है । अगर उसके दिल के अन्दर सच्चाई होती, अगर उसके दिल के अन्दर मानवता का जरा भी अंश होता तो इस समस्या का समाधान इस प्रकार से नहीं करना चाहते ।

मान्यवर, एक चीज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब कि हमारे सामने खाद्य समस्या को लेकर के सिविल वार की थ्रेट दी जाती है । यह सही है कि दुनिया के किन्हीं देशों में फूड क्राइसिस के वक्त में भी सिविल वार हुई है लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि हमारे यहां वह परिस्थिति कभी भी नहीं हो सकती है जिनके आधार पर वे ऐसी कल्पना भी कर सकते हों । लेकिन इसके पीछे एक राज है और वह यह है कि जितनी भी रिएक्शनरी फोर्सेज हैं वे चाहते हैं कि आज सारी ताकत को अपने हाथों में ले लिया जाय और आज जो प्रोगेसिव पार्टीज हैं उनको कुचल दिया जाय । इसका सारा राज यही है । मान्यवर, चीफ मिनिस्टर ने आपोजीशन पार्टीज के सब नेताओं को एक मौका दिया कि हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या बड़ी जटिल हो रही है, इसके हल करने में हमें आप लोग सहयोग दीजिये ताकि हम अपनी खाद्य समस्या को ठीक करें । लेकिन आपोजीशन पार्टीज ने जिस तरह से इस अवसर का नाजायज फायदा उठाया या उस अवसर को अचेल नहीं किया और उस वक्त जो सहयोग उन्हें प्रदान करना चाहिये था, वह न करना एक किस्म का बिट्रेयल है ।

एक बात हमारे इस सदन में माननीय माल मंत्री ने रखी और मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि अगर नेगी जी को सही माने में खाद्य समस्या को हल करना है तो उनको चाहिये कि वे ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वालों का सहयोग हासिल करें और तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है । लेकिन जो सलाह माननीय उपनेता सदन ने श्री नेगी जी को दिया, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे डाइरेक्शन का वे स्वयं भी इस्तेमाल करें । खाद्य समस्या को खराब करने के लिये एक कांसपिरेसी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नं० १ पर जो ब्यूरोक्रेसी की है, नं० २ पर उसकी जिम्मेदारी आपोजीशन पर है और नं० ३ पर उसकी जिम्मेदारी होर्डर्स पर है । इसके अलावा यह अवश्य है कि हमारी राज्य सरकार का भी इसमें कुछ दोष है जो आज ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेल रही है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार ने जो वायदा किया था उसको उसने नहीं निभाया जिसकी वजह से रोज नेगी जी उनके खिलाफ लिखते हैं और वे उनके खिलाफ लिखते हैं ।

इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि लगातार ३ सालों से हमारी फसले खराब हो रही हैं और वे भी आज की खाद्य समस्या के लिये जिम्मेदार हैं। यहां पर एक दो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि किसानों के घरों की सर्च होनी चाहिये । अगर सरकार ने इस तरह का कोई कदम उठाया तो वह दुर्भाग्य की बात होगी और वह एक घातक कदम होगा ।

समय कम है, दो एक बातें मैं जल्दी में कहना चाहता हूं । अव्वल तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की पालिसी है वह बहुत ही डिफेक्टिव है । मैं चाहता हूं कि यह पावर डी० एस० ओ० से छीनकर जिलाधीश को दे दी जाय। फूड ऐडवाइजरी कमेटी जो डिफन्क्ट पड़ी है उसको यह काम दिया जाय और अन्न की सारी व्यवस्था का काम उनको सौंपा जाय । इसके अलावा जैसा कि पहाड़ में है, बहुत सी जगह आर० एफ० सी० गोदाम बने है, लेकिन वहां जिलाधीश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है । इसलिये वहां पर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट गोदाम बनाये जायं जिन पर एमर्जेन्सी के समय जिलाधीश आपरेट कर सकें । पहाड़ में हर २५–२६ मील पर बफर स्टाक्स बनाये जायं ताकि वर्षा आदि के समय यदि सामान न पहुंच पाये तो वहां से काम चलाया जा सके । इसके अलावा सरकार ने नैनीताल के जिले को छोड़कर अन्य जिलों में सबसिडाइज्ड रेट पर गल्ला देने की व्यवस्था की है । जब गढ़वाल तक के लिये इन्तजाम किया है तो फिर नैनीताल को ही क्यों छोड़ दिया गया ? गढ़वाल और नैनीताल की हालत तो एक सी ही है ।

*श्री अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आप ने मुझे मौका यहां बोलने का दिया। श्रीमन्, प्रदेश के करोड़ों इंसान आज अनाज की बुनियादी जरूरत से तंग आकर परेशान हैं। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, गिरानी और चीजों की कमी के दौर से आज वह इतने परेशान आ चुके हैं कि वह इस सिसकती हुई जिन्दगी से तो मौत को बेहतर समझने के लिये मजबूर है। कुतुबमीनार की चक्करदार सीढ़ियों की तरह जो नये-नये टैक्स आज जनता पर लगाये जा रहे हैं उनसे तंग आकर पिस कर आज जनता और उसके तमाम बशर कमजोर लागिर और आफत में पड़ गये है। नौकरशाही की लापरवाही, कांग्रेस सरकार की आपसी रस्साकशी और धड़ाबन्दी की वजह से प्रदेश की ७ करोड़ जनता के सामने इस वक्त जिन्दगी और मौत का सवाल पेश हो गया है। उन्होंने नंगी भूखी जनता को मौत के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह नोकांफिडेश या अविश्वास का प्रस्ताव जो इस सरकार के खिलाफ यहां पेश किया गया है और जिस पर कई रोज से वहस हो रही है उसी जिम्न में अर्ज है कि डाक्टर संपूर्णानन्द जी, गुप्ता जी और सुचेता जी की हुकुमत में आने के बाद दीगर जनता ने बड़ी-बड़ी उम्मीदें बांधी, लेकिन इन नाखुदाओं और खेवनहारों से कोई आराम व तसल्ली हासिल न हुई, बल्कि जुल्म वह मजालिम में बराबर बढ़ोत्तरी ही होती गई। साथ ही रिश्वतखोरी, कुनबापरवरी और बदइन्तजामी और भुखमरी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। सुचेता जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि "जिसको समझा था खमीरा वह भसाकर निकला।" आज इस सरकार और मंत्रिमंडल की हालत उस बीमार जैसी है जिसके हाथ पैर ठंडे पड़े हों, पसीना छूट रहा हो। इसकी नब्ज छूट चुकी है, पसीने पर पसीना आ रहा है। हाथ पैर ठंडे हो गये हैं, दिल में धुक धुकी बाकी है। उस पर भी स्याही की छत्रछाया है। एक शेर मैं आपकी इजाजत से पढ़े देता हूं।

"दिल में फैजे हयात है और जिन्दगी नहीं।
इक शम्मा जल रही है मगर रोशनी नहीं।"

श्रीमन्, इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी हुकूमत की जरूरत नहीं, बल्कि यहां पर राष्ट्रपति रूल हो तो ज्यादा मुनासिब है। इस प्रदेश का और इन पहलवानों का भी बड़ा फायदा हो जायगा अगर वे इन कुर्सियों से आजाद हो जायेंगे। कोई दूसरा अखाड़ा तैयार करके अपनी ताकत का और अपने दांव पेंच का मुजाहरा कर सकें। मैं एक देहात का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि किस तरह से देहातों में लोग ५ फुट से छोटे-छोटे खजूर के पेड़ों के गूदे को खाकर जिन्दा रह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम ३०–४० हजार पेड़ खत्म हो चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने जिलों के अधिकारियों से कहा कि जिला बहराइच में इतना अनाज भरा पड़ा है और अगर आप चाहें तो मैं बताने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप इस काम को करने को तैयार हैं तो जबाब मिला कि हमारे पास ऐसे जखीरेबाजों की लिस्ट है लेकिन सरकार के आदेशानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, एक मिनट और दे दीजिये।

चौधरी अब्दुल हसीब खां---

श्रीमन्, बड़ा ही अफसोस है कि रोज बरोज दिन प्रति दिन इस बीमार सरकार की हालत बिगड़ती जा रही है। "मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की।" इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो जखीरेबाज हैं उनको पकड़ कर इन गरीबों को खाने को दिया जाय।

(श्री मूलचन्द शास्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस विषय पर ४ दिन से वादविवाद चल रहा है। अगर हमें बोलने का मौका नहीं दिया जायगा तो मैं सदन से बाहर चला जाऊंगा। जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी तरफ से मुंह फेर लिया जाता है। ऐसा मालूम होता है कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम नही है। तो कृपया आप बता दीजिये कि हमारा नाम उस लिस्ट में है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। आपको समय दिया जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

टाइम बता दीजिये कि कब मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

टाइम नहीं बताया जा सकता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मुझे बड़ा अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही हो। आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के समय में ही मुझे बोलने का मौका न मिले, यह बड़े शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कई दफा इस प्रकार की बातें करते हैं। आप ऐसा मत कीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मुझे बड़ा खेद है और अफसोस है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की नाजायज कार्यवाही करते हैं। मैं जाता हूं और आपके प्रति अविश्वास प्रकट करता हूं। शर्म, अफसोस।

(इसके पश्चात् श्री चन्द्रसिंह रावत ने सदन का परित्याग किया।)

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले ४ दिन से जो अविश्वास का प्रस्ताव श्री शारदाभक्तसिंह ने पेश किया है उस पर जितने माननीय सदस्य, विरोधी दल वालों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सब को सरकार से एक ही शिकायत है कि खाद्य स्थिति चिन्तनीय है। बाकी कोई शिकायत नहीं। जहां तक खाद्य स्थिति का संबंध है हम लोगों को इस विषय में कुछ अवश्य सोचना चाहिये। हम सभी का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि हम सब मिल कर यह सोचें कि किस तरह से यह संकट दूर किया जा सकता है।

इस खाद्य स्थिति के दो पहलू हो सकते हैं। एक तात्कालिक और दूसरा दीर्घकालिक भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा न हो उस के लिये जो उपाय किये जायंगे वे दीर्घकालिक होंगे। जहां तक तात्कालिक स्थिति का संबंध है मैं समझता हूं कि इस विषय में सरकार जितनी अधिक प्रयत्नशील है उससे हम कह सकते ह कि यह खाद्य स्थिति बहुत जल्दी ही सुधर जायगी और उतनी अच्छी हो जायगी जितनी कि हम आशा करते हैं। हमारी सरकार बाहर से गेहूं मंगाने में बहुत प्रयत्नशील है, केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री यहां आये, दूकानों पर गए उससे यह मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार बहुत सावधानी के साथ इस समस्या को हल करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में इस स्थिति को सुधारने के लिये अधिक से अधिक मात्रा में वह हमको गल्ला भेज भी रही है।

मैं इस विषय में अपने खाद्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लाई आफिस में प्रायः दूकानदारों को गल्ले मिलने में जो काफी दिक्कतें तथा देरी होती है वह नहीं होनी चाहिये। दूसरे जिन दूकानदारों का संबंध देहात से है उनको सरकार अपने गांव की दूकान तक गल्ला ले

जाने के लिये किराया देती है। होता यह है कि वे दूकानदार गल्ला तो ब्लैक से शहर में बेच जाते हैं और बहुत कम गल्ला देहात तक पहुंच पाता है। मेरा सुझाव है कि सरकार स्वयं ही निश्चित स्थान तक उस गल्ले को पहुंचावे जिसका परिणाम यह होगा कि वह गल्ला जहां पहुंचना चाहिये वहां पहुंच जायगा। फिर यह मुश्किल होगा कि वह वहां से वापस आकर शहर में ब्लैक में बिके। इसके अलावा सरकारी दूकानो पर गेहूं न देकर केवल आटा, शकर तथा चावल दिया जाय तो अवश्य कुछ सुधार हो सकता है। आटे में ब्लैक बहुत कम होता है और ज्यादा ब्लैक गेहूं में ही होता है। जो लोग अच्छा खाना चाहते हैं उनके लिये निजी दुकाने खुली हुई हैं वहां से वे मंहगा खरीदकर खा सकते हैं। लेकिन जहां तक सरकारी दुकानों का संबंध है वहां पर केवल आटा ही बिकना चाहिये। लेकिन सरकार अच्छे से अच्छा आटा देने का प्रबन्ध करे जिसमें कीड़े वगैरा न पड़ सकें। इससे कुछ सुधार हो सकता है। सरकारी फार्मों पर अन्वेषण बहुत हो रहा है उसको कुछ दिनों के लिये सीमित कर दिया जाय और यह देखा जाय कि सरकारी फार्म पर एक बीघे से ज्यादा से ज्यादा कितना अनाज पैदा किया जा सकता है। जो फार्म सुपरिंटेंडेंट मैनेजर हो उसकी यह खूबी होनी चाहिये कि वह अन्वेषण को सीमित करके अधिक से अधिक गल्ला उपजाने का प्रयत्न करे। अगर ऐसा किया जायगा तो दीर्घकालीन स्थिति में सुधार होने की आशा की जा सकती है। दूसरे यह कि जो लोग मई या जून में चरी, मक्का वगैरह बोना चाहते हैं उनसे अगर सरकार कोई लगान न ले तो बहुत अच्छा है। इससे बारिश होने तक मक्का की फसल तैयार हो जायगी और दूसरी किस्म में भी बहुत लाभ होगा।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, अच्छा है, नेगी जी यहां पर हैं.....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, अभी तक जितने वक्ता बोल चुके हैं उनमें प्रायः उन्हीं लोगों को बोलने का अवसर मिला है जो बड़े-बड़े फार्मर्स हैं। हम लोगों का भी नम्बर आना चाहिये जिनके ऊपर यह बोझ पड़ रहा है। हरिजन और भूमिहीनों को मौका नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। आप कृपया बैठें।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, मैं खास तौर से नेगी जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि केन्द्र से हमको गल्ला कम मिला और साढ़े तीन लाख टन मिलना बताया जब कि केन्द्र के खाद्य मंत्री जी ने बताया कि ७ लाख टन दिया गया। इसलिये जब वे जबाब दें तो इस बात को भी साफ कर दें। उन्होंने खास तौर से मजाक किया कि जब कभी कोई स्टेट या मिनिस्टर डिफीकल्टी में होता है तो सेंस और नानसेंस में बात करता है। ऐसी बात उन्होंने कही थी।

कुछ साथियों ने कहा कि नोकान्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया है? अभी मई और जून में आपकी रबी की फसल आई है और केवल एक महीना बीता है और जुलाई में ही प्रदेश की जनता अनाज के लिये चिल्ला रही है। अभी ११ महीने बाकी हैं उनमें क्या होगा। जनों के लिये कहां से इन्तजाम होगा? अगर गल्ला नहीं है फिर भी आप सोचें कि यह मोशन नहीं आना चाहिये तो ठीक नहीं होगा। मैं ठाकुर साहब से कहूंगा कि इसके बहुत बड़े ग्राउंड हैं। पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने धमकी दी कि कुछ लोग कहते हैं कि सिविल वार हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

जो लोग सिविल वार कन्डीशन्स को लायेंगे उनको कुचलने के लिये ताकत हममें है । लेकिन क्या मैं ठाकुर साहब से पूछ सकता हूं कि इस सिविल वार को लाने के लिये जिम्मेदार कौन है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

आप ।

श्री बलवानसिंह—

यह गवर्नमेंट । छोटे-छोटे बच्चे, स्त्रियां और बूढ़े लाइन के अन्दर राशन की दूकानों पर घंटों खड़े रहते हैं । जब किसी गरीब औरत का नम्बर आता है और वह झोली लेकर पहुंचती है, घंटों खड़े होने के बाद, तो उस वक्त दूकानदार खाली बोरी को उलट देता है । कई-कई रोज के बाद जिन लोगों के सामने दाना नहीं आया जिन लोगों के दोनों वक्त की क्या कहें एक वक्त भी खाना नहीं मिलता उस वक्त माल मंत्री साहब कहते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग सिविल वार लाते हैं । मेरा चार्ज गवर्नमेंट पर है कि वह इन कंडीशन्स को लाने के लिये जिम्मेदार है । आप सोचें कि क्यों आप हैं ? कहां है, आपका अनाज ? नेगी जी ने कहा था कि होर्डर्स के पास गल्ला नहीं है, मार्केट में अनाज है नहीं, सेन्टर आपको देता नहीं है, तो मैं पूछता हूं कि ७ करोड़ जनता यहां क्या करेगी ? मेरा कहना है कि पी० एल० ४८० पर, अमेरिका के ४ लाख टन अनाज से क्या आप हिन्दुस्तान का पेट भरना चाहते हैं । १० लाख टन अनाज की जरूरत यू० पी० को है । कैसे पेट भरेगा उस अमेरिका के अनाज से ? यह गवर्नमेंट बिलकुल होशियार नहीं है क्योंकि अभी अक्तूबर के २ महीने हैं । आप २ महीनों के अन्दर ४ छंटाक अनाज फी आदमी खासतौर से गरीब खेतिहर मजदूरों के पेट में नहीं डाल सके और आप जिनको जरूरत है उनको नहीं दे सके तो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आप लोग सिविल वार की कंडीशन को ला रहे हैं ।

आपको प्रदेश और देश की हालत को देखना चाहिये । चीन आपके सिर पर है, पाकिस्तान आपके शिर पर है अगर इस वक्त हिन्दूस्तान का मनोबल गिरेगा तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे । आज जब दुश्मन सर पर खड़ा हो, गरीबों के पास कोई काम न हो, करोड़ों लोग एक-एक दाने के अनाज को ढूढ़ने के लिये आपकी फेयर प्राइस शाप पर घंटों खड़े रहें और उनमें से बहुतेरे अनाज न मिलने पर लौट आवें तो फिर सिविल वार कंडीशन्स के लिये जिम्मेदारी सरकार के सिवाय और किस पर होगी ? मैं आप से पूछता हूं और खास तौर से राममूर्ति जी से कहता हूं कि आप कब तक पुलिस के जरिये से अपनी फेयर प्राइस शाप्स पर राशन बटवायेंगे ? क्या यह आप अप्रैल तक करेंगे । अपने दामन में हाथ डालिये । सोचिये अगर २ महीने में आप सिचुएशन को ठीक नहीं कर पायेंगे तो सिविल वार आ जायगी और इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर होगी । अपोजीशन के लोग इसलिये आपसे कहते हैं कि आप अब भी हमारे सोशलिस्ट पार्टी के ३ सुझावों को मान लें तो मामला सुलझ जाय । पहला तो यह कि अनाजों के दाम मुकर्रर कीजिये । दूसरे आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कीजिये और तीसरे इंटेंसिव कल्टीवेशन कराइये । इंटेसिव कल्टीवेशन हो, हर गांव में ५-५ एकड़ के ऊपर कुएं का इन्तजाम सरकार की ओर से हो और पर्शियन व्हील का इन्तजाम सरकार के खर्चे से हो, अगर एस० एस० पी० के तीन सुझाव सरकार मान ले तो बाहर से अनाज मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि जो तजवीज सरकार के खिलाफ आयी है मैं उस पर कुछ अर्ज करूं यह कह देना मैं मुनासिब समझता हूं और मुझे तकलीफ के साथ यह अर्ज करना है कि २७ तारीख को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मातम में जो तजवीज पेश की गई तो इस हाउस की परम्पराओं के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य मुश्तकिल ५-६ मिनट तक बराबर इस बात पर इसरार करते रहे कि पहले मेरी बात सुनी जाय । मैं बहुत नम्रता से अर्ज करूंगा

कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के कारनामे और उनके काम ऐसे रहे हैं कि सारी दुनिया उन्हें हमेंशा याद रखेगी और हमारी आनेवाली संतान और औलाद हमेंशा उनके एहसान को मानेंगी । ऐसी हस्ती के मातम को तजवीज आयी हो और उसको भी खामोशी से हम न सुन सकें, अपने जजबात में आकर इस बात पर इसरार करें कि पहले हमारी बात सुन ली जाय, तो यह कहां तक मुनासिब है ? अगर हमारे हाउस के सदस्य भी अपने जजबात पर अक्ल की छाप नहीं रख सकते तो बाहर का वह आदमी जो हमें एलेक्ट करके यहां भेजता है उसका क्या हाल होगा जब कि हम इस प्रकार की प्रदर्शन और ऐसी नुमायश यहां करेंगे ?

इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस की भी कुछ परम्परायें हैं । अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनकी जगह बैठने वाला कोई ऐसी बात भी कह देता है जो हमारी मंशा के विरुद्ध हो तो क्या यह उचित है कि हम खड़े रहें और यह कहें कि पहले हमारी बात सुन लो ? सन् ३७ में मुस्लिम लीग यहां अपोजीशन की बेंचेज पर बैठी थी जिसको बुनियादी इख्तियार था सरकार से और जो एक मिनट के लिये यह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी कि कांग्रेस सरकार इस सूबे में हो, लेकिन उसके भी इस हाउस का इतना एहतराम था कि मुखालिफ से मुखालिफ बात आने पर भी वह बैठे रहते थे । आज यहां एक छोड़ पांच-पांच एक साथ खड़े रहते हैं । मैं यह गुजारिश करूंगा कि हमें इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये, यह चीज मुनासिब नहीं है । जब कोई दूसरा आदमी खड़ा होता है तो हम उस पर हिट करने से बाज नहीं आते हैं लेकिन जब वही चीज आप पर इस्तेमाल की जाती है तो आप तिलमिला जाते हैं । इस लिये शीशमहल में बैठकर ढेला फेंकना उचित नहीं है क्योंकि कोई ढेला उधर से भी लौटकर आ सकता है । इसलिये यहां की जो परम्परायें हैं उनको हम कायम रखें और कोशिश इस बात की करें कि इस सदन का स्टेट्स ऊंचा रहे और आगे आने वाली सन्तान इससे कुछ सबक सीखें ।

जहां तक रिज्योलूशन का सवाल है खुद रिजोल्यूशन लाने वाले जानते हैं कि इसमें वह किस हद तक कामयाब होंगे । खुद विरोधी पार्टी आज किन एलीमेंन्ट्स से बनी हुई है, मसलन एक समाज को मानते हुये भी एक समाजवादी इधर को जा रहा है दूसरा उधर को जा रहा है, एक फिरकेवाराना यकीन से भरा हुआ है, एक अपने को बिलकुल इंडिपेंडेंट कहते हैं, इस तरह कितने ही प्रकार के लोगों से मिलकर यह विरोधी पार्टी बनी हुई है । अगर आज इन बेंचेज ने मानो हुकूमत छोड़ दी क्या यह चला लेंगे ? कुछ लोगों ने कहा कि गवर्नर राज्य हो जायगा, राष्ट्रपति राज्य हो जायगा । मतलब कहने का यह हुआ कि हमारे हाथ से तो चीज जाय बाकी फिर चाहे गलियों में फिकती फिरे । उन्हें तो बस इस चीज से गरज है कि यह ट्रेजरी बेंचेज वाले हट जायं । लेकिन अक्ल की बात तो इसमें होती है कि जब कोई आदमी एक बात सामने रखे तो उसके बदले भी उसे सामने रखनी चाहिये । इससे पहले भी इस किस्म के ड्रामे और सीन और पोलीटिकल खेल यहां पर हो चुके हैं जिसमें उन्हें हमेशा नाकामयाबी हुई है ।

विरोधी पार्टियों का यह हाल है कि सबसे पहले तो बन्दरगाहों पर हड़ताल करायी, आप हर उस बुरे कार्य में शरीक हो जाया करते हैं जो इस सरकार के कार्यक्रम में बाधा डाले । वहां से जब अनाज आना बन्द हो गया और अनाज का भाव तेज हुआ तो गरीब काश्तकारों ने अपना अनाज बाहर लाना शुरू किया । उस समय आपने लूट मार शुरू करवा दी, लालेनेस क्रियेट करवा दी ताकि यह गरीब अपना अनाज बाहर बाजार में न ला सकें । यह स्थिति पैदा कर दी । अब आप कहते हैं कि हुकूमत इस बात का उपाय करे । पर हुकूमत कहां से लाये ? आप भी इसी देश के बाशिन्दे हैं और हम भी इसी देश के बाशिन्दे हैं ।

जनाबवाला, न आपकी छत पर अनाज पैदा होता है और न हमारी छत पर अनाज पैदा होता है । यह ऐसी समस्या बन गई है जो आपके और हमारे सब के सर पर आ गई है। मैं मानता हुं कि कुछ कार्यवाही गलत हो सकती हैं । कुछ हमारे कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं जो काबिले इसलाह हों । हम सब इन्सान हैं और इन्सान से गलती हो सकती है । आदमी बारबार गल्ती करता है यह मानी हुई बात है लेकिन उस गलती से नाजायज फायदा उठाना यह कोई भली बात नहीं है । अभी डाक्टर साहब ने फरमाया कि फूड कमेटी में चीफ मिनिस्टर ने उनको बुलवाया था जब उनको यह मालूम हुआ कि अन्दर से यह कमेटी खाली है और कुछ सहायता जनता की नहीं

[श्री अहमद बख्स]

कर सकते, मुसीबत में हिस्सा नहीं ले सकते तो उन्होंने उससे भाग निकलना मुनासिब समझा और इससे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। वरना तरीका यह है कि उसमें जमकर बैठते और यह समझते कि हम भी इस अवाम की मुसीबत में शरीक हों। भुखमरी चाहे मुजफ्फरनगर में हो, चाहे सहारनपुर में हो या बलिया में हो उससे कोई बरी नहीं हो सकता है। न आप बरी हो सकते हैं और न मैं बरी हो सकता हूं। हम को आपको मिलकर उसको फेस करना है। अगर आप यह समझते हों कि यहां से इस सरकार को निकाल दें तो यह नहीं हो सकता है। आप चाहे ५ हजार लोगों के दस्तखत हासिल कर लें और कहें कि मंत्रिमंडल इस्तीफा दे या एम० एल० ए० को वापस बुला लें तो यह नहीं हो सकता है। कुछ हमारी परम्परायें हैं और कुछ उसूल हैं। ५ साल तक आप कितनी ही बुराई करें और आप कितनी भी निन्दा करें लेकिन यहां से वापस जाने का सवाल नहीं है। ५ साल के बाद फिर जनता को मौका होगा। हम यह जानते हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो जनता ५ साल के बाद यहां पर हमको नहीं आने देगी।

तीसरी बात सिविल वार की कही गई। अगर आप यहां पर सिविल वार चलायेंगे तो आपका महल भी बचा नहीं जायगा। हमारी झोंपड़ी में अगर आग लगेगी तो आपका महल भी बचा नहीं रहेगा यह खयाल आपको अपने दिमाग में पूरी तरह से जमा लेना चाहिये। किस तरह से आप सिविल वार चलायेंगे, आप सिविल वार तलवार से चलायेंगे या बन्दूक से चलायेंगे यह आपने कोई ढांचा नहीं बतलाया है। इस तरह से खाली बात करना जनता के लिये न फायदे-मन्द है और न आपके लिये फायदे की बात है। ऐसी चीजों से फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। जब यहां पर गेंदासिंह जी बोलने के लिये खड़े हुये तो कुछ वकील शायरों ने पेट खोले कि वह क्यों इधर आकर बैठ गये। यह तरीका सही नहीं है। "है दुनिया में तरीके अमन व वका के दो, खुद भी जीते रहो औरों को जीने दो।" अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हो सकता। इस तरह से बीच-बीच में हुल्लड़बाजी करना न यह आपके लिये मुनासिब है और न हमारे लिये मुनासिब है। इस हाउस का शरीफाना तरीका यही है कि आप भी अपनी बात कहें और हम उसको सुनें और जो मैं अपनी बात कहूं उसको आप सुनें। अगर मगरबी जिलों की वाटर लागिंग की समस्या को आप हल कर दें जो वहां पर नालों से पैदा होती है तो वहां पर हमेशा के लिये यह दिक्कत हल हो जायगी। मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर न बाढ़ का सवाल है और न कोई और सवाल है। एक बात यह भी है कि जो पावर कनेक्शन सन् १९६३ में दिये गये थे वह आज तक कार्यान्वित नहीं हो सके हैं। लोगों ने बोरिंग करके कुयें बना लिये लेकिन उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिले हैं। सन् १९६३ में कनेक्शन मन्जूर किये गये लेकिन उनको अभी कनेक्शन नहीं मिला जिससे उनकी २ फसल मारी गई। वह रहट से भी अपनी सिंचाई नहीं कर सके। इस लिये आप टाइम मुकर्रर कर दें कि आप कनेक्शन मन्जूरी के कितने दिन बाद उसको कनेक्शन देंगे ताकि फसलों का नुकसान उसको उठाना न पड़े। आपके आर्डर की कम्पलाइन्स नहीं होती है। कोई खयाल नहीं करता है कि हमारे आर्डर का क्या हुआ। इस तरफ नजर रखनी चाहिये जिससे जो काम करना चाहते हैं वह पूरा हो सके। इस तरह से हमारे बहुत काम हो सकते हैं। इन अलफाज के साथ मैं इस प्रस्ताव की मुखालफत करता हूं बल्कि अक्ल का तकाजा तो यह है कि इसको वापस लिया जाय।

श्री नाथूराम शिक्षक—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा यह कहना है कि भारतीय परम्परा के विरुद्ध सुधारवादी कांग्रेसी नेता देश को आज इस स्थिति पर लाकर खड़ा करने के जिम्मेदार हैं, इसलिये इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

मान्यवर, अधिक अन्न उपजाओ बड़े जोरों से चला और उसमें न जाने कितना रुपया खर्च हुआ होगा, लेकिन आज देश में एक दिन के चारे और दाने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिये हम चाहते हैं कि शासनारूढ़ दल त्याग-पत्र दें। हमारे राजस्व मंत्री इस सदन के बहुत पुराने

सदस्य हैं । उन्होंने कानून बनाने के पहले ही अपने को मजबूत कर लिया है और ज्यादा से ज्यादा जमीन में बागात लगा लिये हैं । सदन में उनके तमाम नाना, चाचा और भतीजे हैं और प्रश्नों के उत्तर मंत्री जी प्रहसन में उड़ा देते हैं । यह बड़ी लज्जाजनक बात है । मैंने मई में इलाहाबाद की स्थिति के बारे में नियम ५२ में प्रश्न दिया था कि वहां की आधी जमीन बिना बोयी पड़ी है । सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिये । मंत्री जी ने कहा था कि उसकी जांच करायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने उसकी क्या जांच करायी है और वहां क्या कार्यवाही की ? मंत्रिमंडल की ओर से आश्वासन मिला था कि जगह-जगह टेस्ट वर्क चलाये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में कहां-कहां टेस्ट वर्क चलाये गये और क्या ग्रामोद्योग चलाये गये ? सरकार ग्रामवासियों की ओर से बड़ी उदासीन है। लोगों को दो, दो, चार, चार रुपया दिया है, लेकिन उनको बैलों आदि के लिये तकावी नहीं दी । उनके लिये चारे दाने की व्यवस्था नहीं है और आज वे खेती में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं । लोग भी कमजोर हो रहे हैं और इस तरह से वे अधिक उत्पादन नहीं कर सकते । सरकार की ओर से पुरमजाक उत्तर मिलते हैं, जिनमें असलियत पर परदा डाल दिया जाता है । सरकार के उत्तर को अगर अपोजीशन चैलेंज करता है तो उसकी जांच होनी चाहिये, लेकिन सरकार वैसा न कर के नीचे के अधिकारियों की बात की पुष्टि करती है । प्लानिंग, हाउसिंग, हरिजन और बैकवर्ड के नाम पर तमाम रुपया ब्लाकों में खर्च कर दिया जाता है, लेकिन अगर जांच करायी जाय तो मालूम होगा कि वह उन्हीं के परिवारों को पहुंच जाता है। उससे हरिजनों का कोई भला नहीं हो पाता । यह जो नयी केन्द्रीकरण की व्यवस्था है उसने भी प्रान्त के साथ आघात किया है । आज श्रमिकों के लिये, भूमिहीनों के लिये कुछ नहीं बचा है । अधिवासियों के लिये आपने कानून बना दिया है कि वे एक साल बाद मालिक हो जायेंगे । इसी कारण देश की आज यह स्थिति है । सरकार या तो भूमिहीनों और श्रमिकों को भर पेट भोजन दे अथवा इतना रुपया दे कि वे महंगे से महंगा अन्न खरीद कर खा सकें । अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको कहना पड़ेगा कि सरकार पूंजीपतियों के साथ है, वह पक्षपाती है, वह भ्रष्टाचारी है । इसलिये मैं कहता हूं कि आज कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है और हरिजनों के बारे में उसे बोलना बंद कर देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ४ दिन से बराबर यहां बैठा हुआ बराबर माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा हूं । उसको सुनने के बाद मेरे हृदय में जो उसका असर हुआ वह मुझे याद आया कि एक बार एक परीक्षा में पूछा गया कि पानी खून के रंग में कैसे बदल गया । सब परीक्षार्थियों ने कई पन्ने उस पर लिख डाले। लार्ड मैकाले ने केवल इतना ही लिखा कि उन्होंने अपनी परछाई को देखा और उससे कुछ शर्माये और उससे पानी का रंग लाल हो गया । मैं इसको याद करने के बाद यह सोच रहा था कि यह कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर दूं । अब यह हो सकता है कि माननीय सदन में बहुत से सदस्य ऐसे हैं कि शायद मेरी अपार वेदनायें उनके हृदय तक न पहुंच सकें । इसलिये कुछ न कुछ वाणी द्वारा अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । श्री राधेश्याम जी ने सच में जो बात कही कि खाद्य मंत्री एक ग्रहणी की तरह हैं । जो उसको लाया जाय, वह उसका सबमें ठीक-ठीक वितरण कर दें । मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरी परिस्थिति को समझा । मुझे याद आया कि जब वनवास के समय में द्रोपदी नहीं खिला पाई तो उसका हृदय बड़ा दुःखी हुआ । उसने केवल भगवान का स्मरण किया और अन्नपूर्णा की तरह उसको वरदान मिला और सबकी तृप्ति हुई और भीम जैसों का पेट भर गया । तो केवल भगवान के और कोई सूझता नहीं है और इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी आमद जो बिल्कुल बन्द हो गई थी, भगवान की कृपा से उसमें कुछ प्रवाह आया और अब हमें आशा है कि अब हम परिस्थिति पर निश्चयपूर्वक काबू पा जायेंगे, बशर्ते कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहे । इसमें आपसे प्रार्थना है और यहां के करोड़ों भूखों और कंगालों की तरफ से यह अपील है कि आप उसको अच्छी तरह से चलायें । इसके लिये ही तमाम

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

विरोधी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है ताकि सारी परिस्थिति उनके सामने रक्खें। मैं विरोधी दल के नेताओं का हृदय से आदर करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि वे हर तरह से हमारे साथ सहयोग करेंगे ।

चूंकि उन्होंने उस कमेटी में हमें यह सलाह दी कि केवल एकमात्र साधन अब यही रह गया है कि हम केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा गेहूं मांगे और यह भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सब लोग मिल कर आपके साथ एक ज्वाइंट डेलीगेशन लेकर दिल्ली चलेंगे। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस तरह का हमें आश्वासन दिया । दाई से पेट नहीं छिपता, मैंने अपना फर्ज समझा कि जो सही स्थिति हो उसको आपके सामने रखूं और उससे आप सब को अवगत कराऊं। किन्तु बाद को उन्होंने यह अच्छा नहीं समझा कि वे उस डेलीगेशन में जायं, उन्होंने यह अच्छा नहीं समझा कि वे उस कमेटी में भी आकर अपना सहयोग दें, मैं किसी के मोटिव पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात हुई । अगर मेरे वक्तव्य से आपको कोई लाभ पहुंचता है तो भगवान आपका भला करे, उसमें मुझे खुशी है, मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता । मगर मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि मैंने सही बात को आपके सामने रखा है । मैंने सदन में पहले यह कहा था कि हमारे पास काफी स्टाक है, हम भुखमरी नहीं आने देंगे। मैं आज भी कहता हूं कि हमारे पास काफी स्टाक था और उसी का नतीजा यह था कि हमने ३–४ महीने तक बराबर उसी स्टाक से अन्न दिया । ९३ हजार टन गेहूं और ६८ हजार टन आटा और उसके अलावा चावल हमारे पास था। मैं समझता था कि केन्द्रीय सरकार वचनबद्ध है और वहां से पूरा कोटा हमें मिलता रहेगा। लेकिन अन्न वहां से नहीं आ पाया । क्यों नहीं आ पाया, उसका कारण केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी ने आप महानुभावों को बतला ही दिया है। उन्होंने अपनी दिक्कतों को आपको बतलाया है। (व्यवधान)

मैं आपको बताता हूं कि हमने उनसे मांगा था कि हमको १ लाख टन गेहूं अपनी फेयर प्राइस शाप्स के लिये चाहिये तथा ६८ हजार टन मिलों के लिये और २५ हजार टन कबाल टाउन्स के लिये। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने कानपुर में कोई गलत बयानी नहीं की है, और मैं भी अपनी जगह पर सही हूं कि उन्होंने हमारी फेयर प्राइस शाप्स को वायदे के अनुसार गेहूं नहीं दिया। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं । वह इसलिये कि उन्होंने तो जो दिया उस सब को जोड़ कर बताया, और हमने १ लाख टन केवल फेयर प्राइस शाप्स के लिये मांगा था । उस हिसाब से ३ लाख टन की कमी रही । मैं तो उनकी बड़ी कद्र करता हूं । मुझे एक चीज से हृदय पर चोट पहुंची । मैं प्रेस से भी अपील करता हूं और अपने साथियों से भी वे मेरे साथ ऐसा अन्याय न करें। मैंने इस विषय में प्रेस को कोई इन्टरव्यू नहीं दिया था । मेरे पास मिर्जापुर के और हर जिले के माननीय सदस्य आये, उन्होंने कहा कि देहात में अन्न नहीं जा रहा है। मैंने कहा सही है, कुछ नहीं हो पा रहा है । इस पर किसी ने विज्ञप्ति निकलवा दी। अब मैं उसको ना तो कह नहीं सकता। किसी मिलने वाले से अगर मैंने वस्तुस्थिति बतला दी और उन्होंने अखबार में निकलवा दी तो विरोध कैसे करता। और रोज-रोज जो चीजें निकल रहीं थीं उनका रोज-रोज कान्ट्रेडिक्शन भी कहां देता। बदायूं कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे उनसे साधारण बातचीत के सिलसिले में यह बात कही कि यद्यपि हमारे यहां पार्शियल राशनिंग या राशनिंग नहीं है लेकिन फिर भी फेयर प्राइस शाप्स के जरिये वितरण करने के लिये १८–२० हजार टन गल्ला है। ५ प्रतिशत जो इम्पोर्टेड था उसको शामिल करके मैंने कहा था। फिर भी कवाल टाउन की सारी जनता की मांग की पूर्ति हम कर रहे हैं। मेरी बात का आखिरी वाक्य उन्होंने काट दिया और यह भी काट दिया कि कल्याणकारी राज्य की गवर्नमेन्ट होने के नाते कोई भी व्यक्ति स्टेट के अन्दर भूखों नहीं मर सकता। इसलिये मेरे शब्दों को काट छांट कर इस प्रकार से प्रकाशित कर देना उचित नहीं था चाहे वह कोई हो । जिसने ऐसा किया उसने मेरे साथ घोर अन्याय किया । स्टेट ट्रेडिंग के बारे में कहा गया कि हमारी स्टेट उसके खिलाफ है। लेकिन हमारी स्टेट ५९–६० में ही कह चुकी थी

कि स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये । मेरी श्रीमन्नारायण जी से बातें हुई थीं और मैंने कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये । मेरे मित्र समझते नहीं हैं कि स्टेट ट्रेडिंग के क्या मानी हैं ।

(इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

बफर स्टाक बनाने वाली बात अलग है । टोटल प्रदेश में जितनी पैदा है उसका पूरा उत्पादन हाथ में करना है, उसको ही वितरण करना है । यह चाहे कारपोरेशन के द्वारा हो या गवर्नमेंट मेशीनरी के द्वारा हो, वह स्टेट ट्रेडिंग है । लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिये हमें बफर स्टाक रखने होंगे । अब कहा यह जाता है कि ३ चीजें करनीं है—१—प्रोडक्शन-उत्पादन, २—प्रोक्योरमेन्ट यानी किस प्रकार से वसूल किया जाय और ३—डिस्ट्रीब्यूशन/खाद्यान्न की समस्या एक हाथी के समान है और उस पर फीलवान गवर्नमेंट आफ इंडिया है । जो उसके ऊपर सवार है, वह है स्टेट गवर्नमेंट । यह इसका रिअल कांस्टीट्यूशनल पोजीशन है । जब तक बल्लम वाला उसके चारों तरफ न हो तब तक हाथी काबू में नहीं आ सकता । मस्त हाथी को काबू में रखने के लिये उसके चारों तरफ घुंघरू बिछाना पड़ता है, वरना कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि ख्वामख्वाह अपनी जान बलिदान करने के लिये उसके सामने खड़ा होगा ? यह निश्चित बात है कि हम आपके विचारों की कद्र करते हैं, लेकिन जब हम मस्त हाथी के सामने घुंघरु बिछाना चाहते हैं तो आप लोग प्रदर्शन के जरिये उस घुंघरू को हटाने की कोशिश करते हैं और उसके लिये एक भीड़ इकट्ठी करके स्वयं भी भीड़ में मिल जाते हैं । ऐसी स्थिति में अगर मस्त हाथी बिगड़ जाय और वह भीड़ को कुचल दे और उसमें कुछ लोग मर भी जायं तो उसके लिये जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी सोचने की बात है । फीलवान तो उसको वश में करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसके वश में न आवे तो उसके लिये क्या किया जाय । जब पोर्ट स्ट्राइक चल रही थी तो अपोजीशन पार्टीज के किसी नेता ने उसके बारे में एक भी वक्तव्य न दिया कि उसको किस तरह से दूर किया जाय या इमर्जेन्सी डिक्लेअर की जाय ।

माननीय शारदाभक्तसिंह जी बहुत समझदार व्यक्ति है, वे बड़े ही इज्जतदार व बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मेरे हृदय में उनके लिये जो कद्र है उसको मैं बयान नहीं कर सकता । हमारे जो अन्य माननीय नेतागण विरोधी दल के हैं, जैसे श्री रामसुन्दर पांडेय, माननीय जेड० ए० अहमद, व माननीय उग्रसेन जी हैं, उन सब की समझदारी में कोई शक नहीं किया जा सकता, मगर एक बात है कि इस देश में यह बड़े भारी अफसोस की बात है कि जब कोई भीड़ इकट्ठी होती है तो उस भीड़ में मिल कर सभी भाव माइंडेड हो जाते हैं और उस भीड़ को काबू में करने की कोशिश नहीं करते । यह मैं इसलिये कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर द्वारा जो कमेटी बनायी गयी उसमें सभी लोग आये और यह बात सही है कि उनका हृदय कहता था कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये उन्हें सहयोग करना चाहिये. . . . . .

श्री उग्रसेन—

वह कमेटी समझदारी से बनायी नहीं गयी थी (व्यवधान) ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय उग्रसेन जी भले ही उग्रता करें लेकिन उनके लिये मेरे दिल में प्रेम है और मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं । यह कहा गया कि जब सरकार इसको स्वीकार करती है तो उसे ठीक क्यों नहीं करती । हम कहते हैं कि किसी की ताकत कुछ होती है, किसी की ताकत कुछ होती है। चींटी की ताकत और होती है और हाथी की ताकत और होती है । मैं कहता हूं कि यह मशीनरी इसीलिये बनायी गयी थी कि प्राइस को किस तरह से डाउन किया जाय ।

क्यों ऐक्शन नहीं लिया गया ? यह बात सही है कि नहीं ले सके, हम कबूल करते हैं एक भूल हुई वह चाहे यहां की हो या सेन्टर की हो । और प्राइम मिनिस्टर के तहत में जो कमेटी बनी थी और तय हुआ था कि स्टेट ट्रेडिंग हो और बाद में पाटिल साहब ने उस को उलट दिया। उन बातों में मैं नहीं जाता यह हमारे दायरे के बाहर की बात है। हमारे यहां रेजिमेंटेशन

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

आफ व्यूज नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी का यह तकाजा है कि किसी निर्णय के हो जाने के बाद हम ईमानदारी से उस के पीछे चलें। राइस मिल्स को लेने की बात है, सब तोड़ मरोड़ कर बातें करते हैं लेकिन मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि अगर प्राइवेट और सरकारी राइस मिल्स कम्पेटीशन में चलायी जायंगी तो सरकारी राइस मिलों के सामने बड़ी कठिनाई होगी। यह मैंने कहा तो इस को लेकर अखबार वालों ने छाप दिया, उन्होंने कह दिया कि यह तो उसके अपोज्ड हैं। मैं अखबारवालों से कहता हूं कि मेरे ऊपर रहम कीजिये और खामख्वाह गलत बातों को मेरे सिर न मढ़ें। हम डेमोक्रेसी के माने समझ लें। मैं उस को मानने वाला आदमी हूं और उस पर चलना चाहता हूं।

जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है मैं कह रहा था कि यह बात सही है कि हमारी पर एकड़ पैदावार में कमी आयी है लेकिन टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है इस तरह से कि हमारी जो कैश क्राप्स हैं उन का क्षेत्र और उत्पादन बराबर बढ़ा है। बराबर अन्न के क्षेत्र से कैश क्राप्स के क्षेत्र में रकबा चला जा रहा है अहमद साहब १९६३ तक कह रहे थे, वह इतनी घटी नहीं है। उन्होंने १९६२-६३ के आंकड़े नहीं दिये और उन्होंने नहीं बताया कि ५ लाख टन गेहूं की कमी है और सब चीजों को मिला कर २६ लाख टन की कमी हो जाती है। मैंने स्वयं १४ लाख टन की कमी बतलायी थी। औसत, यह बात सही नहीं है कि उत्पादन घटा है, गन्ना, आयल सीड्स, मूंगफली, हम्प, ग्राउन्ड नट वगैरह जितनी चीजें हैं सब का रकबा और उत्पादन बढ़ता गया है, लेकिन खाद्यान्न का जरूर घटा है। श्री बलवान सिंह कह रहे थे कि २ मास में कैसे खत्म हो गयी, हर एक जानता है कि होर्डर्स की नयी टेक्नीक्स काम कर रही हैं, वह अब शहर में नहीं रखते, किसी खास जगह रखते हैं और चुपके से शहर मंगाकर बेचते हैं। हमारी सी० आई० डी० देख रही है और हम भी नेतागण से यही परामर्श चाहते थे कि हम ने अभी तक देहात में प्रोडयूसर को टच नहीं किया है और अगर वहां जमा कर रखा है गल्ला लोगों ने तो बगैर आप की राय के कैसे करें। अगर करते हैं और उसका अन्जाम खराब होता तो एक के मेल से नहीं बल्कि ४ आदमियों से मिल कर करते। आप लोगों ने जो राय दी है उस की हम कद्र करते हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी आज इस विषय में कहेंगी। इस विषय पर मैं यह कह रहा था कि जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, उसका उपाय किया जा सकता है, उस के बढ़ाने के लिए और तरीका किया जा सकता है मगर प्रोडक्शन खाद्यान्न में बटी और चीजों को छोड़ कर, जिन की वजह से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, इस लिए हानि तो नहीं हुई पर अब जब हमारे खाद्यान्न देश में और प्रदेश में कम हुये हैं तो निश्चय बात है कि उस की पूर्ति के लिए हमें बाहर से गेहूं मंगवाना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्शन बाहर से मंगाकर ५ प्रतिशत तो हमने कुल उस में इजाफा किया लेकिन जनसंख्या को अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि ये बढ़ी है ३७ प्रतिशत। जनसंख्या तो बढ़ गयी उस की पूर्ति हम केवल ५ प्रतिशत से कर रहे हैं। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन बलवानसिंह जी का कहना ठीक है। अगर यह कमी आती है जो दृष्टिगोचर होनी चाहिए थी, जनवरी, फरवरी, मार्च में, आज यह स्थिति क्यों हो गयी। इसके लिए दो चीजें हैं।

श्री सुखदेव प्रसाद---

माननीय मन्त्री जी कुछ कहते हैं और श्री सुब्रामणयम साहब कुछ कहते हैं तो उन की बात सही है या इन की बात सही है?

श्री अध्यक्ष---

अभी वह स्वयं सब कुछ बता देंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

आज जो कमी दिखायी देती है उस के कारण जो मैं समझता हूं वह यह है कि पोर्टस् में जब व्यापारियों को यह मालूम हुआ कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया का अनाज जल्दी से नहीं पहुंच पायगा और तो उन्होंने एक नयी टेक्निक डेवेलप किया। हम भी देख रहे हैं कि क्या तरीका

अपनाया जाय। उस के लिए एक तरकीब यह थी कि लाइसेंसिंग आर्डर किया जाय कि हर व्यापारी को १० क्विन्टल तक रखने दिया जाय पर उस में एक कमी रह गयी कि गोडाउन का लिखना छूट गया था। अब वह भी कमी पूरी कर दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बात उन्होंने खुद कही कि खाद्यान्नों में कमी हुई और उस कमी को किस तरह से पूरा किया जाय इसे आप सुन तो लें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कह रहा था कि गोदाम को उस में स्पेसिफाई कर दिया। जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है ९९४ केसेज ब्लैक मार्केट तथा होर्डिंग में पकड़े। ५४० केसेज में डिपार्टमेंटल पनिश्मेंट्स दी गयीं। एसेन्शियल कमोडिटीज में २६ तथा डी० आई० आर० में ४० केसेज पकड़े। काफी सख्ती की जा रही है वह आप को जिलों से पता चल जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आप ने कहा कि गल्ले की कमी हो गयी, पहले होने वाली थी, ६ महीने बाद तो उनके पास क्या प्रमाण तथा आधार इसका है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो बतलाया लेकिन आप की समझ में न आये तो क्या किया जा सकता है। जहां तक भावों का सम्बन्ध है जनवरी की पहली तथा दूसरी फोर्टनाइट में गेहूं का प्रति क्विन्टल भाव ५५.९६ रुपये रहा। फरवरी में ६०.६३ रुपये हो गया। मार्च में ६१.६० रुपये हो गया। अप्रैल में नीचे उतर आया। (व्यवधान) किसानों से जो लेना था। मई में कीमत ५६.२ रुपये हो गयी और मई की दूसरी फोर्टनाइट में गेहूं की कीमत बढ़कर ५५.८८ पैसे हो गयी। जून शुरू हुआ तो कीमत बढ़ कर ५९.५१ पैसे हो गयी। ६२ तक आगया और जुलाई के दूसरे हफ्ते में ७४ हो गया। यह जो कीमतें बढ़ी हैं यह जून के अन्त में और जुलाई में बढ़ी हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

किसान का बिक रहा था उस समय सस्ता था और जब पूंजीपति के पास चला गया तो तेज हो गया।

श्री अध्यक्ष—

वही बता रहे हैं। आप की समझ में आ रहा है तो ठीक है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि हमारे पास जितने भी सोर्सेज थे उन को हम ने लगाया और यह बात जरूर है कि पहले अगर एक परसेंट आदमी खराब थे तो कीमत बढ़ने पर खराब आदमियों का परसेन्टेज भी बहुत बढ़ गया। मैं सदन में कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहता हूं जो इस की मर्यादा के खिलाफ हो। यह कहते हैं कि ब्लैक किस ने किया? मेरे पास रिपोर्ट हैं और सामान भी है कि किस तरह से दुकानें चलायी जाती हैं, कौन उन को चलाता है और किस तरह से बेईमानी की जाती है और कर रहे हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता। पिछले साल जून में हमारी फेअर प्राइस शाप्स नहीं थी क्योंकि बाजार का भाव एक ही था। जब चीनी की दुकानें खुलीं तो लोगों के हाथ जोड़े कि आप आइये और दुकान कीजिये। मगर ज्यो-ज्यों बेईमानो की गुंजाइश बढ़ी त्यो-त्यों चलती गयीं और सारी बातें होती गयीं। असल में इन दुकानों की बुनियाद गलत पड़ी। अगर स्टेट ट्रेडिंग पहले से ही हो जाती तो अच्छा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

होता। यह खराब तरीका है कि जब सस्ता हो जाय तो सारे विभाग को खत्म कर दो और कीमतें बढ़ने लगें, तो फिर से सारे कुन्बे को जोड़ो। (व्यवधान)। मैं अकेले कैसे कर दूं। अगर मेरे करने की बात होती, तो इस प्रदेश में ७४ रुपये और बम्बई में १४० रुपये नहीं होता। मैं लाचार हूं, क्या कर सकता हूं। यह तो आल इन्डिया पालिसी की बात है।

श्री उग्रसेन--

आप नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस्तीफा की बात नहीं है। कैंयोस क्रियेट नहीं करना चाहते थे।

श्री उग्रसेन--

आप अराजकता रोक नहीं सकते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आप अपनी बारी में काफी कह चुके हैं। अब मेरी बारी है, मुझे भी कुछ कहने दीजिये। मैं अर्ज कर रहा था कि जितने तरीके हो सकते थे गवर्नमेंट ने उन के अपनाने से गुरेज नहीं किया। १६५६ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आप लोगों के सहयोग से सरकार ने उस पर काबू पाया। मैं नहीं समझता कि जनता में कोई इन्सान ऐसे भी हो सकते हैं कि इतनी कुर्बानियों के बाद अगर कहीं पर कोई गलती हो तो जिस में हमारा वश भी न हो तो उस के लिए इतना बवंडर खड़ा किया जाय तो मैं ऐसी राजनीति पर लानत फेंकता हूं। जब १६५६ में गेहूं का ३२ से ३५ रुपये मन आया तब गवर्नमेंट ने उस पर काबू पाया और जब फरवरी में ऐसी हालत हो गयी तब भी गवर्नमेंट ने उस पर काबू पाया तब उस के बाद एक ऐसी बात जिस पर हमारा काबू न हो इतना बवाल उचित नहीं है।

श्री उग्रसेन--

आप को कहने का अब कोई हक नहीं रह गया है ....

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं बड़े आदर से, बड़े प्रेम से आप से निवेदन करूंगा ...

श्री उग्रसेन--

आप की गवर्नमेंट ने जो कारनामे किये हैं उस को चुपचाप सहन नहीं किया जा सकता .....

(व्यवधान)

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आप को चुप रहना पड़ेगा।

श्री उग्रसेन--

यह चोरी और सीनाजोरी आप की चल नहीं सकती।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ठीक है, अगर हमने कोई गलती की है तो भगवान के यहां हम को सजा मिलेगी मगर जान बूझकर गलत बातें आप कहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप को भगवान और जनता भी नहीं बख्शेगी। मैं यह कहता हूं कि ...

श्री उग्रसेन---

सारी करतूतें कर के बेहयाई की बात क्यों करते हो मन्त्री जी, यह बरदाश्त से बाहर है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, जरा शान्त हो जायं। माननीय मन्त्री जी, आप पर बड़ा उत्तर-दायित्व है, आपको बड़ी शान्ति से बातचीत करनी चाहिए। मन्त्री जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं तो सब की कद्र करता हूं और बड़े प्रेम और आदर के साथ अपनी बातें कहना चाहता हूं और कह रहा हूं। यह सही है कि कुछ दिनों के अन्दर यकायक यह परिस्थिति आ गयी जिस को सोच समझ करके हल करना है। माननीय बलवानसिंह जी ने ठीक कहा, हमें ११ महीने की बात सोचनी है। यह नहीं हो सकता कि सोने के अन्डे सब एक ही दिन निकाल दिये जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

सोने के अन्डे क्या आप निकाल पायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सब निकाल दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री जी, आप को हर एक की हर बात का जवाब नहीं देना है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

ठीक है, श्रीमन्। हमें बहुत सोच समझ कर काम करना है। मुझे तो हैरत है कि एक तरफ तो हम प्रदेश की समस्या हल करने बैठे हैं और दूसरी तरफ हम गम्भीरतापूर्वक विचार भी नहीं करना चाहते।

मैं यह मानता हूं कि वितरण की व्यवस्था ठीक करने में कुछ विलम्ब हुआ। उसका कारण हमारे वैगनों के पहुंचने में देरी होना है, लेकिन अब इम्मीडियेटली यह स्टेप्स लिये जा रहे हैं। पहले तो जैसे, ३, ४ बोरी का कोटा मिलता था दुकानदारों को फेयर प्राइस शाप्स के, अब वह न हो कर उन की दुकान से जितने यूनिट्स ऐटेच्ड हैं उन के हिसाब से उतनी ही बोरी उन को दी जायगी, और अगर स्टाक में कभी कमी पड़ती है तो यह आदेश होगा कि मिले सब को, चाहे उस में से कुछ प्रो रेटा कम कर दिया जाय। अगले हफ्ते में जब ज्यादा आ जायगा तो ज्यादा मिल जायगा। दूसरी चीज हमने यह की है कि हर मुहल्ले में एक फेयर प्राइस शाप पर पांच आदमियों की कमेटी बना दी जायगी नान-आफिशियल्स की जो देख-रेख रखेगी। इस के अलावा हर मुहल्ले में दिन मुकर्रर हो जायगा हर दुकान पर ताकि लोग क्यू में और धूप में न खड़े रहें। उस में यह करेंगे कि फलां कार्ड नम्बर से फलां कार्ड नम्बर तक सोमवार को, फलां से फलां तक मंगलवार को और जो बाकी कार्ड छूट जाय तो आखिरी दिन। इस तरीके पर क्यू नहीं बनेगा और वह बेईमानी और बदमाशी भी नहीं कर पायेगा। ए० डी० एम० या कोई सीनियर आफिसर गोदाम पर खड़ा होकर देखेगा कि कम तो नहीं तोला जा रहा है या घूस तो नहीं कोई खाता है। और एक लिस्ट बनाकर रखेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कि जिस वक्त इन लोगों ने शिकायत की, उसी दरत वह दुकान खारिज और उस की जगह पर आलटर-नेटिव जो लिस्ट के अनुसार है, उस को वह दुकान दे दी जायगी। एक बात और है, फूड ऐडवाइजरी कमेटी के लिए यह आदेश हमने भेज दिया है कि सब फेयर प्राइस शाप्स को उस के मेम्बर्स चेक कर सकते हैं और इन्स्पेक्ट कर सकते ह और उन के सजेशन्स को हर पन्द्रहवें दिन

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

बुलाकर मान लेंगे। मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, आप ने लाल बत्ती दिखादी। इस लिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इतना ही कहकर समाप्त करता हूं कि अब तक तो हमारा जहां ४० वैगन पर डे गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने मंजूर किया था उन में से केवल ७ पहले आये। कुछ दिन बाद उस से बढ़कर २० हुए और अब वह करीब ९१ और १०० पर पहुंच रहे हैं। इस से हमें आशा है कि हम इस को निभा पायेंगे और देहातों को भी दे पायेंगे। (व्यवधान)। मैं बलवन्तसिंह जी से कह दूं, इन्होंने सवाल उठाया था, उसका जवाब मैं प्रारम्भ में ही दे चुका हूं कि सुब्रहमणयम साहब भी सही हैं और मैं भी सही हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप कह चुके हैं उस को दोहराइये नहीं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बस एक बात कहकर समाप्त करता हूं। माननीय दीपनारायणसिंह ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी शेरनी हैं जो पिंजड़े में बन्द कर रखी गयी हैं। माननीय दीपनारायण-सिंह इस बात को समझ लें कि वह सिंह पर सवार दुर्गा हैं जो कि ऐन्टी सोशल एलिमेंट्स को समाप्त करेंगी और असुरों का भी संहार करेंगी। (व्यवधान)।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जैसा मन्त्री जी ने कहा कि जिसकी शिकायत होगी उसका लाइसेंस कौंसिल कर दिया जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी दुकानदार की शिकायत हुई कि वह ब्लैक मार्केटिंग और बईमानी कर रहा है तो क्या केवल उसका लाइसेंस कैन्सिल किया जायगा या पुलिस की कार्यवाही भी की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

बस हो गया अब आप बैठ जाइये।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आज ४ दिन से इस खाद्य स्थिति पर विवाद हो रहा है और माननीय नेगी जी पर इतने अधिक प्रहार हुये हैं कि उन के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। उनका मस्तिष्क भी उस से असन्तुलित हो गया है। मैं ५ मिनट के अन्दर दो बातें कहना चाहता हूं। यह जो अविश्वास का प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया इस के अन्दर बहुत सी बातें थीं लेकिन अधिकतर एक विषय को लेकर ही यहां पर विवाद चला और वह खाद्य स्थिति पर हो रहा। मैं इस माननीय सदन का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ दिन माननीय धुसिया साहब ने एक प्रश्न सदन में उठाया था और वह यह था कि एक माननीय सदस्य, जो यहां के विधायक हैं, वह पाकिस्तान के भी नागरिक हैं। यह प्रश्न सुरक्षा से सम्बन्धित है इसलिए मैं इस को इस समय यहां पर पेश कर रहा हूं। मैं निराधार बातों को सदन के सामने नहीं रखना चाहता हूं। मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि जब तक कोई बात किसी आधार पर न हो उस वक्त तक उस को यहां पर रखा जाय। मेरे पास एक फोटो स्टैट कापी मौजूद है जो वहां से प्राप्त हुई। सन् १९५० में उन्होंने पाकिस्तान का नागरिक बनने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया और इस पर उन को वहां पर नागरिकता प्रदान की गयी। वहां उन को एक मकान भी एलाट किया गया। इस की भी फोटो स्टेट कापी हमारे पास मौजूद है। इस में यह दिया है कि :

"The house no.....situated in Muhalla.....is hereby alloted to Mr. Amjad Ali Khan....."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इस बात को यहां पर निराधार नहीं कहना चाहता हूं। मैं उसी बात को यहां पर रखना चाहता हूं जिसका प्रमाण मेरे पास है। यदि हमारी सरकार जो सुरक्षा से सम्बन्धित है, अगर इस विषय पर ध्यान नहीं देती है और ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखती है तो हम को कोई कठिनाई नहीं है कि हम सरकार में अविश्वास का न प्रस्ताव रखें और एक दिन भी ऐसी सरकार को आगे चलायें।

दूसरी बात यह है कि शारदाभक्तसिंह जी ने एक मर्तबा पुलिस मन्त्री से जाकर कहा कि रघुनाथसिंह जो जनसंघ के सदस्य हैं और उन को जान को खतरा है। पुलिस ने उनको डकैती में फंसाने की कोशिश की। एक मर्तबा उन को रिवार्ड मिला, और जब पुलिस के खिलाफ शिकायत होती है, तो उन को फंसाने की कोशिश की जाती है। माननीय गृह मन्त्री ने उस समय कहा कि हम देखेंगे। उन के ऊपर थोड़े समय के बाद मुकदमा चलाया गया और धमकी भी दी गयी कि तुमको मार डाला जायगा। उस मुकदमे में जो जजमेंट हुआ है वह मैं आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं :—

"For all this evidence I am inclined to believe that the police was unduly after Raghunath Singh. In the said background if the evidence of Kammod and Jagannath is seen there are strong reasons to believe them in their statements that they were compelled by the Police to give statement before the magistrate".

फिर आगे वह कहते हैं कि :

"As it is natural that a hundred false statements have to be concocted to prove one false fact, the police forged out the story that Diwan Raghunath-Singh assisted Daulat gang when it was to commit dacoity in the house of Gulabchand."

वह कहते हैं कि किसी असत्य बात को प्रमाणित करने के लिए हजारों सत्य बातों को छिपाना पड़ता है।

"I have no doubt in my mind that all the story about Raghunath Singh reaching hillock and delivering ammunition to Daulta and Hardas is a white lie and similarly the presence of accused Imrat Singh and Sujan-Singh with accused Bhagwat Singh has been tried to be established with the sole purpose of implicating Raghu Nath Singh in a false case."

यह बहुत शर्म की बात गवर्नमेंट के लिए कि अगर इस परिस्थिति में भी वह यह कहे कि हम जनता का पूरा विश्वास प्राप्त कर रहे हैं।

मेरे हृदय में इस विवाद को सुन कर एक पीड़ा हुई जिसे मैं दो मिनट में व्यक्त कर देना चाहता हूं। हुकुमसिंह जो इस सदन में सब से ज्यादा बुजुर्ग हैं। जो श्रद्धा और प्रेम उन के लिए होना चाहिए वह मेरे हृदय में है, लेकिन जिस तरह से नेगी जो पोल में बोलते रहे, और इस प्रदेश में यह स्थिति आ गया, वैसे ही जब हमारे सदस्य दुख प्रकट कर रहे थे, वे मजाक कर रहे थे। कल ही मैं बस्ती से लौट कर आया, उनके जैसा नान सीरियस भाषण मैं ने किसी दूसरे सदस्य का नहीं देखा। आप भानुप्रताप जी की, रामसुन्दर जी की पोलिटिकल बैक-ग्राउन्ड तलाश कर रहे थे। क्या उस भाषण से हमारा पेट भर सकता है। आप भले ही मेजारिटी के बल पर हाथ उठवा लें, भले ही सुचेता जी मधुर, आकर्षिक और सन्तोषप्रद बातें कह कर हम को सन्तोष दे लें, लेकिन जनता उन्हें क्षमा करने वाली नहीं है। यह ४३१ नहीं, प्रदेश की करोड़ों जनता आप का भाषण सुन रही है जिनका आज मन दुखी है और मैं चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर विषय पर इस प्रकार के हल्के विचार यहां न प्रकट किया जाया करें।

श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़)—

चूंकि श्रीमन्, मेरे बारे में कहा गया है इसलिए मुझे मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब पहले शारदाभक्तसिंह और फिर मुख्य मन्त्री जी भाषण करेंगे। आप के लिए १० मिनट हैं।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन के समक्ष है उस पर पिछले चार दिन में मैंने सभी के विचार सुने और उस में एक बात निर्विवाद है कि चाहे हम इस ओर के लोग हों अथवा सरकारी पक्ष के, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि परिस्थिति गम्भीर है। इसी ओर मैंने संकेत किया था और इस पर हम को घोर चिन्ता होनी चाहिए। सरकार की नीतियां विफल हो रही हैं इस में भी कोई शंका नहीं है। हम ने बार-बार प्रयत्न किया कि सरकार की नीतियों में ऐसे परिवर्तन किये जायं कि जिस से जनता में सन्तोष हो, उस में आशा का संचार हो और हम इस परिस्थिति पर काबू पा सकें। बार-बार कहा गया कि हम सही हैं। मैं चाहता था कि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाता ताकि हम आज की समस्या पर काबू पा सकते, लेकिन चार दिन में जो एक बात मैं समझ पाया हूं वह यह कि हमारे राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि अगर इस सम्बन्ध में कोई आन्दोलन होगा या जनता की ओर से उग्रता पैदा होगी, तो हम उसे कुचल देंगे। मुझे यह बात सुन कर बड़ा अफसोस हुआ। आज हजारों लोगों का जीवन संकट में है और सरकार अनुभव कर रही है कि यह परिस्थिति उस की गलत नीतियों के कारण है, फिर भी आप ऐसी बात कहते हैं। आज आप ५ आदमियों की कमेटी बनाने की बात कहते हैं, मोहल्ले में दुकानें खोलने की बात कहते हैं, लेकिन आज तक यह सब क्यों नहीं किया गया? ऐसी हालत क्यों पैदा होने दी गयी? इसका उत्तरदायित्व किस पर है? इसका जवाब जनता चाहती है और जब तक इसका उत्तर सरकार नहीं देती वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होती। ५, ६, महीने पहले इस बात की चेतावनी दी गयी थी कि आपने उस वक्त का लाभ न उठा कर मन्त्रिमण्डल की इस असावधानी से परिस्थिति को बढ़ने दिया। उस उत्तरदायित्व से मन्त्रिमण्डल ने अपने को मुक्त कैसे कर दिया?

इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आपने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी, ऐसी स्थति प्रदेश में आ गई कि पानी आपके गले से ऊपर हो गया, उस समय आपको विचार पूर्वक, विनम्र होकर, जनता के सामने अपनी गल्तियों को मानना चाहिए। अगर आज भी आप बहुमत के आधार पर, जोकि आपने ३ वर्ष पहले बहुमत प्राप्त किया था, ऐसी धमकी देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रजातन्त्र सरकार का काम नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि वितरण हमारा दोषपूर्ण है। तो वह क्यों दोषपूर्ण है? आपने यह भी कहा कि हमको कुछ विलम्ब अवश्य हो गया। आप यह भी कहते हैं, जिसके लिए मुझे बड़ा दुःख है कि हम जखोरेबाजों से गल्ला अब निकालेंगे। मेरा आप पर सीधा अभियोग है कि अगर जखोरेबाजों के पास गल्ला है और आप उसको निकाल सकेंगे, तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपने उसे क्यों नहीं अभी तक निकाला और क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? अगर आपने उसे नहीं निकाला, तो इसका सारा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। अगर आप कहते हैं कि सेन्ट्रल ने गल्ला नहीं दिया तो इसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय खाद्य मन्त्री जी यहां आये और सबके सामने यह बात कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश को गल्ला सबसे अधिक मात्रा में दिया है। ७ लाख ४० हजार टन दिया है, इस साल, जबकि पिछले साल १ लाख ४० हजार टन दिया था। तो मैं आपसे पूंछना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि जब केन्द्रीय मन्त्री जी कहते हैं कि जितनी मांग थी, उससे ज्यादा हमने गल्ला दिया, तब क्यों ऐसी परिस्थिति प्रदेश में पैदा हो गई ? आज सवाल है कि एक चोर दूसरे चोर को चोर कहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें दोनों के उत्तरदायित्व हैं मैं यह बात दृढ़ता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस सरकार उत्तरदायी है, वह चाहे यहां की सरकार हो या वहां की सरकार हो। अगर आपको प्रजातन्त्र पर विश्वास है तो आपके पास आज कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप इस्तीफा दें। यह सिर्फ नेगी साहब का इस्तीफा नहीं, जैसा कि ऊपर से और नीचे से जवाब आ रहा है कि सारे मन्त्रिमण्डल को इस्तीफा देना चाहिए। हमसे नेगी साहब ने कहा कि हमने एक परचा दिखा दिया। आपने जनता को क्यों बता दिया ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हजारों नर नारी भूख से मरें और अगर मै कह दूं कि सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने गलत किया और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ? अगर आप परचा न दिखाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ७ करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की जबान पर लिखा है कि आज सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। उसे इसका उत्तर-दायित्व भोगना होगा। और इस लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने गलती नहीं की, इस सरकार ने गलती की है कि उसने सदन को और जनता को धोखा दिया और कहा कि हमारे पास काफी स्टाक है, हम स्थिति पर काबू पा सकते हैं। आज जब आपके पास स्टाक नहीं तो आप हाथ जोड़ते हैं, हमारा सहयोग चाहते हैं। उस वक्त आपने कहा था कि आप स्थिति पर काबू पा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने उत्तरायित्व को समझें। उत्पादन में कमी क्यों हुई, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया, वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण है, यह सब बातें ऐसी हैं कि जिनको भुलाया नहीं जा सकता। आज राशन की दुकानें उन्हीं लोगों के हाथो में हैं जो सरकारी पक्ष के लोग हैं। खाद्य मन्त्री जी ने आज बताया कि शहरों में ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि हर दुकान के पीछे ५ आदमियों की एक कमेटी बना दी जायेगी। आज सबसे गम्भीर प्रश्न यह है देहातों में जनता भूखों मर रही है। वहां के लोगों के जीवन मरण का प्रश्न आज सामने है। उसके लिए सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा। उत्तर प्रदेश के हजारों लोग इस बात को आज अनुभव करते होंगे कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है और इसलिए जनता आपको क्षमा नहीं करेगी।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष जी, आज ५ दिन से सदन में केवल अन्न समस्या के बारे में ही ज्यादातर भाषण हो रहे हैं। मैंने इस बात की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि मैं यहां रहूं और जो कुछ कहा जाय उसे सुनूं। मगर सरकार को केवल भाषण देकर ही छुटकारा नहीं मिल जाता, दूसरे कामों को भी देखना पड़ता है। मैं बहुत संजीदगी से, चिंतित हृदय से, बैठी यहां आप लोगों के विचार सुनती रही क्योंकि इसमें कोई शक नहीं खाद्य समस्या बहुत गम्भीर है। इस साल हमारी उपज ११६ लाख टन की ही हुई। पिछले साल हम पंजाब से भी गेहूं मंगाते थे, इस साल वह भी नहीं आया।

(व्यवधान)

हमारे जेड० ए० अहमद साहब तो बहुत बड़े एकोनामिस्ट हैं, मैंने तो उसे कभी पढ़ा नहीं है, मैं आंकड़ों में तो उनसे बहस नहीं कर सकती, उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ा है और उसके बावजूद आज भुखमरी है। मैं तो इतना जानती हूं कि खाद्य का उत्पादन इस प्रान्त में कम हुआ है। जब कि जन संख्या में वृद्धि १९४१ के मुकाबले सन् १९६१ तक ३७ फीसदी की हुई है। गेहूं, बारली, चना, आदि पहले से कम पैदा हुआ है।

खाद्य समस्या बड़ी भयंकर है और उसके समाधान के लिए ही हम लोग यहां बैठे हैं। विरोधी दलों के लोग अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए लाये हैं कि उनके ख्याल में हम लोग चेते नहीं हैं। हम लोगों को मालूम नहीं है आज क्या स्थिति है और हमारा जनता से सम्पर्क नहीं है। हम नहीं जानते कि देश में अन्न का अभाव है। हम आज यहां कान में रूई लगा कर

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बैठे हैं। इसलिए विरोधी दल के लोग उस रुई को हमारे कानों में से निकालने के लिए इस प्रस्ताव को लाए हैं और उसी लिए १२१ आदमियों ने खड़े होकर उसे यहां रखा है। बड़ा अच्छा किया है। मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मैं खुश हूं। अगर गवर्नमेंट गलती करती है, अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो विरोधी पक्ष का डेमोक्रेसी में यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसा प्रस्ताव लाए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपना कर्तव्य पालन नहीं करता।

मैं यह चाहती थी कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सुनती। काम रहने पर भी मैंने ज्यादा से ज्यादा आपकी बात को सुनने की कोशिश की और दफ्तर का काम सुबह और रात को बैठकर किया। लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि इन चार दिनों में श्री शारदाभक्तसिंह सदन में बहुत कम रहे और अहमद साहब को भी बहुत कम देखा। एक वक्त तो मैंने विरोधीपक्ष के लोगों को गिना तो १८-१९ ही थे। यह आपका अपने अविश्वास के प्रस्ताव के लिए लगन थी। एक बार तो मन में आया कि अपने लोगों से कह दूं कि बाहर चले जाओ और कह दिया जाय कि कोरम नहीं है लेकिन मैंने उस बचपने से काम करना मुनासिब नहीं समझा। अगर आपके दिल में सिंसियरिटी होती तो आप यहां बैठते और बड़ी संजीदगी से बातें करते। केवल यह कह देना काफी नहीं है कि यह गवर्नमेंट चोर है, निकम्मी है। आज यह तो किसी को अविदित नहीं है कि उत्तर में आज अन्न की एक बड़ी भारी समस्या है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे भारत में बड़ी भारी समस्या है। हम एक मुसीबत में हैं और हमें यह सोंचना है कि हम उस मुसीबत का सामना किस प्रकार से करें। जैसा कि कहा गया ऐसी बात नहीं थी कि इतने दिनों से हम सो रहे थे। नवम्बर से भाग दौड़ हुई। भारत सरकार से अन्न प्राप्त करने का हमने प्रयत्न किया। उन्होंने भी हमारी सहायता करने की कोशिश की लेकिन उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का मौका आ जायगा। जब परिस्थिति और बिगड़ी तो मैं स्वयं दिल्ली गयी और उनको अपने आंकड़े भी पेश किए। हमने अपनी मिनिमम डिमान्ड भी उनके सामने रखी। हमने रखा कि १ लाख टन हर माह हमें फेयर प्राइस शाप्स के लिए मिलना चाहिए, ६५ हजार टन मिल्स के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा कवाल टाउन्स का भी उन्होंने जिम्मा लिया। यह मेरी अन्डरस्टैंडिंग सरदार स्वर्णसिंह से हुई थी। उन्होंने भरसक कोशिश करने का वचन दिया था। लेकिन हर माह वे दे नहीं पाए। किसी माह में कुछ कम और किसी माह में कुछ ज्यादा, अप्रैल में वे बहुत कम दे पाए। पहले स्टाक की बुनियाद पर ही हम खाद्यान्न की कमी को पूरा करते रहे। हमको यह पूरा भरोसा था कि केन्द्रीय सरकार से हमें हर माह मिलता रहेगा। एक साहब ने कहा कि किसी की भी गलती क्यों न हो केन्द्र और राज्य दोनों सरकार इसकी जिम्मेदार हैं। मैं भी कहती हूं कि हां इस स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से डरती नहीं है। अगर अप्रैल में हम रसद इकट्ठी न करते तो मई और जूनमें हम खिला नहीं सकते थे। अगर २० हजार टन आया तो हमने ५० हजार टन इश्यू किया और ३० हजार टन आया तो ४० हजार टन खर्च किया। हमने हर तरीके से कोशिश की कि बाहर कहां-कहां से अन्न हम ला सकते हैं। दूसरे प्रान्तों में भी फसल अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए वहां से तो आ नहीं सका।

मैं कुछ दूसरे प्रान्तों के भावों को भी बता देना चाहती हूं। बम्बई में १६० रुपया प्रति क्विंटल, गुजरात में १५० रुपया प्रति क्विंटल है। बिहार में १०० रु० क्विंटल, कलकत्ता में १३०-१४० रु० क्विंटल गेहूं का भाव था। हां, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र, ये तीन प्रान्त ऐसे हैं जहां अनाज ज्यादा हुआ है....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

बंगाल का आंकड़ा गलत है, वहां के लोग तो चावल खाते हैं और बाजार में दो सेर का बिक रहा है....

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

चिल्लाने से फैक्ट्स नहीं बदल जायगा।

(व्यवधान)

तो आप जबरदस्ती चश्मा नहीं लगावें और कह दें कि इस चीज में खराबी है, तो वह नहीं हो सकता। यह सभी जानते हैं कि एक प्रान्त की ही बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की हालत खराब है....

(व्यवधान)

एक बात मैं कह दूं कि बहुत सालों तक मैं भी अपोजीशन में रही हूं और अपोजीशन के लीडर की हैसियत से मैंने पार्लियामेंट में काम किया है। जब कोई मुसीबत का सवाल देश के सामने होता था तो हम पंडित जवाहरलाल जी से शिकायत करते थे और कहते थे कि मुसीबत के वक्त में आप हमको कानफिडेंस में क्यों नहीं लेते और इसी तरह से जब से मैं आयी हूं हमारे दिल में यह बराबर रहा है कि हमारा अपोजीशन के साथ एक अच्छा रिश्ता रहे और उनको अपने कंफिडेंस में रखा जाय। हमारी बराबर यह कोशिश रही है। यह कोई आराम की कुर्सी तो है नहीं। हमारी बराबर यह कोशिश रही है कि हम अपोजीशन की रिजनेबिल बातों को सुनें और आप लोगों का कोआपरेशन लें। इस समय मैं यह भी कह दूं कि भारत सरकार ने हमें गेहूं देने की कोशिश की, लेकिन मजबूरन कुछ दिक्कतों की वजह से उनके रास्ते में अड़चन आयी जिससे बीच में ब्रेक डाउन हो गया और इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आ गयी। लेकिन सोचने की बात यह है कि साढ़े ७ करोड़ लोगों के खिलाने का प्रबन्ध करना है....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मुझे यह कहने का पूरा हक है कि इस खाद्य समस्या की सारी जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री की है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, जब मुख्य मन्त्री नहीं बैठ रही हैं तो कायदे के अनुसार आप बैठ जायं क्योंकि वे ईल्ड नहीं करना चाहतीं। माननीय उग्रसेन जी....

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

यह बड़े अफसोस की बात है, आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन--

मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के अनुसार मुझे भी बीच-बीच में मुख्य मन्त्री को टोकने का अधिकार है। हम बराबर टोकेंगे, देखें वे कैसे भाषण करती हैं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप बार-बार टोकेंगे, तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आपको चाहिए कि गम्भीरता के साथ इस समस्या को समझें कि किस तरह से उसको टैकल करना है। पिछले दिनों की एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में बिहार में भूकम्प हुआ। ब्रिटिश सरकार से हमारा कोई नाता सम्पर्क नहीं था, बल्कि उससे हमारी अदावत ही थी जबकि आपके साथ हमारी कोई अदावत नहीं है। उसने भी उस समय की परिस्थिति की गम्भीरता को समझा और जेल से बाबू राजेन्द्र प्रसाद को छोड़ दिया। मुझे भी वहां जाकर उनके साथ काम करने का मौका मिला और उस समस्या का समाधान करने के सिलसिले में किसी ने यह नहीं समझा कि कौन किस पार्टी से सम्बन्धित है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सब दल के लोगों ने मिल कर एक साथ काम किया। इसी तरह से आप लोगों को चाहिए कि इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि आप सब इस काम में हमारे साथ हाथ बटावें। उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं लेकिन उन्होंने हमारे आफर पर लात मारी। उस का भी मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारे भाई जो एक अच्छी तादाद में इधर पीछे बैठे हैं हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने उस वक्त में....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

इधर भी बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उधर ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था।....

(व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हमने यह समझा था और आशा की थी कि जो यह नेशनल क्राइसिस है, जो यह आफत देश और प्रदेश पर आ पड़ी है, तो अलग-अलग मत रखते हुए भी सब एक साथ इस समस्या को हल करने के लिए काम करेंगे और मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे और मैं समझती थी कि शायद सभी इस मसले का समाधान करना चाहेंगे और सहयोग देंगे। हमें बाहर से सबके लिए अनाज लाना था, बहुत नहीं तो थोड़ा ही जितना ला सके उतना लाना था और उसको यहां लोगों में फेयरली डिस्ट्रिब्यूट करना था। भ्रष्टाचार की बात कही गयी, पता नहीं इस समय यह कहना मुनासिब था या नहीं, लेकिन ठीक है, वह सरकारी अफसर ही नहीं करते, भ्रष्टाचार हम में से बहुत से हैं जो करते हैं। एक महानुभाव तो जो भ्रष्टाचार की बहुत बात करते हैं ब्लैकमार्केट की बात करते हैं, उनकी बात पर मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि उन्हीं के खिलाफ इसका एक मुकदमा चला था। तो जो खराबी है, करप्शन है उस को सरकारी और गैरसरकारी हर तरह की कोशिश हो तो वह रुक सकता है। हमारा जो फर्ज था हम ने इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए बराबर काम किया। अभी नहीं मैं अपनी बताऊं कि बहुत बार ऐसी आफत के मौके पर हमने मुसीबत में काम किया है, बंगाल के फेमीन में हमने काम किया हालांकि उस वक्त मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री वहां पर थी जिस के साथ हम कोआपरेट नहीं करते थे लेकिन हमने देश के संकट में काम किया। उन्होंने हमें उस काम के लिये बुलाया भी नहीं हम स्वयं गए और अपना कर्तव्य समझ कर काम किया। हम ने प्रेम से, श्रद्धा से आप को बुलाया, आप ने कहा कि नहीं शामिल होंगे। हमने कहा ठीक है यह भी शिरोधार्य है, मैं आप का चैलेंज स्वीकार करती हूं और अपने साथियों से जो इधर बैठे हैं कहती हूं कि अगर कांग्रेस में अब भी पुराने ढंग का त्याग और कर्मठता और समय के अनुरूप परिस्थिति का मुकाबला करने की शक्ति बाकी है तो अपने-अपने जिलों में जाकर सब एक गैरसरकारी ढांचा इस काम के लिए बनायें, हर फेयर प्राइस शाप की निगरानी करें। हमने जिलाधीश को सूचित कर दिया है कि वह दूसरी पार्टियों के लीडर्स एम० पीज० और एम० एल० एज० को बुलायें जो आयें उन का सहयोग लें जो न आयें वह न आयें। हम किसी परिस्थिति से नहीं डरते, हम चैलेंज लेना जानते हैं और चाहते हैं। अगर कोई कहे कि समस्या नहीं है, जैसा कि अहमद साहब ने कहा, मैं नहीं मानती उस बात को। मैं समझती थी कि वह बड़े होशियार आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फैक्टस को डिसटार्ट किया वह मेरी समझ में नहीं आया। आज सब जानते हैं कि देहातों में और शहरों में अनाज की कमी है। हमने दो तीन मास से बराबर कोशिश की, मई जून में किसी तरह से काम चलाया।

जहां तक सुब्रह्मण्यम साहब और हमारे आंकड़ों में अन्तर की बात है, वह मैं बता दूं। अन्तर यह है कि उन्होंने टोटल आंकड़े दिए हैं जितना अनाज उन्होंने यहां भेजा उस सब के। ७ मास तक १ लाख ७० हजार टन फेयर, प्राइस शाप्स के लिए दिया, आटा मिल्स को ६८ हजार टन दिया गया और कवाल टाउन्स और २ नगरों के लिए २० हजार टन। इस तरह से १५ लाख १६

हजार टन हुआ। ७ महीने का टोटल करना चाहिए था। अगर तीनों एक जगह करते तो हमारी दिक्कत हल हो जाती। उसके बजाय अगर ७ लाख ४० हजार हम को मिला जो केवल फेयर प्राइस शाप्स के लिए था, तब तो हमारा काम हुआ। हम जानते हैं कि परिस्थिति मुश्किल है और बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को एश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनमें परेशानी न बढ़े क्योंकि एक तो भूख की परेशानी है और दूसरी प्रकार की परेशानी न बढ़े। आप लोगों को अधिकार है कि आप जुलूस निकालें पर इन जुलूसों में भी देखा गया कि एक जुलूस में १, १/२ हजार, दूसरे में १ हजार और तीसरे जुलूस में केवल ५ या ६ सौ व्यक्ति थे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इलाहाबाद में कई हजार का जलूस निकला।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर यह जुलूस कम तादाद में निकला तो कौन-सी बुराई हो गयी ?

(हंसी)

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हमारे लखनऊ की मुख्य पत्रिका में यह समाचार निकला है कि:

"A potbellied bania, sitting cushily in a tonga, was appealing to the people over a loudspeaker to join the demonstration when he was suddenly surrounded by a crowd, including some women, who gazed and scoffed at him. The crowd obviously identified the man as their bania, and when he had stopped shouting, the crowd asked the campaigner to provide relief to the people by bringing out for sale at reasonable prices all his hoarded bags of wheat, rice and flour."

एक सदस्य--

इसका हिन्दी में अनुवाद करके बता दीजिए।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसका अनुवाद इस प्रकार है--एक मोटी तोंद वाला बनिया एक तांगे में बैठे लोगों से अपील कर रहा था कि सब लोग आकर जुलूस में शामिल हों। इतने में कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया कि यह तो वही व्यापारी है जिसके पास काफी चावल और गल्ला भरा है; तो भीड़ ने उससे कहा कि अगर तुम्हें इतना दर्द है तो अपने भरे स्टाक को क्यों नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ये लोग अनुवाद को नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पण्डेय (जिला आजमगढ़)--

अगर उधर से इस तरह की बातें होंगी तो इधर से भी ऐसी ही बातें होंगी। उधर के लोग ही तो इधर के लोगों को उकसाते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमती सुचेता जी के बयान से अभी तक रोटी की तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसी हालत में सुचेता जी के बयान से क्या फायदा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

विरोधी दलों का यह दावा है कि लोग कांग्रेस के साथ नहीं है । अगर यह सत्य होता तो जुलूस में आज २ लाख आदमी होते ।

(व्यवधान)

मैं चार दिन अपने माननीय सदस्यों के भाषण चुपचाप सुनती रही इसलिये कि जो दुखी आदमी होता है उसके दिल का गुबार निकल जाना चाहिये । मुझे याद है जब पाकिस्तान के बाद दिल्ली में हम रिफ्यूजीज का काम करते थे । बड़े दुखी, मरे कुचले लोग आये थे । गांधी जी ने एक दिन कहा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ कैम्प देखने । मैंने रोकने की कोशिश की । मैं जानती थी कि उनके दिल में बड़ा रोष है, लेकिन जिद करके वे गये । जैसे ही कैम्प में पहुंचे लोगों ने गालियों की बौछार उन्हें दी कि तुमने हमें बरबाद कर दिया, तुम्हारे वास्ते हमारा देश विभक्त हुआ । सिर झुका कर सुनते रहे । सब सुनने के बाद उन्होंने कहा सुचेता मुझे बड़ा अच्छा लगा । उनके दिल में जो जहर था वह निकल गया । आप लोग हमको निकम्मा, नालायक, भ्रष्टाचारी, चोर, बेईमान कहते रहे । मैं भी सुनती रही और गुस्सा नहीं हो रही थी । जो दिल में गुब्बार है वह निकल जाने के बाद अगर आपके दिल में शान्ति हो, आप सचमुच देश से प्रेम रखते हों और सचमुच आप चाहते हैं कि इस मुसीबत को हल किया जाय तो आपको आगे आना चाहिये । मैंने दोबारा सब नेताओं को चिट्ठी लिखी । आपके जो सक्रिय सुझाव हों मुझे दीजिये । मुझे खुशी है कि एक चिट्ठी भानुप्रताप सिंह ने भेजी । उसमें जो सुझाव हैं उनके अनुसार काम करने की कोशिश करूंगी । यह बात मत समझिये कि हम लोग खुश होते हैं आप को भूखा देख कर । हमें बैठा देख कर कुर्सी पर आप को यह लगता है कि आपका भूखों रखना हमको अच्छा लगता है । ४, ५ महीने से हम भी परेशान थे । जब कोई चारा नहीं था तो यह परिस्थिति आयी ।

अभी नेगी जी ने बतलाया कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं वे सारे रिसोर्सेज सब स्टेट्स को बांटने होंगे । उन सब रिसोर्सेज में मैं यह कह सकती हूं कि १/४ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आयेगा । इतना जोर हमने लगाया है । अब जो कुछ अनाज आयेगा वह स्टेट गवर्नमेंट के पास आयेगा । हम ही फ्लोर मिल्स को और कबाल टाउन्स को देंगे ताकि उनके पास पहुंचे और बीच में फ्लोर मिल्स लेकर बदमाशी न कर सकें । यह भी हमारा प्रयास है कि फेयर प्राइस शाप्स जितनी हैं ठीक से चलें । हम चाहते हैं कि जनता का इसमें सहयोग हो । हर फेयर प्राइस शाप की निगरानी के लिये ५ सच्चे आदमी हों । हम चाहते हैं कि आपोजीशन वाले आयें । अगर नहीं आते हैं तो मैं जानती हूं कि कांग्रेस के लोग और नान पोलिटिकल लोग इतने हैं कि जो आ जायेंगे और खुशी-खुशी यह काम करेंगे । उन सबका सहयोग हम चाहते हैं । बोगस कार्डस की भी पूरी तरह से जांच होगी और फूड कमेटीज बनेंगी जो चेक करेंगी । गजटेड आफिसर गोदामों को चेक करेंगे । इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ा दी है । २५ दूकानों पर एक इंस्पेक्टर रख दिया है और कमिश्नर की होल-सोल जिम्मेदारी होगी , फेयर प्राइस शाप्स का बांटने का पुराना इतिहास मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सोंच रही हूं कि ४, ५ आदमी की एक कमेटी बनादूं । कम से कम दो, एक जिलों में जाकर वह कमेटी देखे कि कैसी हालत है, कैसे काम चलता है ? कौन सी दूकान बोगस है ? उसको फौरन हटा दिया जाय और उसे हम नहीं रोकेंगे ।

जितने सुझाव आये हैं उनमें परेशानी की बात यह है कि अगर सबको मैं पढ़ने लगूं तो एक अफसाना हो जायगा । एक कहानी मुझे याद आती है । एक बाप और बेटे जा रहे थे गधे को ले कर । बाप चढ़कर चलने लगा तो लोगों का ऐतराज हुआ कि बेटा पैदल चल रहा है और बेटा चढ़ गया तो लोगों को फिर ऐतराज हुआ कि बेचारा बाप पैदल चल रहा है । आखिर में गधे को उठा कर उनको ले जाना पड़ा । जो सुझाव मेरे पास आये हैं वे बड़े कंट्रडिक्टरी हैं । जनसंघ का कहना है कि फ्री ट्रेड होना चाहिये । (व्यवधान) । गल्ला व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय को चलाने का आश्वासन दिया जाय । अनाज के आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटाया जाय। भय के वातावरण को दूर करके स्वतंत्र रूप से व्यापार

चलाने का आदेश दिया जाय । गल्ले के व्यापार को राष्ट्रीयकरण की चर्चा बंद की जाय । यह चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण की चर्चा तक न की जाय । अहमद साहब कह रहे थे कि मैंने स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ कहा । मैंने उसी समय उनको जवाब दे दिया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा । जिस समय वहां यह प्रपोजल आया तो यह फुल्ली वर्कडआउट नहीं था । इसमें था कि सेन्ट्रल सारी व्यवस्था करेगा तो मुझे डर हुआ कि केन्द्र ही व्यापक रूप से सारी व्यवस्था को देखेगा तो उत्तर प्रदेश के हाथ कुछ नहीं लगेगा । मेरी खुदगर्जी थी, इसलिये मैंने कहा कि इसका इन्तजाम स्टेट की तरफ से हो या स्टेट और सेन्ट्रल की तरफ से मिला जुला इंतजाम हो । मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेट का हाथ रहे । अगर सारे का सारा इन्तजाम उसके उनके हाथ चला जायगा तो प्रदेश को परेशानी होगी । इसलिये मैंने स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ यह कहा था । जब अहमद साहब ने देखा कि उनकी बात गलत निकल गयी तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि कि कितनी जल्दी वह स्टेट ट्रेडिंग को चलाती हैं । इसका प्रोग्राम सेंटर में वर्क आउट हो रहा है और जैसे भी सेन्टर करेगा उसके साथ हम मिलकर काम करेंगे । कम्युनिस्ट पार्टी में भी दो ग्रुप्स हैं, एक लैफ्टिस्ट और दूसरा राइटिस्ट । दोनों के अलग-अलग सुझाव हैं । मैं विचार कर रही हूं कि किस-किस सुझाव को मैं मानूं, लेकिन इतना मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि जो सुझाव मुझे अच्छे दीखेंगे उनको मैं मानूंगी । यह कहा जाता है कि हमारे यहां दो गुट हैं । लेकिन मैं कह देना चाहती हूं कि जहां तक फूड का मसला है हमारे यहां कोई दो गुट नहीं हैं । सब लोग एक साथ हैं, एक राय हैं, कि किस तरह से इसका समाधान करें ।

श्री उग्रसेन—

मुख्य मंत्री जी, माननीय गोविन्दसहाय जी के सुझाव को मान लें ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि होर्डर्स से हमें कोई हमदर्दी नहीं है । उनसे कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई हमदर्दी नहीं है और मुझे कतई नहीं है । न तो मेरा कोई नाते-रिश्तेदार गल्ला की दूकान रखता है और न किसी के पास एक गज जमीन है जहां दाने उगायें । आप लोगों में से बहुत से अच्छे किसान हैं और अच्छे जमींदार होंगे, जिन्होंने गांव में रखा होगा । लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है । (व्यवधान) । मैं नहीं चाहूंगी कि होर्डर्स की कुछ मदद की जाय । हम लोग उनको दबाना चाहते हैं ।

मैंने देखा कि बम्बई गवर्नमेंट ने ऐंटी-हार्डिना कानून निकालो आन्ध्र में निकाला गया और कई गवर्नमेंट्स ने ऐंटी-होर्डिग कानून निकाले हैं । दिल्ली में इधर अखबारों में निकला है कि व्यापक रूप से जांच पड़ताल हुई, लेकिन आज और कल जो पेपर में आयी है उस से कोई समाधान नहीं निकला, बल्कि और उसका नतीजा यह हुआ कि मार्केट में जो ग्रेन आ रहा था वह भी रुक गया । हमारे मन में यह शंका है कि हम तो यों ही मुश्किल परिस्थिति में है । अगर हमारे पास स्टाक होता तो हम वह सारे स्टेप्स उठाकर होर्डर्स को खत्म कर देते हैं मगर जब हमारे पास नहीं है तो क्या किया जाय ? इस परिस्थिति में किस ढंग से चलाया जाय ताकि मार्केट में अनाज आना न बन्द हो और व्यापक रूप से भयावह स्थिति न पैदा हो जाय । हमारे मन में एक मात्र यही कंसीडरेशन था कि हमारे मार्केट्स में गल्ला आता रहे । मगर उसके बावजूद भी पोलिटिकल समस्या हमारे सामने है इसलिये आप देखेंगे कि कल ऐंटी होर्डिग कानून इस प्रान्त में भी निकल जायगा । उसके बाद हमको देखना है कि मार्केट में अगर गल्ला न आवे तो उसको कैसे संभाला जाय । उसके बाद यह भी देखना होगा कि उसका जो गल्ला हमारे पास होगा उसका वितरण कैसे हो ।

एक बात और कहना चाहती हूं कि आपोजीशन को अधिकार है कि गवर्नमेंट के ओमिशन्स और कमीशन्स को बतलावें, मगर यह भी समझती हूं कि आज की जैसी असाधारण परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है । लोगों के पास अनाज कैसे पहुंचे, जितना अनाज हमारे पास है उसका वितरण कैसे करें । अगर बड़े किसान के पास अनाज है तो उसे कैसे निकालें । अगर कानूनी तरीके से निकालें तो निकालें और अगर उस से नहीं निकल सकता है तो फिर

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

परसुयेशन से लोगों के पास जा जाकर निकालना होगा और यह सब लोग मिल कर करेंगे तभी हो सकता है। यह फूड की समस्या ऐसी मुश्किल है जिससे लोगों के दिमाग परेशान हैं। ऐसी परस्थिति में बराबर तेजस्वी भाषण को दे देकर लोगों को उकसाया गया है। और उसी का परिणाम है कि पिछले हफ्ते हमने बराबर देखा कि यहां लूट हुई, वहां लूट हुई। फूड सेचुएशन मुश्किल है लेकिन अगर किसी पोलिटिकल साधन को सिद्ध करने के लिये लोगों को उकसाया गया और और असाधारण परिस्थिति को विषम परिस्थिति तक पहुंचाया गया तो मैं धमकी तो नहीं देना चाहती, उसके लिये मेरा मंशा नहीं है क्योंकि आज जो जेल में भरने की बात है तो मैं उनसे बढ़ कर जेल में रह चुकी हूं और इसीलिये कहती हूं कि ला ऐंड आर्डर को मेंटेन करना हमारा परम कर्तव्य होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

प्रदेश के लाखों आदमियों को भूखों मार डालने से आपका ला ऐंड आर्डर मेंटेन नहीं होगा। एक सुचेता नहीं, हजारों सुचेता के रहते भी भूख से मरते हुये लोगों के साथ ला ऐंड आर्डर मेंटेन नहीं होगा। आज हो कौन-सा ला ऐंड आर्डर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आप लोगों का कहना है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की स्थिति में बहुत अन्तर है। इसके कारण हैं, उनका छोटा प्रान्त है, वहां सरकार के पास अनाज काफी है और फिर ३६०—३६५ गांवों को खिलाना मुश्किल बात नहीं है लेकिन हमें साढ़े सात करोड़ लोगों को खिलाना है। हमें सजग हो कर काम करना है और करेंगे तभी वह हल होगी। अगर आपने इसका पोलिटिकल ऐडवान्टेज लेने की कोशिश की तो हम समझेंगे कि आपने मुल्क के साथ गद्दारी की, हम यह समझेंगे कि आप उतना भी सहयोग नहीं कर सकते जितना हमने ब्रिटिश इम्पोरियलिज्म के साथ सहयोग किया था, जिससे हमारी अदावत थी, जब फ्लड्स आते थे, भुखमरी होती थी तो हम ब्रिटिश सरकार से लड़ते थे और उनका सहयोग करते थे लोगों का दुख मिटाने में, क्यों ? ह्यूमिनिटी के नाते लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये। आज भी, जैसे आप हमें ललकारते हैं, मैं भी आप को ललकारती हूं कि आपमें जनता के लिये कितना मोह है, कितना प्रेम है, यह भी मैं देखना चाहूंगी। मैं लोगों को गलत फैक्ट्स देकर बरगलाना नहीं चाहती और न बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूं। अलार्मिंग सिचुएशन है।.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

जनता को खाना पहुंचा न पाना यही जनता के हितैषी होने की परख है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

और मैं एक बात कह कर खत्म कर रही हूं। आपने मुझे एक घंटा दिया था। मुझे एक घंटा नहीं चाहिये। मुझे इतना ही कहना है कि आज कांग्रेस की सरकार प्रान्त में और केन्द्र में दोनों जगह जहां की जैसी स्थिति है उससे पूरी तरह वाकिफ है और हम किसी को भी भूखों मरने नहीं देंगे। हम जैसे भी होगा अन्न पहुंचायेंगे, आप लोगों की मदद मिले तो आपकी मदद से, आपकी मदद न मिले तो आप लोगों के मदद न मिलने के बावजूद भी कांग्रेस के पास इतनी शक्ति है, कांग्रेस के पास इतने लोग हैं, कांग्रेस के ऊपर इतना अभी लोगों का भरोसा है कि हम उनको संगठित करके इस स्थिति के ऊपर काबू पायेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता था कि सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं ...(व्यवधान)। लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूं और

मैं समझता हूं कि सबके हृदय की यह बात है कि अगर सरकार इन सरकारी नीतियों पर चलना चाहती है तो कम से कम अब असेम्बली बन्द हो जानी चाहिए ताकि हम लोग क्षेत्रों में जाकर कुछ करना चाहें ऐसी परिस्थिति में वह कर सकें। यह मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह वापस ले रहे है ? (शोर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था। माननीय सुचेता जी से कि जरा सा वह यह बता दें कि देहरादून से ४ हजार वैगन चावल बाहर जो गया है दूसरे देश और प्रदेशों को, वह कब गया है और किसके आदेश से गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न अब नहीं होगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि देश में उत्पादन कम हुआ है। यह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, लेकिन सारे देश को देखते हुये ६३-६४ में अधिक अन्न पैदा हुआ है, आयात भी अधिक हुआ है। तो जब हमारे पास अन्न अधिक है आयात द्वारा भी और उत्पादन द्वारा भी सारे देश में, तो क्या यह सरकार या भारत सरकार इस बात के लिये जिम्मेदार नहीं है जो कि आज सारे देश में अन्न का अकाल पड़ा हुआ है इस बात का स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी कर दें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं प्रस्ताव रखता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रि-मंडल में अविश्वास प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई। इस बीच निम्न कार्यवाही हुई।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अभी माननीय सुचेता जी ने कहा कि प्रदेश में एक व्यक्ति भी भूख से नहीं मरने देंगे तो क्या वह यह भी घोषणा करेंगी कि अगर कोई भूख से मर गया तो इस्तीफा दे देंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह काल्पनिक प्रश्न है, हाईपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाव नहीं दिया जायगा।

श्री उग्रसेन—

विभाजन लाबीज में हो।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित रूप से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)—

पक्ष में—१०२

अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
काशीनाथ बहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपालसिंह, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
छांगुर, श्री
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
परमाईलाल, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री

शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विपक्ष में—२३९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमदबख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नार्थसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री

जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारका प्रसाद, पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगौतीदीन, श्री
मंगल, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मदहुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसूरजप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण, शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतल प्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यवीरकुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री अध्यक्ष—

अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३ अगस्त, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

(१ अगस्त, १९६३ से २५ फरवरी, १९६४ तक)

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	प्राप्त सीमेन्ट की मात्रा (बोरों में)
१	पतारा	२,३९९
२	घाटमपुर	२,१७९
३	रसूलाबाद	३,३५०
४	विघमं	४,०४२
५	कल्यानपुर	३,२०७
६	भीतरगांव	१,७०५
७	मैथा	२,२९५
८	चौबेपुर	२,०५०
९	सन्दलपुर	२,६९४
१०	सरसौल	२,५२५
११	राजपुर	२,२०१
१२	कफवन	२,०९५
१३	झींझक	१,८३४
१४	सरवन खेड़ा	२,१८९
१५	विल्हौर	२,३४०
१६	शिवराजपुर	९१६
१७	देरापुर	२,३१५
१८	अकबरपुर	२,६१२
१९	मलासा	२,५४४
२०	अमरौधा	३,५७०
	योग ..	४९,०६२

जिला नियोजन अधिकारी,
कानपुर।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर)

विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत पड़ने वाली न्याय पंचायत अदालतों की सूची तथा उसमें चलने वाली सरकारी गल्ले की दुकानें

क्रम संख्या	न्याय पंचायत	दूकानों की संख्या	नाम दूकानदार
१	सुल्तानीपुर ..	२	१--श्री मन्नू लाल, २--श्री रामरूप
२	लखनपुर ..	१	१--श्री सरजू राम
३	रौनक कलां ..	१	१--श्री तीर्थराज चौबे
४	सिंहपुर ..	१	१--श्री बद्रीप्रसाद
५	जगदीशपुर ..	१	१--श्री गंगाप्रसाद
६	चोलापुर ..	२	१--श्री मंगीराम, २--श्री हरिकिशनी
७	चौबेपुर ..	२	१--सहकारी संघ, २--श्री जगदेवसिंह ।
८	बरोहरा ..	२	१--श्री शिवशंकरप्रसाद, २--श्री मेवालाल
९	रजवाड़ी ..	२	१--श्री देवराज, २--श्री रामदास
१०	नियारडीह ..	२	१--श्री रामधारी, २--श्री मन्नीलाल
११	लाडूपुर ..	१	१--श्री हरदेव साहू ।
१२	कमौली ..	२	१--श्री रामनन्दन, २--श्री शिवदासप्रसाद
१३	नरायनपुर ..	१	१--श्री मोतीलाल
१४	मुस्तफाबाद ..	१	१--श्री रामप्रसाद
१५	छितौनी ..	२	१--श्री उमाशंकर, २--श्री शिवदासगोबरधन सिंह ।
१६	गोबरहां ..	१	१--श्री शोभानाथ साहू ।
१७	बरथरा कलां ..	१	१--सबन सहकारी समिति
१८	पर्वतपुर ..	२	१--श्री रामजी सिंह, २--श्रीसीताराम
१९	जोल्हुपुर ..	१	श्री--मंगरू साहू
२०	शिवरामपुर ..	१	१--श्री नेत सिंह ।
२१	पलही पट्टी ..	१	१--श्री रामबनी मिश्रा
२२	भटली ..	२	१--श्री रामबली राम, २--श्री बद्री पाठक
२३	अजगरा ..	१	१--टोला साधन सहकारी समिति, लिमिटेड
२४	अयर ..	१	१--श्री बनवारी सिंह ।
२५	गोसाईपुर मोहाव ..	१	१--श्री नारायनी सिंह ।

जिला पूर्ति अधिकारी,
वाराणसी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

१--देवरिया जनपद में जनवरी, १९६३ से ३० अप्रैल, १९६४ तक। बोरियां

जो सीमेन्ट एलाट हुआ	१,६०,८००
२--जो सीमेन्ट आयात हुआ	१,६८,७७५
३--सीमेन्ट जो खन्ड विकास अधिकारियों को दिया गया	८२,१८८
४--सीमेन्ट जो केन अधिकारियों को दिया गया ..	१७,३५५

५--खन्ड विकास अधिकारियों द्वारा वितरित की गयी सीमेन्ट की सूची--

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	सीमेन्ट जो लघु सिंवाई एवं विकास कार्यों के लिये दी गयी (संख्या बोरों में)	सीमेन्ट जो जनता को दी गई (संख्या बोरों में)
१	२	३	४
१	देवरिया	३,१११	१,०३९
२	बैतालपुर	१,८७५	३५५
३	गौरी बाजार	२,४४४	८३१
४	रुद्रपुर	२,८९३	८०७
५	पथेरदेवा	३,०९३	१,०२२
६	देसाई देवरिया	२,१९०	१,३१०
७	रामपुर कारखाना	२,२०९	९६६
८	हाता	१,८०६	६५७
९	सुकरौली	१,३०६	४८४
१०	मोतीचक	२,१२०	३७०
११	कैप्टेनगंज	१,६९२	५८५
१२	रामकोला	१,२३४	८२६
१३	खड्डा	९०६	३२९
१४	पड़रौना	२,३७८	१,९४७
१५	बिसुनपुरा	१,७०९	९४१
१६	बुधै	१,१२६	९३९
१७	निबुआ नौरंगिया	१,००३	३२२
१८	सिवराही	१,६७९	१,३७६
१९	तमकुही राज	२,४१४	६११
२०	कसिया	३,३५३	९६३
२१	फाजिलनगर	१,७७५	३५०
२२	भटनी	१,४८५	१,२५०
२३	भाटपार रानी	२,१३५	१,०६५
२४	धनकटा	१,६०५	८९५
२५	सलेमपुर	२,४३१	८४४
२६	लार	१,४२१	१,२५४
२७	भागलपुर	२,७४३	४४५
२८	बरहज	२,५०४	६१५
२९	मलवानी	१,५३६	६१४

६--आयात के अनुसार इस प्रकार के ईशू हुए परमिटों की प्रतिशत ५८% है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

मेरठ नगर में शक्कर वितरण की तालिका (मात्रा बोरियों में)

	मार्च	अप्रैल	मई
शक्कर की मात्रा जो हलवाइयों, चाय वालों, होटल वालों, मिलिट्री कैन्टीनों इत्यादि इत्यादि को दी गयी	७४०	७६१	५०६
शक्कर की मात्रा जो शादी आदि विशेष अवसरों पर वितरित की गयी ..	६५	५२	२५८
शक्कर की मात्रा जो कार्डों पर उपभोक्ताओं को वितरित की गयी	२,८३२	३,२५६	३,३२२
शक्कर की कुल मात्रा जो मेरठ नगर में वितरित की गयी	३,६६७	४,०६६	४,०८६

आ० प्र० अग्रवाल,
कृते जिलाधीश,
मेरठ।

संसद पटल पर रखा गया

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की मिलों के डी० २९ चीनी के ऐक्स फैक्टरी भाव जो १२ दिसम्बर, १९६३ को प्रचलित थे

रु० प्रति क्वीन्टल

१--पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिलों के लिये

२--पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिलों के लिये

(क) भाग (ए)	११६.५०
(ख) भाग (बी)	११५.२५

जो भाव २२ मई, १९६४ से लागू हुए

ग्रुप १--जो फैक्ट्रियां मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशहर जिलों में स्थित हैं	१३१.००
ग्रुप २--जो फैक्ट्रियां सहारनपुर तथा देहरादून के जिलों में स्थित हैं ..	१२३.००
ग्रुप ३--जो फैक्ट्रियां रोहेलखण्ड तथा आगरा डिवीजनों तथा नैनीताल व कानपुर के जिलों मे स्थित हैं	१२०.५०
ग्रुप ४--जो फैक्ट्रियां लखनऊ डिवीजन में स्थित है	११३.२५
ग्रुप ५--राज्य के अन्दर की अन्य फैक्ट्रियों के लिये, अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित फैक्ट्रियों के लिये	१२०.२५

Copy of telegram no. 2359, dated May 22, 1964, from Sugvop, New Delhi, addressed to Civil, Lucknow

2-27 64-SC Central Government have notified revised exfactory Sugar Prices with immediate effect (.) These are Western Uttar Pradesh, Meerut Muzaffarnagar and Bulandshahr District Factories Rupees one hundred thirty-one per quintal (.) Saharanpur and Dehra Dun Districts Rupees one hundred twenty-three(.) Rohilkhand and Agra Division Rupees One-hundred twenty fifty naye paise (.) Lucknow Division Rupees one hundred thirteen, twenty five naya paise (.) Eastern Uttar Pradesh Rupees One hundred twenty, twenty-five naya paise (.) Notification Copy Posted.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

मेरठ जिले के रजिस्टर्ड फैक्ट्रीफेटर्स की सूची

क्रम-संख्या	फर्म के नाम	श्रेणी	क्रम-संख्या	फर्म के नाम	श्रेणी
१	बस्सो देवी एण्ड सन्स ..	बी	११	बर्मपाल एन्ड सन्स ..	सी
२	दयाप्रकाश मित्तल एण्ड सन्स ..	बी	१२	इक्बाल नाथ सचदेव ..	डी
३	श्याम स्टील वर्क्स ..	बी	१३	कृष्णा आइरन एंड कृषि यंत्रालय ..	डी
४	चन्द्रा आइरन एन्ड स्टील वर्क्स	सी	१४	मनमोहन बाल्टी वर्क्स ..	डी
५	सूरजमल रनधीर सिंह ..	सी	१५	अनन्तराम आइरन मेटल वर्क्स	डी
६	गांगुराम रामकिशन ..	सी	१६	नेलू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	डी
७	मेरठ आइरन वर्क्स ..	सी	१७	लाली ब्रादर्स ..	डी
८	जवाहर मेटल इन्डस्ट्रीज ..	सी	१८	एस० आर० टंडन एन्ड सन्स	डी
९	बेलीराम प्यारेलाल ..	सी	१९	अब्दुल हमीद नसरुल्लाह	डी
१०	सचदेव इण्डस्ट्रीज ..	सी	२०	एम० पी० शर्मा एण्ड संस ..	डी

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर)

नियोजित तथा अनियोजित कार्यों के लिये ब्लाकवाइज सीमेन्ट का एलाटमेण्ट (जुलाई, ६३ से जून, ६४ तक) जिला गोंडा

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	नियोजित कार्य के लिये (बोरों में)	अनियोजित कार्य के लिये (बोरों में)	योग (बोरों में)
१	इन्टियाथोक	१,१४६	३५२	१,४८८
२	झंझरी	१,००१	५३१	१,५३२
३	रूपइडीह	८९०	५४२	१,४३२
४	पन्दरीकृपाल	८१०	५६२	१,३७२
५	हलधरमऊ	१,०६०	५०५	१,५६५
६	कंटरा	१,०९०	४१२	१,५०२
७	मुझेना	८९५	५१०	१,४०५
८	बलरामपुर	१,७१४	५१९	२,२३३
९	ज्ञानसारी	१,०८५	४१३	१,४९८
१०	हरइया सतघरवा	१,१९०	५३१	१,७२१
११	पचपेरवा	१,०२४	७३१	१,७५५
१२	तुलसीपुर	९७६	३३५	१,३११
१३	उतरौला	८६०	२८३	१,१४३
१४	मनकापुर	१,५३५	१,०८१	२,६१६
१५	बाभनजोते	१,१३२	५२३	१,६५५
१६	रेहना	१,११०	३०४	१,४१४
१७	गन्दास बुजुर्ग	७५५	३३२	१,०८७
१८	श्रीदत्तगंज	५९०	३३९	९२९
१९	छपिया	९८२	५४२	१,५२४
२०	परासपुर	१,५२०	५४४	२,०६४
२१	बेलसार	१,४४२	७३३	२,१७५
२२	तरबगंज	१,२८९	४६८	१,७५७
२३	वजीरगंज	५,४७२	३०६	५,७७८
२४	नवाबगंज	२,१४६	६११	२,७५७
२५	कर्नलगंज	१,३७०	३०९	१,६७९
	योग ..	३३,०८४	१२,३१८	४५,४०२

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४५ पर)

सूची पत्र उन बीस आदमियों का जिन्हें १२-५-६४ से १२-६-६४ तक अधिक मात्रा में सीमेन्ट का परमिट दिया गया है

क्रमांक	नाम जिसे परमिट दी गयी	तादाद बोरी सीमेंट	क्रमांक	नाम जिसे परमिट दी गयी	तादाद बोरी सीमेंट
१	श्री भगवती सिंह	.. ५	११	श्री मनसा राम	.. ४
२	श्री भूप नरायन	.. ५	१२	श्री मो० नगेसर	.. ५
३	श्री हरी शंकर	.. ५	१३	श्री प्रियखर्शी जेटली	.. ५
४	श्री कमला प्रसाद	.. १०	१४	श्री उम्मेहवीबा बीबी	.. ४
५	श्री गुरु प्रसाद	.. ५	१५	श्री हरीराम वर्मा	.. ४
६	श्री रमेश चन्द्र	.. ५	१६	श्री रामदत्त सिंह	.. ४
७	श्री धर्मराज	.. ५	१७	श्री राजाराम वर्मा	.. ५
८	श्री राजमाणी	.. ५	१८	श्री जैसराज	.. ५
९	श्री बृज मोहन	.. ५	१९	श्री जयराम वर्मा	.. ५
१०	श्री लाल मुहम्मद	.. ५	२०	श्री बीपन राम	.. ५

परिशिष्ट 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

जिला जालौन में जिन स्थानों पर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं उनकी सूची

१—कोंच
२—नदी गांव
३—जगनपुरा
४—कठौन्दा
५—बिलाया
६—बागरा
७—कालपी
८—कबौरा
९—इटौरा
१०—महेबा
११—कुर्सी
१२—जालौन
१३—माधोगढ़
१४—रामपुरा
१५—जगम्मनपुर
१६—गुढा
१७—सराबन
१८—पटराही
१९—अजीतापुर
२०—कुटौन्द
२१—उरई
२२—हरदोई गूजर
२३—कोटरा
२४—डकोर
२५—खर्का
२६—सौदनगर
२७—रगोली ।

नत्थी 'ङ'।

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५४ पर)

गेहूं, चावल श्रेणी ३, चना, मटर, अरहर की दाल व उर्द की दाल की प्रमुख मंडियों के औसत थोक भाव (प्रति क्वीन्टल) जनवरी, १९६४ से जुलाई, १९६४ की तालिका

माह	गेहूं	चावल श्रेणी ३	चना	मटर	अरहर की दाल	उर्द की दाल
जनवरी, १९६४	.. ५५.९५	५७.२९	५१.४१	४८.१४	८५.४४	७७.४३
फरवरी, १९६४	.. ६२.२३	५८.९७	५५.८०	५४.१३	८९.६४	८२.०९
मार्च, १९६४	.. ६१.०५	६१.०७	५६.२०	५२.८३	९३.९१	८३.३७
अप्रैल, १९६४	.. ५७.०९	६२.८१	५३.१४	५९.७४	९४.०५	८४.७०
मई, १९६४	.. ५५.९५	६६.५१	५४.५८	५१.०९	९४.७९	८५.४६
जून, १९६४	.. ६०.९३	७०.२९	५७.९०	५५.८८	९७.६०	८७.९०
जुलाई, १९६४	.. ७३.८८	८०.३५	६४.१३	६७.९७	१०३.३५	९०.५२

संसद भवन

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५५ पर)

सूची

स्थानीय निकाय का नाम	संख्या
१—मथुरा नगरपालिका	२५३
२—वृन्दावन नगरपालिका	२
३—सौख टाउन एरिया कमेटी	६
४—फराह टाउन एरिया कमेटी	२
कुल संख्या ..	२६३

विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४६६ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र १९६४ के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री हरीशकुमार गंगवार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्य ३ का उत्तर

प्रश्न

३—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कितना स्टाफ गजटेड और नान-गजटेड आफिसर रैंकों में ५ साल से काम कर रहा है? सरकार ने कितने उक्त आफिसर रैंकों के व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजा है? यदि नहीं भेजा, तो क्यों?

उत्तर

३—गजेटेड तथा नान-गजटेड रैंकों में क्रमशः ७८ तथा ५०४ अधिकारी गत ५ वर्षों से काम कर रहे हैं। मई सन् १९६३ से सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति आयोग के अधिकार क्षेत्र में कर दी गयी है। इसके बाद अभी तक आयोग के सामने कोई अधिकारी नहीं गया है। आयोग ने ४० सहायक चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये परीक्षा जनवरी, १९६४ में लेने की विज्ञप्ति प्रकाशित की है। सरकर ने यह भी निर्णय लिया है कि मई सन् १९६३ के पहले भी जो चकबन्दी अधिकारी तथा सहा क चकबन्दी अधिकारी नियुक्त किये गये थे उनको भी आयोग की स्वीकृति के लिये भेजा जायगा।

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री।

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

विधान सभा के वर्ष १९६४ के प्रथम सत्र के ७वें सोमवार के लिये निर्धारित डाक्टर रघुनाथसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १—२

प्रश्न	उत्तर
१—क्या स्वायत्त शासन मंत्री १० फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिन १८ गांवों में हैण्ड पम्प लगे हैं उनके अतिरिक्त अन्य आवश्यकता वाले गांवों की सूची तैयार की गयी है या की जायगी? यदि कुछ गांवों की सूची बनी है तो वे कौन-कौन गांव हैं ?	१—इस क्षेत्र के ऐसे गांवों की सूची अभी तैयार नहीं की गयी है। सर्वेक्षण के पश्चात् पूरी योजना बन जाने पर गांवों की सूची भी बनाई जायगी।
२—क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर कि नदी के किनारे के गांवों में जमीन के अन्दर अधिक बालू पड़ने से कुएं बनवाना बहुत खर्चीला और कभी-कभी असम्भव हो जाता है, सरायमुहाना, राजापुर, तांतेपुर, सिंहवार, रामचन्दीपुर, रामपुर, गोवरहा, भोकलपुर, देवरिया, मिसिरपुरा, सरसवल, धोवही, लूठा, शिवदशा, परानापुर, मुरीदपुर, गौरा, चन्द्रवली, ढखना आदि गंगा के किनारे के गांवों में और राजवारा, सरैया, ड़ड़ुआ, लक्ष्मीसेनपुर, टेकुरी, भगवानपुर, धौरहरा, हरिहरपुर, पिपरी, अजगरा, ऊधौरामपुर, बावतपुर, रजला आदि गोमी नदी के किनारे के गांवों में हैण्ड पम्प के लिये विशेष व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?	२—प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का कष्ट है, सर्वेक्षण कराया जायगा। प्रश्न में उल्लिखित गांवों में यदि पीने के पानी का कष्ट हो तथा यदि हैण्ड पम्प लगाना सम्भव हो और वहां के निवासी योजना की शर्तें पूरी करने के लिये तैयार हों तो वहां पेय जल योजना कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९७ एल ए०—१९६४—८६०।